Chamber ... 18|X|b3
74
20.7.62

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पहला सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
[तृतीय माला, खण्ड ३—अंक २१ से ३०—१२ से २५ मई, १९६२/२२ वैशाख से ४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]	
अंक २१—शनिवार, १२ मई, १९६२/२२ वैशाख, १८८४ (शक)	
सभा का कार्य	१९९५
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिये जारी किये गये पासों के बारे में . .	१९९५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति तथा मालदा में हुई घटनायें	१९९८-२००१
अनुदानों की मांगें . .	१९९५-९८, २००१-४६
सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय .	१९९५-९८, २००१-३५
वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . .	२०३५-४६
हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२००४६-४९
दैनिक संक्षेपिका	२०५०
अंक २२—सोमवार, १४ मई, १९६२/२४ वैशाख, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ से ६९८, ७०१, ७०२, ७०४ से ७०६, ७०८ से ७११ और ७१३ से ७१६	२०५१-७९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२०७९-८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७००, ७०३, ७०७, ७१२ और ७१७ से ७३६.	२०८१-९२
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८७ से १२४१, १२४३ और १२४५ से १२८३	२०९२-२१३३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
नागा विद्रोहियों द्वारा पांच सैनिकों का कथित मारा जाना और कई अन्य सैनिकों का घायल किया जाना	२१३३-३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१३४-३५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में राज्य सभा से सन्देश . .	२१३५-३६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
(१) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड .	२१३६-३७

(२) राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिये सलाहकार बोर्ड. २१३७-३८

अनुदानों की मांगें . . . २१३८-७६

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय २१३८-७६

आध घंटे की चर्चा के बारे में २१७७

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७८-८४

अंक २३—बुधवार, १६ मई, १९६२/वैशाख २६, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५३ और ७५५ से ७६० २१८५-२२१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३७, ७३८, ७४७, ७५१, ७५४ और ७६१ से ७८८ . . . २२१०-२५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८४, १२८५, १२८७ से १३३०, १३३४ से १३३७, १३३९ से १३४३, १३४५ से १३५९, १३६१ और १३६२ २२२५-५३

हुगली नदी के पोत चालकों द्वारा काम बन्द कर दिये जाने के बारे में वक्तव्य २२५३-५५

समिति के लिये निर्वाचन २२५५

कॉफी बोर्ड २२५५

अनुदानों की मांगें २२५५-९१

खान और ईंधन मंत्रालय २२५५-९१

दैनिक संक्षेपिका . . . २२९२-९७

अंक २४—गुरुवार, १७ मई, १९६२/२७ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९०, ७९१, ७९४, ७९५, ७९७ से ७९९, ८०१ से ८०४, ८०६, ८११, ८१३ और ८१४ २२९९-२३२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ २३२४-२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८९, ७९३, ७९६, ८०५, ८०७, ८०८, ८१०, ८१२ और ८१५ से ८३५ २३२५-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६३ से १४७२ और १४७४ से १५०२ २३३९-२४०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में हुए विस्फोट २४०५-१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २४१०–११

समितियों के लिये निर्वाचन . २४१२–१३

(१) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति . २४१२

(२) आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासी निकाय . २४१२–१३

(३) दिल्ली विकास प्राधिकार सलाहकार परिषद् . २४१३

अनुदानों की मांगें . २४१३–५१

इस्पात और भारी उद्योग . २४१३–५१

दैनिक संक्षेपिका २४५२–६०

अंक २५—शुक्रवार, १८ मई, १९६२/२८ बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३५-ए, ८३७ से ८३९, ८४१, ८४२, ८४४, ८४७, ८४८, ८५१ से ८५४, ८५७ से ८६० और ८६३ से ८६६ . ६१–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३६, ८४३, ८४५, ८४६, ८४९, ८५०, ८५५, ८५६, ८६१, ८६२, ८६७ से ८७२, ८७४ से ८८० और ८८२ २४८६–९५

अतारांकित प्रश्न संख्या १५०३ से १५१३, १५१५ से १५४९ और १५५२ से १६०१ २४९५–२५३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५३७–३८

एक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण २५३८–३९

सभा का कार्य . २५३९

समितियों के लिये निर्वाचन २५३९–४१

१. राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति २५३९–४०

२. केन्द्रीय प्राणिशास्त्र सलाहकार बोर्ड २५४०

३. भारतीय विज्ञान संस्था की परिषद् २५४०–४१

अनुदानों की मांगें २५४१–७५

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय २५४१–७५

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया २५७५–८३

एकाधिपत्य की वृद्धि को रोकने के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया ८३–८९

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प २५८९–९०

सरकारी कर्मचारियों के चरित्र और प्राग्वृत्त का सत्यापन के बारे में आधे घंटे की चर्चा २५९०–९३

दैनिक संक्षेपिका २५९४–२६००

अंक २६—सोमवार, २१ मई, १९६२/३१ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८५, ८८७ से ८८९, ८९१, ८९३, ८९७, ८९८, ९०० और ९०१ . . . २६०१–३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८६, ८९०, ८९२, ८९४ ८९६, ८९९, ९०२ से ९१३ और ४५२ २६२६–३५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . २६३५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०२ से १६५९ २६३५–६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २६६१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २६६१

हुगली नदी के पोत चालकों के बारे में वक्तव्य २६६१–६२

समितियों में निर्वाचन . २६६२–६३

नारियल जटा बोर्ड

अनुदानों की मांगें २६६३–२७१२

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय २६६३–८३

परिवहन तथा संचार मंत्रालय २६८३–२७१२

दैनिक संक्षेपिका . . . २७१३–१७

अंक २७—मंगलवार, २२ मई, १९६२/१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१५ से ९२२, ९२५ से ९२८, ९३० से ९३२, ९३४ से ९३८ और ९४० से ९४४ २७१९–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१४, ९२३, ९२४, ९२९, ९३३, ९३९ और ९४५ से ९४७ . . . २७४५–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १७५९ और १७५८ से १७७९ २७४९–२८०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . २८०५–०७

१. कुछ चीनियों का भारतीय राज्य क्षेत्र में कथित प्रवेश और उनके द्वारा जोगबानी नगर के फोटो लिये जाना २८०५–०९

२. भारतीय दूतावास को गणराज्य दिवस मनाने के लिये चीन सरकार द्वारा सुविधाओं का न दिया जाना २८०६—०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २८०७—०८

अनुदानों की मांगें . . . २८०८—४५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय २८०८—४५

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८४६—५२

अंक २८—बुधवार, २३ मई, १९६२/२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९५३, ९५८ से ९६२, और ९६५ से ९६८ २८५३—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९५७, ९६३, ९६४, ९६९ से ९९२ . २८७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८० से १८२६, १८२८ से १८७१, १८७३ से १८८८ . . . २८८८—२९३२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

२२ मई, १९६२ को मियालदह में हुई रेल दुर्घटना २९३२—३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २९३४

समिति के लिए निर्वाचन—

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् २९३४—३५

अनुदानों की मांगें . . . . २९३५—८५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . २९३५—४३

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . . २९४३—८५

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . २९८५—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९८९—९५

अंक २९—गुरुवार, २४ मई, १९६२/३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से १०००, १००२, १००४ से १०१०, १०१२, १०१५, १०१९ और १०२० २९९७—३०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १०११, १०१३, १०१४, १०१६ से १०१८ और १०२१ से १०३७ . . ३०२६—३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८८९ से १९३८ . . ३०३६—५६

सदस्य का निलम्बन . . ३०५६—५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .

एलिजाबेथविल में हुई रेल दुर्घटना . . . . २०५८—५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०५९

अनुदानों की मांगें . . . . . . ३०६०—३१०९

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . . ३०६०—९७

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३०९७—३१०९

दैनिक संक्षेपिका ३११०—१३

अंक ३०—शुक्रवार, २५ मई, १९६२/४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ से १०४०, १०४२, १०४३, १०४५, १०४७ से १०५०, १०५२ से १०५६ और १०५८ . . ३११५—३८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . . . . ३१३८—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४१, १०४४, १०४६, १०५१, १०५७ और १०५९ से १०६६ . . . . . ३१४०—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९४९, १९५१ से १९५६, १९५८ से १९८१ और १९८३ से २०२५ . . . . ३१४७—८७

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . . . ३१८८—८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३१८९—९१

शिवरामपुरम् में रेलगाड़ी की टक्कर

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३१९१—९२

वित्तीय समितियां (१९६१—६२)

"एक समीक्षा"

सभा का कार्य ३१९२

समितियों के लिए निर्वाचन . . . ३१९२—९३

१. भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति

२. भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

अनुदानों की मांगें . . . . . ३१९३—३२२६

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ३१९३—३२१०

स्वास्थ्य मंत्रालय . . ३२१०—२६

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . . ३२२६–२७

(२) संसद् पुस्तकालय विधेयक **(श्री दी० चं० शर्मा का)** ३२२७

(३) बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . ३२२७

(४) खान (संशोधन) विधेयक (धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२-ग और ७३ का संशोधन) **(श्री स० चं० सामन्त का)** ३२२७–२८

(५) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) **(श्री सिद्धय्या का)** . ३२२८

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) **(श्री म० ला० द्विवेदी का)**—वापिस लिया गया ३२२८—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३२२८—३४

सरकारी नौकरी (निवास का आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन) **(श्री जं० ब० सिं० बिष्ट का)**—वापिस लिया गया ३२३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३२३४—३४

विधान परिषदें (रचना) विधेयक **(श्री श्रीनारायण दास का)** ३२३७—४३

परिचालन करने का प्रस्ताव . . ३२३७—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३२४४—५०

नोट:— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह † चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LSIII—1098 (Ai)LSD—6-8-62—150.

लोक-सभा

शुक्रवार, १८ मई, १९६२
२८ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली के स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रवेश

+

†*८३५-क. { श्री शिव चरण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में, विशेषत: घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, विद्यार्थियों के प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकन्डरी कक्षाओं में प्रवेश के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

नये विद्यार्थियों को संघ राज्य क्षेत्र में भरती करने के लिये दिल्ली नगर निगम ने ५४ नये जूनियर बेसिक स्कूल खोले हैं तथा २२ स्कूलों को सीनियर बेसिक स्तर का बना दिया है । वर्तमान स्कूलों में और अधिक बच्चों को भरती करने के लिये अतिरिक्त सेक्शन (अनुभाग) खोल दिये गये हैं । नयी दिल्ली नगर समिति ने ९ नये स्कूलों को खोलने की व्यवस्था कर ली है । दिल्ली प्रशासन ने १६ नये उच्चतम माध्यमिक स्कूल और एक मिडिल स्कूल खोल लिया है । कुछ स्वेच्छा संस्थायें ने नये उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोल रही हैं । कुछ गैर सरकारी सहायता प्राप्त मिडिल स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल के स्तर का बनाया जा रहा है ।

घनी जन संख्या वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधायें देने के लिये विशेष प्रयत्न किये गये हैं । यथासंभव ऐसे क्षेत्रों में नये स्कूल खोले गये हैं । कुछ स्कूल दो पारियों में चलाये जा रहे हैं । गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों से अपनी वर्तमान संख्या में ५ प्रतिशत की वृद्धि करने को कहा गया है । स्कूलों को मुख्याध्यपकों से यह कहा गया है कि वे उन बच्चों के नाम दर्ज कर

---

†मूल अंग्रेजी में

940 (Ai) LSD—1

लेवें जिनको उनके स्कूलों में स्थान नहीं मिल सका है तथा उन्हें निकटतम स्कूल में भरती करवाने में उनकी सहायता करें ।

†**श्री शिव चरण गुप्त :** मैं पिछले १७ दिनों से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय संसद और जनता को जानकारी देने में संकोच करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । माननीय सदस्य अब क्या जानकारी चाहते हैं ?

†**श्री शिव चरण गुप्त :** उन छात्र और छात्राओं की अनुमानित संख्या क्या है जो विशेषकर घने बसे हुए इलाकों में स्कूलों में दाखिल होना चाहते हैं ? तथा विभिन्न कक्षाओं में कितने छात्र और छात्राओं को भरती करने की व्यवस्था की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** दिल्ली प्रशासन ने कक्षा ६ से ११ तक २२००० छात्रों की भरती करने की व्यवस्था की है । इसके लिये उन्होंने १६ उच्चतर माध्यमिक स्कूल और एक मिडिल स्कूल खोल दिया है तथा वर्तमान स्कूलों में २०० नये सेक्शन खोले हैं । कुछ अन्य सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी खोले जा रहे हैं । कुछ मिडिल स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनाया जा रहा है । घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कुछ कठिनाई अवश्य है तथापि उस पर हमारा कोई बस नहीं है । तथापि यह बात हमारी सामर्थ्य से बाहर है । तथापि घनी बस्ती वाले क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है । बल्लीमारां, क्लाक टावर, सब्जी मंडी, कमला नगर और बाल्मीकी कालोनी में नये स्कूल खोले जा रहे हैं । कुछ स्कूल तो पारियों में चलाये जा रहे हैं । सभी वर्तमान उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के व्यवस्थापकों को यह अनुदेश दे दिये गये हैं कि वे विद्यार्थिषों की संख्या में ५ प्रतिशत की वृद्धि कर देवें । उनसे यह भी कहा गया है कि वे उन विद्यार्थियों के नाम दर्ज कर लेवें जिन्हें उनके स्कूल में स्थान नहीं मिल रहा है और उन्हें निकटतम स्कूल में भरती करवाने में सहायता करें । किसी भी लड़के या लड़कों को दाखिल होने से नहीं रोका जायेगा, संभव है उन्हें उस स्कूल में प्रवेश न मिले जहां वे भरती होना चाहते हैं तथापि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधायें उपलब्ध करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

†**श्री शिव चरण गुप्त :** उन क्षेत्रों की सभी लड़कियों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करने में कितनी कमी रह गयी है ? तथा इस कमी को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है । क्योंकि उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी भी लड़की या लड़कों को दाखिल करने से नहीं रोका जायेगा । जहां तक लड़कियों की शिक्षा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था नहीं पाने का प्रश्न है यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं स्वीकार करता हूं कि दिल्ली के स्कूलों मे दाखिले में कोई विशेष अड़चन नहीं पड़ रही है, लेकिन साइंस का विषय जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं और उन को मिल नहीं रहा है अतः उस के लिये क्या कोई विशेष व्यवस्था की जायेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, पूरी व्यवस्था है । लड़कों की योग्यता के अनुसार उन की पढ़ाई का पूरा इन्तजाम किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या इन स्कूलों में आवश्यक संख्या में अध्यापकों को नियुक्त करने की व्यवस्था कर ली गयी है ? क्योंकि पिछले वर्ष कई विषयों के अध्यापक उपलब्ध नहीं थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** केवल विज्ञान के अध्यापकों की कमी रही थी और यह एक देशव्यापी प्रश्न है। तथापि इससे विद्यार्थियों की हानि नहीं होने दी गयी थी और विज्ञान के अध्यापकों को अतिरिक्त कार्य दिया गया था। स्कूल बिना अध्यापकों के नहीं चल सकते हैं अतः नये अध्यापकों की नियुक्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या स्थानाभाव के प्रश्न को देखते हुए सरकार टेंटों में स्कूल लगाने के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** विद्यार्थियों को भरती करने के प्रश्न से हम उनके स्थान का प्रश्न ले रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न की सीमा बहुत विस्तृत हो जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ :** विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को स्कूलों में भरती करने के लिये सरकार स्कूलों से दूसरी पारी चलाने पर और उनकी वर्तमान विद्यार्थियों की संख्या में ५% वृद्धि करने को कहा गया है क्या इससे स्कूलों का स्तर नहीं गिरेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** निसंदेह २ पारियों की व्यवस्था आदर्श नहीं है। तथापि समस्या यह है कि घने बसे हुए क्षेत्रों में नयी इमारत खड़ी नहीं की जा सकती है। सरकार ने स्थान तलाश करने की पूरी कोशिश की है तथापि स्थान न मिलने पर सरकार के पास इसके अलावा कोई मार्ग नहीं रह गया था कि वे स्कूलों को दो पारियों में चलायें। तथापि इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि उससे विद्यार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार का आघात न होने पावे।

वेतन बचत योजना[1]

+

†*८३७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी दफ्तरों में वेतन बचत योजना शुरू कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या यह योजना ऐच्छिक है, या अनिवार्य है ; और

(घ) यदि वह ऐच्छिक है तो इसके बारे में सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया कैसी है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) अभी लागू नहीं की गयी है। तथापि सरकारी कार्यालयों में लागू करने के लिये एक परिवर्तित योजना बनायी गयी है जो शीघ्र ही लागू की जायेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यह योजना ऐच्छिक है। सरकारी कर्मचारियों की सहमति से उनके वेतन से कटौती करके वह राशि छोटी बचत प्रतिभूतियों में विनियोजित की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pay roll saving scheme.

(घ) इस स्थिति में यह प्रश्न उपन्न नहीं होता है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या यह परिवर्तित योजना जो भविष्य में लागू की जाने वाली है केवल प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों तक ही सीमित रहेगी या सभी कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अभी केवल योजना मंजूर हुई है । उसके विस्तृत विवरण अभी तैयार नहीं किये गये हैं । अतः मैं उसका ब्यौरा नहीं बता सकती हूं ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इसका ब्यौरा कब तक तैयार कर लिया जायेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** बहुत शीघ्र ।

कोजीकोड में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज

+
†*८३८. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोजीकोड (कालीकट) में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई रकम नियत की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) यह कालेज सितम्बर, १९६१ से आरम्भ हो गया था ।

(ख) इसके लिये कोई विशेष राशि आवंटित नहीं की गयी है । तथापि तीसरी पंचवर्षीय योजना में नये प्रादेशिक कालेज के लिये, जिनमें कोजीकोड कालेज भी शामिल है ५ करोड़ की राशि निश्चित की गयी है ।

†**श्री वारियर :** क्या इस कालेज के लिये आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों का संभरण कर लिया गया है अथवा उनके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा पृथक रख दी गयी है ?

†**श्री हुमायून् कबिर:** इस कालेज का क्रमशः विकास किया जायेगा इस समय यह पोलीटेकनीक बिल्डिंग में काम कर रहा है । नयी इमारत के लिये भूमि का चुनाव कर लिया गया है उनके बनने पर आवश्यक उपकरणों को भी व्यवस्था की जायेगी ।

†**श्री वारियर :** क्या यह सच नहीं है कि कुछ कालेजों को ऐसे उपकरणों की खरीद के लिये जो देश में उपलब्ध नहीं हैं बाहर से मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा के रूप में आवश्यक सहायता नहीं दी जाती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह बात कुछ कालेजों पर लागू हो सकती है सभी कालेजों पर नहीं ।

†मूल अंग्रेजो में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ संयुक्त परामर्श की कार्यप्रणाली

\+

*८३९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नम्बियार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ संयुक्त परामर्श के लिये कार्य-प्रणाली कायम करने के जिस प्रस्ताव पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : यह विषय अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न पर विचार करते हुए लगभग दो वर्ष हो गये । प्रारम्भ में शासन की ओर से यह घोषणा की गई थी कि जल्दी से जल्दी निर्णय किया जायेगा । इस सम्बन्ध में इतनी देरी होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य को जैसा मालूम है पहले भी इस सदन में बतलाया गया था कि इस विषय पर यूनियन्ज से बातचीत की जायेगी और लेबर मिनिस्टर उनसे बातचीत करेंगे । उसमें समय लगा और लेबर मिनिस्टर ने उन सब से बातें कीं । बातें करने के बाद अब गवर्नमेंट ने आरजी तौर पर कुछ अपनी राय बनाई है, जिस को कैबिनेट के सामने पेश करना है । हमें आशा है कि यह काम जल्दी होगा ।

†**श्री वारियर :** क्या इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में भी दिया जायेगा ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं आपकी सहायता करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बहुत अच्छी बात है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या माननीय मंत्री के उत्तर का यह अर्थ है कि इस सम्बन्ध में बुनियादी निर्णय लिया जा चुका है कि व्हिटले कौंसिल अथवा उस प्रकार की कोई और मशीनरी स्थापित की जायेगी तब उसके विस्तार की बातों पर निर्णय करने में देरी क्यों हो रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां एक मानों में जो सदस्य कहते हैं वह ठीक है लेकिन व्हिटले कौंसिल के साथ कुछ स्ट्राइक्स वगैरह की बात भी लगी हुई है कि हड़ताल करना या स्ट्राइक करना यह कहां तक मुनासिब है इसलिए यह जरा टेढ़ा सवाल है और इन दोनों का साथ ही साथ फैसला होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस प्रश्न पर मंत्रिमंडल के स्तर पर अन्तिम रूप से निश्चय करने के पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मेरे विचार से इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी । वे पहले ही अपना मत व्यक्त कर चुके हैं । तथापि यदि मैं तथा तत्सम्बन्धी मंत्रालय इस बात की आवश्यकता समझेंगे तो उनसे परामर्श कर लिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ग्रा० प्र० शर्मा : क्या यह सच है कि कर्मचारियों के अधिकांश कार्मिक संघ व्हिटले परिषद् की जिस रूप में इसकी स्थापना की जा रही है प्रतिकूल थे। क्या अधिकांश कार्मिक संघों के विरोध के बावजूद भी सरकार इस व्यवस्था को आरम्भ करना चाहती है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे उन चर्चाओं के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है जो श्रम मंत्री तथा विभिन्न कार्मिक संघों के बीच में हुई। उसकी रूपरेखा क्या होगी तथा उसे क्या रूप दिया जायेगा यह दूसरा विषय है। तथापि मेरे विचार से कोई भी कार्मिक संघ इस बात का विरोधी नहीं है कि नियोजकों और कर्मचारियों के बीच वार्ता करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार डाक तथा तार विभाग रेलवे प्रतिरक्षा तथा अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में भी संयुक्त मंत्रणा व्यवस्था करने के सबन्ध में कोई निश्चय करेगी ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमने अभी भारत सरकार के कुछ विभागों को ही लिया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् कुछ समय पहले शासन की ओर से एक विधेयक इस आशय का तैयार किया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा लेकिन अखबारों में इस तरह की रिपोर्टें निकली हैं कि उस विधेयक को समाप्त किया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस समाचार में कहां तक सत्यता हैं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जब उसका फैसला हम कर लेंगे तो उसके साथ ही साथ इस विधेयक का भी फैसला हो जायेगा।

पिछड़े वर्ग

†*८४१. { +श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पिछड़े वर्गों की अखिल भारतीय सूची न बनाने का निश्चय किया है और राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे जाति के बजाय आर्थिक कसौटियों को ज्यादा अपनायें ;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्य सरकारों ने यह सलाह मान ली है ; और

(ग) पिछड़ेपन की परिभाषा करने के लिए इन राज्य सरकारों ने कौन सी कसौटियां चुनी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जहां तक ज्ञात है कि किसी भी राज्य सरकार ने पिछड़ेपन की कसौटी के लिये आर्थिक मापदंड को स्वीकार नहीं किया है। जातियों के आधार पर तैयार की गई सूचियों का ही इस कार्य के लिये उपयोग किया जा रहा है। केवल निःशुल्क शिक्षा के प्रयोजन के लिये महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारें १२०० रु० वार्षिक से कम आय वाले वर्गों को पिछड़े वर्गों के समान मान रही थीं।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या जाति के आधार पर पिछड़ापन निश्चित करने से जाति भेद और अधिक गहरा नहीं होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इस बात पर प्रयेत्क व्यक्ति का मत भिन्न भिन्न हो सकता है ।

†**श्री शिवा जी राव शं० देशमुख :** क्या यह सच नहीं कि पिछड़े वर्गों में से कुछ जातियां अनुसूचित आदिम जातियों से भी पिछड़ी हुई हैं ?

†**श्री दातार :** इस बात पर भी प्रत्येक व्यक्ति का मत पृथक पृथक हो सकता है ।

†**श्री बसुमतारी :** क्या अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण आर्थिक मापदंड के आधार पर किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि यह वर्गीकरण जातियों के आधार पर किया गया है ।

श्री बड़े : क्या काका कालेलकर की बैकवर्ड क्लासेज कमिशन की रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को लिखा गया था कि इसमें बैकवर्ड क्लासेज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह कास्ट्स पर न होते हुए एकोनामिक बेसिस पर होना चाहिए ?

†**श्री दातार :** यह सही है । प्रतिवेदन से यह ज्ञात हुआ कि उसमें उचित मापदंड नहीं दिया गया है । अतः भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से यह कहा कि वह यथासंभव आर्थिक माप-दण्ड को पिछड़ेपन की कसौटी मानें ।

श्री बड़े : मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का क्या कोई जवाब इसके बारे में आया है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बतलाया तो है कि उनको लिखा गया था ।

श्री बड़े : इसको किसी ने एडौप्ट भी किया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल करने की इजाजत तो मैंने दी नहीं थी । लेकिन खैर अगर इसका जवाब दे सकते हैं तो दे दिया जाय ।

†**श्री दातार :** केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि आर्थिक मापदण्ड को पिछड़ेपन की कसौटी माना जाय । राज्य सरकार उस पर विचार करने को स्वतन्त्र है ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** श्री जय प्रकाश नारायण समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हैं जो इस विषय में संगत हैं उसमें कहा गया है कि "समाज के दुर्बल अंग पर विचार करते समय . . ."

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं उन्हें सारी बात पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** क्या सरकार जय प्रकाश नारायण समिति की इस सिफारिश पर विचार करेगी कि जातियों का अस्तित्व एक सुदृढ़ सुराई की तरह है और इससे जातियों के बीच स्थायी दीवार खड़ी हो गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानकारी पूछने के स्थान में जानकारी दे रहे हैं ?

श्री राम सेवक यादव : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्ग आयोग ने जो अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण इत्यादि के बारे में लिखा था उस पर अमल किया गया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बतलाया तो कि नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री क० ना० तिवारी : क्या गवर्नमेंट यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय सरकारों ने आर्थिक बेसिस पर बैकवर्ड क्लासेज के क्लासिफिकेशन करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री दातार** : यह बात राज्य सरकारों पर निर्भर करती है कि वे इस सलाह को स्वीकार करें या वर्तमान मापदण्ड को चलने देवें ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या की आय १२०० रु० से कम है ?

†**श्री दातार** : हमें इसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या सरकार का यह कार्य पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है ?

†**श्री दातार** : पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशें पूर्णतः अनिश्चित प्रकार की थीं । हमने इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था अतः सरकार को पूरे प्रश्न पर पुनः विचार करना पड़ा ।

†**श्री शिवाजी राव०शं० देशमुख** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आर्थिक मापदण्ड भी कम भयावह नहीं है ?

†**श्री दातार** : महाराष्ट्र और गुजरात में इसके अनुरूप काम हो रहा है। हमें देखना चाहिये कि दूसरा क्या परिणाम होता है ?

मद्रास में लौह अयस्क

+

†*८४२. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री सेझियान :
श्री बाल कृष्णन् : }

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के रामनद जिले में करकुंडी में लौह अयस्क पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिमैय्या)** : (क) और (ख). भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा जांच करने पर कराइकुड़ी नगर से १० या १२ किलोमीटर दूरी पर निम्नस्तर की लैटिरिटिक लौह अयस्क प्राप्त हुआ है । इस अयस्क से लोहा प्राप्त करना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस अयस्क में कितने प्रतिशत लोहे की मात्रा है ?

†**श्री तिमैय्या** : प्रतिशतता का हिसाब नहीं लगाया है । तथापि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण ने यह अनुभव किया है कि इससे लोहा प्राप्त करना लाभकारी नहीं होगा तथा इस अयस्क का उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

उड़ीसा में कोयले के निक्षेप

†*८४४. **श्री पें० वेंकटा सुब्बैया** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुनिया में सबसे अधिक इकट्ठे कोयला-निक्षेप उड़ीसा राज्य में पाये गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार का कोई विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है; और

(ग) उस क्षेत्र में खनन कार्य चालू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं। तथापि भारतीय खान ब्यूरो से अक्तूबर, १९६१ में तालचेर कोयला खानो में खुदाई कार्य के अन्वितम चरण के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) इन निक्षपों का खुदाई के लिये तीन नयी कोयला खानों की योजना बनायी गयी है। इन में से दक्षिण ब्लांडा की एक खान में काम आरम्भ हो गया है अन्य दो खानो में तीसरी योजना की अवधि में काम आरम्भ हो जायगा।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : तालचेर क्षेत्र में निक्षेप की मात्रा का क्या अनुमान है तथा वह किस किस्म का है ?

†**श्री हजरनवीस** : निक्षेप की कुल मात्रा ५६२० लाख टन है जिसमें से एक तिहाई तो अच्छे प्रकार का है दो तिहाई उतने अच्छ प्रकार का नहीं है।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

†**श्री हजरनवीस** : हम केवल एक खान में खनन कार्य कर रहे हैं—दक्षिण ब्लांडा की खान अन्य दो खानों पर तीसरी परियोजना के अन्त या चौथी परियोजना के आरम्भ में काम शुरू होगा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या कोयले के निक्षेपों के लिये तालचेर के समस्त क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है ?

†**श्री हजरनवीस** : यह कहना कठिन है कि कुल क्षेत्र कितना है क्योंकि जांच से यह ज्ञात हुआ है कि निक्षेप सर्वेक्षण किये हुये क्षेत्र से भी अधिक दूरी पर विस्तृत हैं।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया है कि इन खानों का संचालन उड़ीसा की सरकार द्वारा किया जाय ?

†**श्री हजरनवीस** : मुझे इसके सम्बन्ध में ज्ञात नहीं है।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†*८४७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री ५ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने दिल्ली छावनी में रहने वाले और काम करने वाले सभी असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने के मामले में इस बीच कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन)** : (क) जी नहीं।

(ख) मामले पर स्वास्थ्य मन्त्रालय में विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा और क्या यह सच है कि इस पर अन्तिम निर्णय लेने में स्वास्थ्य मन्त्रालय बाधा पहुंचा रहा है।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : स्वास्थ्य मन्त्रालय के बाधा पहुंचाने का प्रश्न नहीं उठता है। इस पर दोनो की ही जिम्मेदारी है और इसीलिये हम दोनों विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाय।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले उन सभी कर्मचारियो को जब यह रियायत उपलब्ध नहीं है तो उनके लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं समझता हूं कि, मेरे मित्र यह जानना चाहते हैं कि इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि यदि यह कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारियों के रूप में १-८-४९ के बाद भरती हुए हैं तो इनको चिकित्सा उपचार भारत में सशस्त्र की चिकित्सा सेवाओं के विनियमनो के अधीन मिलता है। भूतपूर्व अतिरिक्त अस्थाई कर्मचारियों के समय में नियुक्त औद्योगिक कर्मचारियों को मिलीटरी अस्पतालों में आउट पेशन्ट के रूप में मुफ्त चिकित्सा मिलती है। अस्पताल में यदि भरती होने की जरूरत पड़ जाय तो उन्हे असैनिक अस्पताल में जाना पड़ता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इन कर्मचारियों को यह सुविधा देने में क्या कठिनाई है जबकि इसी श्रेणी के अन्य १८,००० कर्मचारियो को यह सुविधा दे दी गई है।

†**श्री रघुरामैया** : कठिनाई का कोई प्रश्न नहीं है केवल उपचार तथा अस्पताल के भरती होने की सुविधाओं का प्रश्न है। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री वारियर** : क्या इन कर्मचारियों का उपचार अंशदायी स्वास्थ्य सेवा डिस्पैंसरियों में कराने का कोई विचार है

†**श्री रघुरामैया** : मैं समझा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इन असैनिक कर्मचारियो का उपचार अंशदायी स्वास्थ्य सेवा डिस्पैंसरियों में कराने का कोई विचार है ?

†**श्री रघुरामैया** : यदि स्वास्थ्य मन्त्रालय ऐसा करना चाहे तो ऐसा किया जा सकता है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†*८४८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने आदिम जाति क्षेत्र के सारे राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को विशेष बहुप्रयोजनीय खण्डों या आदिम जाति खण्डों में बदलने के प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने खण्ड बदले गये ; और

(ग) भविष्य में विशेष बहु-प्रयोजनीय खण्ड या आदिम जाति खण्ड बनाने या पुराने को उनमें बदलने का क्या कार्यक्रम है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४३ विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्डों को आरम्भ किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यक्रम बढ़ा कर ३३० और खण्डों को आरम्भ करने का विचार है। यह आदिम जाति विकास खण्ड कहलायेंगे ।

(ख) जैसा अभी बताया दूसरी योजना में ४३ खण्ड आरम्भ किये जा चुके हैं। १९६१-६२ के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ३५ स्वीकार किये गये थे। परन्तु यह सभी उस वर्ष आरम्भ नहीं किये जा सके।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३३० आदिम जाति विकास खण्ड आरंभ करने का विचार है। प्रति वर्ष आरंभ होने वाले खण्ड कुल खण्डों के १० प्रतिशत, १० प्रतिशत, २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत, तथा ३० प्रतिशत के क्रम के होंगे।

†**श्री रिशांग किशिंग :** क्या सरकार को मालूम है कि देश के विभिन्न भागों में कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को विशेष आदिम जाति खण्डों में परिवर्तित कर दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** समस्त देश अथवा आदिम जाति क्षेत्रों में ?

†**श्री रिशांग किशिंग :** देश के आदिम जातियों से विभिन्न भागों में।

†**श्री दातार :** यह आदिम जाति विकास खण्डों के बारे में है। जहां तक इन आदिम जाति विकास खण्डों का संबंध है इसकी कुछ विशेष बात है। आशा है कि अक्तूबर, १९६३ तक समस्त देश में सामुदायिक विकास खण्ड बन जायेंगे।

†**श्री रिशांग किशिंग :** क्या सरकार का विचार आदिम जाति क्षेत्रों के सभी राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को सामुदायिक विकास खण्ड बना देने का है ?

†**श्री दातार :** तीसरी योजना में ३३० आदिम जाति विकास खण्ड आरंभ करने की सरकार की यह इच्छा है ।

श्री बड़े : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अभी नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक हैं ; ट्राइबल एरियाज़ में, उनका क्या डिलिमेंटेशन करना पड़ेगा ?

श्री दातार : मैं बता चुका हूं कि शेष समस्त देश के जो क्षेत्र आदिम जाति क्षेत्र नहीं हैं, वहां पर साधारण सामुदायिक विकास खण्ड हैं और बनाये जा रहे हैं। परन्तु आदिमजातियों के खण्डों में इन खण्डों से कुछ अन्तर रखा गया है। इनको आदिम जाति विकास खण्ड कहा जाता है क्योंकि इन खण्डों में आदिम जाति जनता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

†**श्री बसुमतारी :** क्या यह सच है कि डा० एल्विन की रिपोर्ट में एक सुझाव है कि नैपाली क्षेत्रों में भी जहां पर आदिम जाति के लोग रहते हों वहां पर विकास खण्डों को बहुप्रयोजनीय खण्ड बनाया जाये ।

†**श्री दातार :** उन्होंने ऐसा प्रस्ताव किया था और सरकार उस पर विचार कर रही है ।

कोलार तथा हट्टी की सोने की खानों का विकास

†*८५१. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोलार की सोने की खानों और हट्टी की सोने की खानों के विकास करने की कोई योजना आरम्भ की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). तीसरी योजनावधि में कोलार की सोने की खान का लगभग १५० लाख रुपये से तथा हट्टी की सोने की खानों का लगभग २५० लाख रुपये से विकास तथा विस्तार करने की योजनाएं लागू करने का विचार है। योजनाओं का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]**

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या सोने की मात्रा का निर्धारण किया गया है और यदि हां, तो कितना होगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हट्टी सोना खानों में खोज उत्साहजनक रही है। १९५६--६१ में रिजर्व का टनभार ७७,००० टन से ३,७४,००० टन हो गया है और अनुमान है कि योजना पूरी होने पर रिजर्व लगभग ५,९१,००० टन हो जायेगा। योजना १९६४ में आरंभ की जा रही है।

†**श्री शिवनंजप्पा** : खानों को चलाने के लिए मैसूर राज्य सरकार से क्या वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्था की गई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैंने भारत सरकार योजना आयोग द्वारा किया गया आवंटन बता दिया है ।

भारत में वस्तुओं का चोरी छिपे लाना

†*८५२. **श्री बाल्मीकी :**
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं को चोरी छिपे लाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि भारत में विदेशी वस्तुएं चोरी छिपे लाई जा रही हैं ।

(ख) परन्तु भारत में चोरी छिपे वस्तुओं को लाने पर प्रतिबन्ध लगाने के सिलसिले में सरकार को विभिन्न विधि तथा कार्यपालिका कार्यवाहियां की हैं। इनमें (१) तस्कर व्यापार के विरोध में लगे हुए सीमा शुल्क अधिकारियों के जांच अधिकार (२) संदेह पद जहाजों तथा विमानों की ठीक तरह से जांच; (३) तटीय तथा भूमि की सीमाओं में घुस आने के रास्तों का अचानक नियमित गश्त ; (४) सूचना की शीघ्र जांच ; (५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन लगाई गई भारी पैनल्टियों जैसे गैर-कानूनी वस्तुओं की जब्ती आदि के अतिरिक्त, अन्य मामलों में कठोर सज़ा देने की व्यवस्था ; (६) विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के तस्कर व्यापार विरोधी कार्यों का प्रभावोत्पादक रूप से समन्वय करने के लिए केन्द्र में राज्य गुप्तचर निदेशालय, कार्य शामिल हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री बाल्मीकी : मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमारे पास तो वे आंकड़े नहीं हैं कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है । लेकिन उसका जो मूल्य है, वह लाखों में कितना है, यह इनफार्मेशन मेरे पास हैं और अगर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं दे सकती हूं ।

श्री बाल्मीकी : चाहे सोना हो या घड़ियां हों या दूसरी चीजें हों, जो विदेशी सामान अब तक पकड़ा गया है, उसकी क्या कीमत है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : १९६१ में पांच लाख तीन हजार मूल्य का माल बरामद हुआ है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह जो तस्कर व्यापार होता है यह विशेषकर समुद्री मार्ग से होता है अथवा स्थल मार्ग से भी होता है, जैसे पाकिस्तान से लगी हुई हमारी सीमायें हैं, उनसे विशेष रूप से होता है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : दोनों के द्वारा होता है । परन्तु जहाज़ चूंकि ज्यादा सामान ला सकते हैं, इस वास्ते जहाज़ों द्वारा ज्यादा होता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि सीमा के पार शीघ्रता से वैगनों के उलटने के संबंध में रेलवे के आग्रह के कारण विशेषतया भारत-पाकिस्तान सीमा के पूर्वी क्षेत्र में पूरी तरह से सीमा शुल्क की जांच नहीं हो पाती और इसी लिए उस क्षेत्र में मुख्यतः तस्कर व्यापार होता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** ऐसा नहीं है । सीमा शुल्क रेलवे को कारण के कोई कठिनाई नहीं हो रही है ।

फ्रांस से हेलीकोप्टरों की खरीद

†*८५३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस के **'स्यूद-एविएशन'**[१] से बड़ी संख्या में हैलीकोप्टर खरीदने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इन हैलीकोप्टरों के अन्य विदेशी निर्माताओं के बने अन्य माडलों की तुलना में क्या लाभ है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). प्रश्न में उल्लिखित लाइसेंस समझौता पूरा करने के लिए बातचीत हो रही है । सरकार ने सावधानी से जांच करने के बाद कुछ कार्यों के लिए इस प्रकार के हेलीकोप्टरों को अपनी आवश्यकता के उपयुक्त पाया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या यह सच है कि लगभग १०० हैलीकोप्टर खरीदने का विचार है कि नया अधिकांश भाग देश में ही संगठित होने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है । दूसरे भाग का उत्तर यह है कि कुछ देश में बनाये जायेंगे ।

†**श्री दाजी :** आने वाले तीन अथवा चार वर्षों में हैलीकोटरों की आवश्यकता का सरकार ने निर्धारण किया है तथा यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन :** जब इस देश में निर्माण आरंभ हो जायेगा तब जितने की हमें जरूरत होगी हम उतने हैलिकोप्टरों का निर्माण करेंगे ।

†**श्री दाजी :** अनुमान क्या है? मेरा प्रश्न था कि कितने हैलिकोप्टर बन जाने का अनुमान है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह दूसरा प्रश्न है ।

परीक्षा में हिन्दी माध्यम वाले विश्वविद्यालय

*८५४. **श्री बाल्मीकी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन विश्वविद्यालयों में हिन्दी को परीक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जिन्हें हिन्दी को माध्यम बनाने में आपत्ति है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

श्री बाल्मीकी : अभी कितना समय लगेगा इस सूचना को एकत्रित करने में ?

डा० का० ला० श्रीमाली : बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा । मैं आशा करता हूं कि महीने दो महीने में सूचना आ जायेगी ।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि कई विश्वविद्यालय, जो कि अपने यहां पर हिन्दी को माध्यम बनाना चाहते हैं, इस लिये उसे नहीं बना रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में जो सरकार का वैकल्पिक रूप से हिन्दी को भी रखने का इरादा है, और उस सम्बन्ध में घोषणा भी हो चुकी है, वह अब तक कार्य रूप में परिणत नहीं हो रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न अगर आप होम मिनिस्ट्री से पुछें तो ज्यादा अच्छा होगा । जहां तक शिक्षा मंत्रालय का ताल्लुक है कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो गया है और हो रहा है। बराबर उन्नति इसकी हो रही है और पूरी इन्फारमेशन इकट्ठी की जारही है और उस को मैं टेबल पर रख दूंगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार की देख रेख में दो चार विश्वविद्यालय चलते हैं उनमें से तीन विश्वविद्यालय दिल्ली, अलीगढ़ और वाराणसी, ऐसे क्षेत्र में हैं जो हिन्दी भाषा भाषी हैं उन में परिक्षा का माध्यम हिन्दी हो जाये यथाशीघ्र, क्या इस विषय में केन्द्रीय मंत्रालय की ओर से उनको कोई निर्देश अथवा परामर्श दिया गया है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : परामर्श तो बराबर होता है जब बाइस चान्सेलर्स कान्फ्रेंसेज होती हैं। लेकिन इस में स्वतंत्रता दी जाती है विश्वविद्यालयों को, और शायद सदस्य महोदय को यह मालूम होगा कि कई विश्वविद्यालय केन्द्र के ऐसे हैं जिन्होंने कदम लिये हैं हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये, और आगे भी कदम लिये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : वे कौन से विश्वविद्यालय हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : काशी विश्वविद्यालय आप को मालूम है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने तो माननीय सदस्य को सवाल करने की इजाजत ही नहीं दी थी और आपने जवाब भी दे दिया ।

श्री आ० प्र० शर्मा : क्या सरकार को यह मालूम है कि उन जगहों पर जहां पढ़ाई हिन्दी में होती है सरकारी नौकरियों और अन्य छो-छोटीटी नौकरियों के लिये परिक्षायें अंग्रेजी में होती हैं, इस कारण वहां के लड़कों को बड़ी असुविधा होती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अलग बात है ।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमान क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि जिन विश्वविद्यालय ने हिन्दी को माध्यम स्वीकार कर भी लिया है वहां पर केवल वह कागजों में ही स्वीकार किया गया है ? वास्तव में उन पर अमल नहीं हो रहा है और शिक्षा का माध्यम अब भी अंग्रेजी बना हुआ है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

श्री बृ० बि० मेहरोत्रा : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों में जो नये विश्वविद्यालय खुलने वाले हैं वहां पर हिन्दी का माध्यम होगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक भविष्य की बात है, मैं कैसे कह सकता हूं कि आगे क्या होने वाला है ?

†**श्री दाजी :** क्या यह सच नहीं है कि शिक्षा माध्यम के सम्बन्ध में एकीकृत नीतिएन होने के कारण बहुत से विश्वविद्यालयों को शिक्षा माध्यम के परिवर्तन में बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि वह यह ही नहीं जानते हैं कि निश्चित योजना क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** शिक्षा माध्यम के सम्बन्ध में सरकार की नीति समय समय पर बनाई जाती है और नवीनतम विवरण राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन में दिया हुआ है जिसकी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और जिनको सरकार ने राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को भी बता दिया है इन सिफारिशों के लागू करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय 'आर्टस' के विषयों के लिए हिन्दी शिक्षा माध्यम लागू करने का विचार कर रही है तथा यदि हां तो दिल्ली विश्वविद्यालय राजधानी का विश्वविद्यालय है और इसमें हिन्दी को शिक्षा माध्यम बनाना देश के विभिन्न भागों के विद्यार्थियों को अलाभकर नहीं होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समस्त प्रश्न पर विचार कर रहा है । यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह प्रस्ताव किया है कि हिन्दी को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाये । इसका निर्णय विश्वविद्यालय ही करेगा कि हिन्दी को भी रखा जाये अथवा नहीं परन्तु संभव है कि दोनों शिक्षा माध्यम कुछ समय के लिये हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं आप के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, जैसा कि वे उत्तर देते समय बीच मे रुक गये थे, कि केन्द्रीय सरकार की देख रेख में और राज्य सरकारों की देख रेख में जो विश्वविद्यालय हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में चल रहे हैं उनमें परीक्षाओं का माध्यम और अध्ययन का माध्यम हिन्दी को कब से बनाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : इसकी कोई निश्चित तारीख तो नहीं बतलाई जा सकती है, लेकिन इस की तरफ बराबर काम हो रहा है । अभी मैं ने बतलाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ प्रस्ताव रक्खे हैं । इसके सम्बन्ध में युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन जांच कर रहा है । इसी तरह से काशी विश्वविद्यालय में भी कुछ काम हुआ है और कई विषय ऐसे हैं जिन के लिये हिन्दी का माध्यम है, और इस तरफ बराबर उन्नति हो रही है । मिनिस्ट्री ने कई विश्वविद्यालयों को अनुदान दिये हैं ताकि वे पुस्तकें तैयार करें और पुस्तकों के ट्रान्स्लेशन करें । कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस काम को कर रही हैं । यह काम ऐसा है जो कि बहुत जल्दी नहीं हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि सन्तोषजनक तरक्की हो रही है ।

प्रश्न संख्या ८५६ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न—श्री उमा नाथ ।

†**एक माननीय सदस्य :** अनुपस्थित ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हरी विष्णु कामत ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमन् मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर अभी दिया नहीं गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह प्रश्न समाप्त हो गया और उसके बाद हम दो प्रश्न ले चुके हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** अध्यक्ष महोदय, श्री कामत ने जाने से पहले मुझे बताया कि उन्होंने आपसे लिखित रूप में प्रार्थना की है कि उनका प्रश्न मुझे पूछने की अनुमती दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य का विश्वास करता हूं किन्तु वह प्रश्न सूची के सभी प्रश्न समाप्त करने के बाद लिया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमन् मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी नेकनीयत मे कुछ सन्देह है । श्री कामत मुझे कह गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पता नहीं माननीय सदस्य मुझपर क्यों शक कर रहे हैं । मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी नेकनीयत में सन्देह है । मैंने तो उनसे यहां तक कह दिया कि यदि श्री कामत ने लिखित प्रार्थना न भी की होती और श्री बरुआ ने कहा होता तब भी मैं उनके कथन का विश्वास करता । इसलिये मुझे लिखकर देने की कोई आवश्यकता न थी । मैं अपने से ज्यादा माननीय सदस्य का यकीन करता हूं और इसके बावजूद वे कहते हैं कि मैं उनपर शक करता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमन् यदि मैं आपको ग़लत समझा हूं तो मुझे आशा है कि आप क्षमा कर देंगे । मुझे आपकी नेकनीयत के बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

विदेशों में भारतीयों के खाते

†*८५७. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **वित्त** मन्त्री विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघन के मामले की जांच पड़ताल के बारे में २३ नवम्बर १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पड़ताल पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पड़ताल के आधार पर कोई कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य उस जानकारी का निर्देश कर रहे हैं जो श्री रामकृष्ण गुप्त के तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ और श्री प्र० गं० देव के अतारांकित प्रश्न संख्या २८८ के उत्तर में क्रमशः ३० नवम्बर, १९६१ और २६ मार्च, १९६२ को लोक-सभा को दी गई थी। इस मामले की जांच पड़ताल जारी है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यह जांच कौन कर रहा है । और क्या इस जांच में मेसर्ज़ स्टैल यूनियन एण्ड कम्पनी के लेखे भी शामिल हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मूल प्रश्न की व्याप्ति से बाहर है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : श्रीमन् मन्त्री महोदय ने कहा कि जांच-पड़ताल जारी है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या जांच में मेसर्ज़ स्टैल यूनियन एण्ड कम्पनी और मेसर्ज एलेग्जेंडर मार्कस एण्ड कम्पनी, लन्दन के लेखे भी शामिल हैं ? ये समवाय क्लिग ट्यूब्ज़ को सम्भरण करते हैं और उनका बैंक में काफी धन भी जमा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रश्न विषय से संगत नहीं है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अध्यक्ष महोदय मैं इस मामले के बारे में कोई भी जानकारी देने में असमर्थ हूं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह सही है कि एक अधिकारी जिसका नाम डिसोज़ा है और जिसे जांच करने के लिये यूरोप भेजा गया था वापस बुला लिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जांच किस तरह अथवा किसके द्वारा की जा रही है यह बताना सम्भव नहीं है । किन्तु मैं माननीय सदस्य को इस बात के प्रति आश्वस्त कर दूं कि हम सभी सम्भव उपायों से जांच कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कोई अधिकारी बाहर भेजा गया था और अब वापस बुला लिया गया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी, नहीं । ऐसी कोई बात नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने श्री पटनायक के खिलाफ लगाये गये इस आरोप की जांच कर ली है कि उन्होंने या उनकी पत्नी ने यूरोप से कुछ अप्रमाणित पत्र टाइप कराये और उन्हें प्रधान मन्त्री के समक्ष प्रस्तुत किया । प्रधान मन्त्री ने श्री पटनायक के बचाव के लिये एक वक्तव्य दिया और उनके इस वक्तव्य के कारण इस मामले की पूरी छानबीन नहीं हो पा रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह सब ग़लत है । प्रधान मन्त्री ने कोई जांच नहीं की । उनका वक्तव्य उन्हें मैं ने जो जानकारी दी थी उस पर आधारित था । प्रधान मन्त्री द्वारा जांच किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इन सज्जन ने रिजर्व बैंक की हिदायत के अनुसार विदेशी बैंकों में अपनी आस्तियों की घोषणा की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को जांच पूरी हो जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** श्रीमन् इसका जांच से कोई सम्बन्ध नहीं है। नवम्बर में कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी बैंकों में अपनी आस्तियोंकी घोषणा कर दें तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सज्जन ने अपनी आस्तियों की घोषणा की थी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** इसके लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मन्त्री ने इस प्रश्न के सभी पहलुओं की जांच करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने अभी कहा कि प्रधान मन्त्री ने कोई जांच नहीं की जबकि प्रधान मन्त्री ने मुझे एक पत्र में लिखा कि जांच की गई थी और यह पाया गया कि मामला कोई महत्व नहीं रखता। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में जांच किसने की है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रवर्तन शाखा के निदेशक ने काफी सामग्री एकत्र कर ली है और मुकदमा दायर करने के लिये सरकार से अनुमति मांगी जो उसे नहीं दी गई ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह सब गलत है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम बरुआ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमन् हम बार बार श्री डीसोज़ा के बारे में प्रश्न कर रहे हैं जिन्हें जांच के लिये यूरोप भेजा गया था। उनके प्रतिवेदन का क्या हुआ ? क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन दिया भी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जबतक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं प्रतिवेदन की बातें या उसके बारे में कोई सम्मति व्यक्त नहीं कर सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है या नहीं।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मुझे कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये उपदान योजना[1]

\+

†*८५८. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये उपदान की योजना की जांच करने के लिये तीन सदस्यों की एक समिति बनाई है ;

(ख) यह समिति इस प्रश्न के किन विशिष्ट पहलुओं पर विचार करेगी ; और

(ग) इसमें यदि कोई वित्तीय दायित्व है तो वह कैसे पूरा होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के लिये वार्षिकी या बीमे की कोई योजना बनाने की सम्भावना की जांच करना।

(ग) यह विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Gratuity Plan For University Teachers.

†**श्री महेश्वर नायक** : कालेज के अध्यापकों को अभी कोई निवृत्ति लाभ दिये जाते हों तो वे क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उन्हें भविष्य निधि का कुछ लाभ दिया जाता है ?

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह योजना गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे कालेजों के अध्यापकों को भी लागू की जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसके लिये एक समिति अभी हाल में नियुक्त की गयी है और उसने इस प्रश्न को जांच आरम्भ कर दी है। समिति को सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। मैं योजना का ब्यौरा देने की स्थिति में नहीं हूं।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : त्रिसदस्यीय समिति सम्भवत: कब तक प्रतिवेदन दे देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस में कुछ समय तो लग सकता है। किन्तु हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवेदन को शीघ्र प्राप्त करने के लिये कहेंगे।

†**श्री वासुदेवन नायर** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपदान की इस योजना पर विचार कर रहा है तो क्या वह पेंशन की योजना पर विचार ही नहीं करेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ये सारी बातें इस समिति के विचाराधीन है।

विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा

†*८५९. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में कुल कितने विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ख) इस अवधि में उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ग) क्या किन्हीं विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा देने से इंकार किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है और इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री श्री श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) १९६१ के पत्री वर्ष में विदेशों में अध्ययन के लिये कुल ३९२९ विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा दी गई जिसमें पुन: मंजूरी देने के मामले भी आ जाते हैं। १९६२ की पहली तिमाही के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विदेशों में अध्ययन के लिये १९६१ के दौरान ४६७ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गयी।

(ग) और (घ). विद्यार्थी जिन पाठ्यक्रमों के लिये विदेश जाना चाहते हैं वे यदि विनियमों के अन्तर्गत नहीं आते और/अथवा यदि आवेदनकर्ता पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी योग्यता आदि की शर्तें पूरी न करता हो तो कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती। जिन विद्यार्थियों के आवेदन अस्वीकार कर दिये गये उनके आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : क्या मन्त्री महोदय का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर गया है कि विदेशी मुद्रा के अभाव के फलस्वरूप विदेशों में गये कई विद्यार्थी अध्ययन जारी

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं रख सके और कई विद्यार्थी विदेश नहीं जा पाते ? इस सम्बन्ध में सरकार की वास्तविक नीति क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सरकार की नीति अत्यन्त स्पष्ट है और वह दिन व दिन कड़ी हो रही है। जितने विद्यार्थी विदेश जाना चाहें उन सब को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : हमें देश में काफी इंजीनियरों और प्रविधिज्ञों की आवश्यकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री स० मी० बनर्जी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मन्त्री महोदय ने बताया है कि विदेशी मुद्रा का अभाव होने के कारण कड़ा रवैया अपनाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आवेदनों पर विचार कौन करता है और यह निर्णय करता है कि विद्यार्थी के विदेश जाने की आवश्यकता है या नहीं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : सरकार ने विदेशों के पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में योग्यतायें निर्धारित कर दी हैं। वे पाठ्यक्रम भी सूचित कर दिये गये हैं जिनके लिये विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा दी जा सकती है। उनके सभी आवेदनों पर रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है। किसी विशिष्ट विनियम का अर्थ स्पष्ट न हो तो मामले का निर्देश सरकार से किया जाता है अन्यथा रिजर्व बैंक द्वारा कार्यवाही की जाती है।

†**श्री दाजी** : क्या ऐसे भी कोई मामले हैं जिनमें विदेशी मुद्रा दी गई और अध्ययन के दौरान वह वापस ले ली गई और विद्यार्थियों को अध्ययन छोड़ वापस आना पड़ा हो ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : ऐसा कोई मामला नहीं हुआ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रत्येक पत्री वर्ष में विदेशी मुद्रा देने के लिये विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या या विदेशी मुद्रा की अधिकतम राशि निर्धारित की जाती है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी, नहीं।

जीवन बीमा निगम के क्षेत्र अधिकारियों की पदोन्नति तथा बीमों का व्यपगत होना

+

†*८६०. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री उमा नाथ :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के क्षेत्र अधिकारियों में पदोन्नति केवल इस आधार पर की जाती है कि निगम ने व्यापार का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह पूरा हुआ है या नहीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप व्यापार में बनावटी वृद्धि हुई है और साथ ही ५० से ७० प्रतिशत तक बीमे व्यपगत हुए हैं तथा अवांछित पदोन्नतियां हुई हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो पदोन्नति देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) वरिष्ठता का उचित ध्यान रखते हुए योग्यता और पात्रता ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि १९५९ के बाद गत वर्ष की व्यपगत राशि की घोषणा नहीं की जाती ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे पास १९६० के आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि व्यपगत राशि का अनुपात बहुत कम है । वह ६.६ है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि क्षेत्रीय कर्मचारियों को वार्षिक बोनस देने से इन्कार कर दिया गया है जब कि प्रबन्धकों और इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति ने बोनस देने की सर्वसम्मत सिफारिश की थी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मूल प्रश्न पदोन्नति के बारे में था । उसका क्षेत्रीय कर्मचारियो के अन्य पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि कर्मचारियों द्वारा किये गये व्यापार पर निर्भर करती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : पदोन्नति के लिये कई मानदंड निर्धारित किये गये हैं । पदोन्नति के समय उन सब पर विचार किया जाता है ।

सुपरसोनिक एच० एफ० २४ विमान

†*८६३. **श्री बृज राज सिंह** (कोटा) : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय विमान बल स्क्वैड्रन संख्या में सुपरसोनिक एच० एफ० २४ लड़ाकू विमान शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : "प्रस्ताव" का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । एच० एफ० २४ विमान की रचना और निर्माण भारतीय विमान बल की स्क्वैड्रन संख्या के लिये किया गया था । इसी प्रयोजन से उसका विकास किया गया है और भारतीय विमान बल द्वारा काम में लाने के लिये उसके उत्पादन की आयोजना की गई है ।

†**श्री बृज राज सिंह** (कोटा) : इस विमान के लिये एरो इंजन प्राप्त करने में हाल में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई थी तो अब क्या स्थिति है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : कठिनाई का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । एच० एफ० २४ में फिलहाल जो इंजन होता है वह वर्तमान कार्य के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है । बाकी इंजन आगे विकास करने पर आवश्यक होंगे ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इस विमान की विकास की दूसरी अवस्था में उसमें आर्फियस-४ इंजन लगाने का विचार था जिनका उत्पादन ब्रिस्टल-सिडले ग्रुप आव ब्रिटेन द्वारा किया जाने वाला था और आगे चल कर उन्होंने यह योजना त्याग दी जिससे हमारी योजना में गड़बड़ हो गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : एच० एफ०-२४ विमान के विकास की दूसरी अवस्था तभी आयेगी जब कि पहली अवस्था पूरी हो जाये। दूसरे यह कि मैंने आर्फियस-४ इस इंजन का नाम पहले कभी नहीं सुना।

†**श्री शिवाजीराव सं० देशमुख** : क्या यह सच है कि इस विमान के विकास के लिये जिस आर्फियस-४ इंजन का आर्डर दिया गया है वह विमान को ध्वनि की गति से अधिक नहीं वरन् कम गति से उड़ा सकता है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : माननीय सदस्य को इन इंजनों के बारे में कुछ गलतफहमी है। आर्फियस विमान आजकल आर्फियस इंजन से चलाया जाता है जो विमान को ध्वनि की गति से अधिक तेज उड़ा सकता है। मैं आंकड़े तो नहीं देना चाहता किन्तु यह इंजन ध्वनि की गति से कुछ ही तेज गति दे सकता है।

आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर स्थित बंकरों पर पाकिस्तान द्वारा पुनः कब्जा

+

†*८६४. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में कुछ नागा विद्रोहियों के पूर्वी पाकिस्तान भाग जाने के पश्चात्, आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर स्थित बंकरों पर पुनः कब्जा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) हमें प्रश्न में उल्लिखित घटना की जानकारी नहीं है किन्तु हम पूछताछ करेंगे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि असम सरकार ने इस घटना के बारे में पाकिस्तान सरकार को एक विरोध-पत्र भेज दिया है ? मुझे आश्चर्य है कि सरकार इसके बारे में अनभिज्ञता प्रकट कर रही है। यह घटना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री क्या कहना चाहते हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई होगी लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान भाग जाने वाले नागा विद्रोहियों को भागने का अवसर देने के लिये ये पाकिस्तानी सैनिक आये, उन्हें सीमा पर तैनात किया गया और उन्होंने बंकरों पर कब्जा करके नागा विद्रोहियों को भाग जाने का अवसर प्रदान किया ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मेरा ख्याल है नागा विद्रोहियों के बच निकलने के बारे में प्रधान मंत्री ने सभा को पूरी जानकारी दे दी है। प्रश्न में हमारे बंकरों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कब्जा जमाने का उल्लेख किया गया है। ये बंकर सेना के नियंत्रण में होते हैं और यदि उन पर कब्जा जमाया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया होता तो मुझे उसकी जानकारी अवश्य होती। किन्तु चूंकि यह मामला महत्वपूर्ण है इसलिये मैंने पूछताछ करने का आश्वासन दिया है।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा मंत्री मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों के भाग जाने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर स्थित बंकरों पर पुनः कब्जा जमा लिया है। प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने वास्तव में पुनः कब्जा जमा लिया है।

श्री हेम बरुआ : ये बंकर पूर्व पाकिस्तान-आसाम सीमा पर स्थित हैं। इनमें से कुछ बंकर हमारे हैं और वे हमारे क्षेत्र में स्थित हैं। कुछ बंकर पाकिस्तान के हैं और वे उसके क्षेत्र में स्थित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने यही उत्तर दिया है।

†**श्री हेम बरुआ** : जी, नहीं। उन्होंने हमारे बंकरों के बारे में बताया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने बताया कि यदि पाकिस्तान ने हमारे बंकरों पर कब्जा किया होता तो उन्हें इसकी जानकारी अवश्य होती। किन्तु चूंकि मामला महत्वपूर्ण है इसलिये उन्होंने कहा है कि वे पूछताछ करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन्, पाकिस्तान द्वारा हमारे बंकरों पर कब्जा करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। भारत और पाकिस्तान के बीच करार हुआ था कि ये बंकर खाली कर दिये जायें और उन पर फिर कभी कब्जा न किया जाये। पाकिस्तान ने करार का उल्लंघन कर इन बंकरों पर कब्जा जमाया है।

†**श्री कृष्ण मेनन** : हमारी जानकारी यह है कि करार का उल्लंघन कर बंकरों पर कब्जा नहीं किया गया।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने किस नियम के अन्तर्गत ऐसा किया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक

†*८६५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री नम्बियार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के तीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा प्रबन्धकों की कथित ज्यादतियों के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिये भूख हड़ताल करने के निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा निदेशक ने हाल ही में सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों को भेजे गये एक परिपत्र में उनका ध्यान व्यवस्थापकों द्वारा की गई अनियमितताओं और कदाचारों से उत्पन्न होने वाली स्थिति की गम्भीरता की ओर दिलाया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि निदेशक ने अपने वक्तव्य में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि बुराइयों को समाप्त करने के लिये कोई कारगर उपाय निकालना ही होगा ; और

(घ) क्या सरकार निदेशालय को यह परामर्श देने का विचार कर रही है कि वह अनुदान देना बन्द कर दे जो कि कुल आवर्तक व्यय का ९५ प्रतिशत होता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). जी, हां ।

(घ) यदि चेतावनी देने के बावजूद कोई व्यवस्थापक कदाचार के दोषी पाये जाते हैं और सरकारी नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हैं तो अनुदान बन्द करने के सिवा और कोई चारा नहीं है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि शिक्षा निदेशक ने प्रबन्धकों के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये हैं, क्या इस अवस्था पर तुरन्त कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : तुरन्त कार्यवाही की गई है, की जा रही है और की जायेगी ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : जब सरकार स्वीकृत व्यय का ९५ प्रतिशत अनुदान देती है तो क्या केन्द्रीय सरकार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आरोप लगाने की प्रतीक्षा किये बिना कार्यवाही नहीं कर सकती ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । दिल्ली प्रशासन इन संस्थाओं का संचालन करता है और वही उनके बारे में आवश्यक कार्यवाही करता रहा है । जब कभी कोई संस्था दोषी पाई जाती है तो आवश्यक कार्यवाही की जाती है । भविष्य के लिये भी शिक्षा निदेशक ने उन्हें चेतावनी दे दी है कि यदि वे कदाचार करें तो अनुदान देना बन्द करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि इन शिक्षा संस्थाओं को जब शिक्षा विभाग की ओर से ९५ प्रतिशत सहायता दी जा रही है तब शिक्षा विभाग स्वयं क्यों नहीं अपने हाथ में ले लेता या कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नियुक्त नहीं कर देता ?

डा० का० ला० श्रीमाली : शिक्षा विभाग की यह नीति नहीं है । हम चाहते हैं कि समाज का सम्बन्ध शिक्षा के साथ बना रहे । अगर सौ प्रतिशत भी देना पड़े तो भी मैं चाहूंगा दे दिया जाय लेकिन समाज का सम्बन्ध शिक्षा संस्थाओं के साथ बना रहे । यह जनतन्त्र के लिये स्वस्थ है ।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की शिकायतें थी जिनके कारण इन अध्यापकों को भूख हड़ताल करनी पड़ी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : शिकायतें जब आती हैं तो उन पर कार्यवाही की जाती है और सजा दी जाती है ।

श्री राम सेवक यादव : किस प्रकार की शिकायतें यह थीं, यह मैंने जानना चाहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कई बार लड़कों से ज्यादा फीस ले ली जाती है, अध्यापकों को तनख्वाह वक्त पर नहीं दी जाती है, हिसाब किताब में गड़बड़ी करते हैं तथा इस तरह की दूसरी शिकायतें होती हैं । ये शिकायतें जब आती हैं तब उन पर कार्रवाई की जाती है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : इस बात को देखते हुए कि कुछ व्यवस्थापकों ने गम्भीर त्रुटियां की हैं क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि यदि स्कूल फीस सरकार के पास जमा कर दी जाये तो सरकार को शिक्षकों को सीधे वेतन दे सकती है जैसा कि कुछ राज्यों में होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: मुख्य कठिनाई वेतन के भुगतान की है। सरकार अब व्यवस्थापकों को अग्रिम भुगतान करती है है ताकि वेतन का समय पर भुगतान किया जा सके। मेरी जानकारी यह है कि अधिकांश संस्थाओं में वेतन समय पर दे दिया जाता है। जब कभी सरकार का ध्यान किस अनियमितता की ओर दिलाया जाता है तो आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

†**श्रीमती सावित्री निगम**: क्या मन्त्री महोदय जानते हैं कि कुछ कालेजों में व्यवस्थापक बहुत ज्यादा फीस वसूल करते हैं? सरकार इस बात को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का इरादा रखती है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य कृपया ऐसे उदाहरण मुझ बतायें। आवश्यक कावर्याही की जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अध्यापकों की भूख हड़ताल के दौरान शिक्षा निदेशक ने एक समाचारपत्र को भेंट में बताया कि वे व्यवस्थापकों द्वारा निर्देशों का पालन कराने में असमर्थ हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इस वक्तव्य की जानकारी नहीं है। शिक्षा निदेशक व्यवस्थापकों के खिलाफ लगाये गये विभिन्न आरोपों की जांच कर रहे हैं। दोषी पाये गये व्यवस्थापकों के खिलाफ आवश्यक कायवाही की जायेगी। मैं नहीं समझता कि सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने में असमर्थ है।

दिल्ली में कपड़ा मिल में उपद्रव

\+

†*८६६. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ मई, १९६२ को दिल्ली में आजादपुर के समीप जी० टी० रोड पर स्थित एक मिल के प्रबन्धकों और कर्मचारियों में झगड़ा हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो झगड़े के क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार ने उनको दूर करने के लिये क्या उपाय किये?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). यह सूचना मिली है कि २ मई, १९६२ की प्रातःकाल को अजुध्या कपड़ा मिलों के कुछ कार्यकर्ता बलपूर्वक मिल के दफ्तर के अन्दर घुस गये और उन्होंने जनरल मैनेजर को अपना काम शुरू करने से रोकना चाहा। जनरल मैनेजर भाग गया और उसने फैक्टरी के दरवाजे के समीप एक कमरे में शरण ली। कार्यकर्त्ताओं ने उस कमरे को खोलने के लिये जोर लगाया। पुलिस की एक टुकड़ी पर कार्यकर्त्ताओं ने हमला किया, जिसने शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये हस्तक्षेप किया। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है जिसकी जांच हो रही है।

(ग) अब सूचना मिली है कि मिल ठीक चल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : क्या यह सत्य है कि इस झगड़े के पहले जनरल मैनेजर और वहां के वर्कर्ज़ के बीच झगड़ा हो चुका है और जनरल मैनेजर महोदय हटा दिये गये थे ?

†**श्री दातार** : यह सच था कि स्वयं मजदूरों के बीच मतभेद था। कुछ चाहते थे कि जनरल मैनेजर को हटा दिया जाए। दूसरे चाहते थे कि वह बना रहे। इस प्रकार गड़बड़ी शुरू हुई।

श्री राम सेवक यादव : क्या यह सत्य है कि जनरल मैनेजर के खिलाफ चरित्र सम्बन्धी कुछ शिकायतें थीं वर्कर्ज़ को, इसलिये वह हटा दिये गये थे और फिर लाये गये ?

†**श्री दातार** : यह सही था कि उसके विरुद्ध शिकायतें थीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डेरी उपकरण और मशीनों का निर्माण

†*८३६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डेरी उपकरण और मशीनों के निर्माण के लिये कोई व्यवस्था की गई है अथवा की जाने वाली है और यदि हां, तो क्या ; और

(ख) इन चीजों का वर्तमान उत्पादन कितना है और भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). २.६ करोड़ रुपये वार्षिक की कुल क्षमता वाली चार इकाइयों को डेरी सम्बन्धी मशीनों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। वर्तमान उत्पादन १० लाख रुपये वार्षिक है।

भाषाई अल्पसंख्यक

†*८४३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने इन व्यौरों की कोई छानबीन की है कि पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के बच्चों को मातृभाषा में कहां तक शिक्षा दी जा रही है; और

(ख) क्या उन अल्पसंख्यकों की, जो नगरपालिका क्षेत्र में काफी संख्या में है, मातृभाषा के हाई स्कूलों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता देने की कोई योजना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में भाषाई अल्पसंख्यकों सम्बन्धी आयुक्त के तीसरे प्रतिवेदन के अध्याय २ को देखिये, जो २४ अप्रैल, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था।

(ख) जी नहीं।

स्नेहन तेलों के लिये नये कारखाने

†*८४५. **श्री मुरारका** : क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नेहन-तेलों के उत्पादन के लिये भारत में नये कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन की क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) उन में सम्भवतः कब उत्पादन शुरू हो जायेगा ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते।

तकनीकी शिक्षा में दशमिक प्रणाली

†*८४६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी संस्थाओं में दशमिक प्रणाली अपनाने के लिये और दशमिक प्रणाली के आधार पर पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये सरकार ने क्या विशेष प्रयत्न किये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मीट्रिक प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन १९६२–६३ सत्र से धीरे धीरे जारी किया जाएगा। वर्तमान उपकरण को या तो नई प्रणाली के लिये पुनः ठीक किया जाएगा अथवा जहां कहीं जरूरत होगी बदल दिया जाएगा। खरीदा जाने वाला नया उपकरण मीट्रिक प्रणाली में होगा।

लेखकों को वर्तमान पाठ्य-ग्रन्थों को पुनः लिखने या उचित नई पुस्तकें लिखने के लिये सहायता दी जाएगी।

भारतीय वन सेवा

†*८४९. **श्री ओझा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय वन सेवा पुनः आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सरकार वन विभाग में एक नई अखिल भारतीय सेवा, अर्थात् भारतीय वन सेवा स्थापित करने का विचार करती है।

(ख) वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के समान, प्रत्येक राज्य की अपनी पदावलि होगी, और प्रत्येक राज्य में केन्द्र को डेपुटेशन के लिये उचित अभ्यंश होगा। सेवा में सीधी भरती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाएगी तथा प्रत्येक राज्य में वरिष्ठ पदों के कुछ अनुपात के लिये भरती राज्य वन सेवा के अफसरों में से की जाएंगी।

सेवा का ब्यौरा अभी तैं नहीं हुआ। अभी राज्य सरकारों के परामर्श के साथ उस पर विचार किया जा रहा है।

ग्राम चुनावों पर खर्चा

*८५०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ग्राम चुनावों पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने कितना व्यय किया ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने १९५२ और १९५७ के ग्राम चुनावों में नामजदगी के फार्म और चुनाव एजेंटों को नियुक्त करने के फार्म निःशुल्क दिये थे जबकि १९६२ में ये बेचे गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इनको किन कारणों से बेचा गया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उम्मीदवारों को इससे असुविधा हुई; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य में ये फार्म निःशुल्क देने पर विचार कर रही है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) चूंकि आम चुनाव हाल ही में समाप्त हुए हैं अतः विभिन्न राज्य सरकारों को जिला अधिकारियों से इस बात की जानकारी इकट्ठी करने में कि चुनावों पर कितना खर्च हुआ है, कुछ समय लगेगा ।

(ख) १९५२ और १९५७ के आम चुनावों में भी सभी राज्य सरकारों ने नामजदगी के फार्म और चुनाव एजेण्टों को नियुक्त करने के फार्म निःशुल्क नहीं दिये थे। १९६२ के आम चुनावों में ये फार्म नाम मात्र की कीमत पर बेचे गये थे ।

(ग) १९६२ के आम चुनावों में से फार्म इसलिये बेचे गये थे ताकि फार्मों की व्यर्थ हानि न हो और निःशुल्क वितरण से पक्षपात होने की शिकायतों का अवसर न आये और इस बात का भी सुनिश्चय हो जाये कि छपे हुए फार्म उनके वास्तविक जरूरतमन्दों को उनके अपने स्थान पर ही मिल गये हैं ।

(घ) जी नहीं । उम्मीदवार छपे हुए, टाइप किये हुए या हाथ से लिखे हुए अपने निज के फार्मों का भी उपयोग कर सकते थे ।

(ङ) जी नहीं ।

कावेरी-बेसिन में तेल

†*८५५. **श्री उमा नाथ** : क्या **खान और इंधन** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक के परिणामों से पता लगता है कि कावेरी बेसिन में तेल मिलने की ५० प्रतिशत से अधिक संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने कुएं बनाने के लिये तत्काल खुदाई-कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कुओं की खुदाई का काम सरकार कब आरम्भ करेगी ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक इकट्ठी की गई सूचना से पता चलता है कि तट की ओर तलछट मोटा हो रहा है और तेल बनने के लिये उचित हालात मौजूद हैं । तथापि तेल जमा होने के लिये उचित स्थान अभी तक मालूम नहीं हो पाया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) खुदाई आरंभ करने का प्रश्न तभी उठेगा जब उचित ढांचा मालूम हो जाएगा ।

विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

†*९५६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में, विशेषकर १९४१–४५ की अवधि में योरप और एशिया मे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में संचालित, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास तैयार करने का है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो परियोजना का क्या ब्यौरा है और अब यह किस व्यवस्था में है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) से (ग). तीन जिल्दों में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास तैयार हो रहा है जिस में इन कारनामों का भी उल्लेख होगा। पहली जिल्द प्रकाशित हो चुकी है और दूसरी तैयार की जा रही है।

नागालैंड में तेल के निक्षेप

†*८६१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में तेल के बड़े निक्षेप होने का कोई चिह्न है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में तेल विशेषज्ञों के एक दल को वहां भेजने के लिए बुलाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कहां से बुलाया जा रहा है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) नागा पहाड़ियां क्षेत्र में बहुत से स्थानों में तेल और गैस पाये जाते हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

संस्कृत पंडितों का राष्ट्रीय रजिस्टर

†*८६२. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत पंडितों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां तो अब तक कुल कितने संस्कृत पंडितों के नाम उस रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं ; और

(ग) रजिस्टर में पंडितों के नामों के दर्ज किये जाने के लिये क्या योग्यतायें निर्धारित की गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

केन्द्रीय संस्कृत मंडल ने संस्कृत पंडितों के राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल करने के लिये पंडितों को चुनने के लिये निम्न कसौटी मंजूर की है :—

(१) पंडित कम से कम एक शास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में विख्यात होना चाहिये ;

(२) उसने कम से कम १५ वर्षों तक सफल पूर्वक शास्त्र पढ़ाये हों ; और

(३) उसने महत्वपूर्ण अनुसंधान या साहित्यिक कार्य किया हो।

उपरोक्त आधार पर विभिन्न संस्कृत विद्वानों के बारे में एकत्रित की गई सूचना की छानबीन केन्द्रीय संस्कृत मंडल के परामर्श से की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले का नियतन

†*८६७. **श्री वाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्व नाथ राय :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को कोयले के अभ्यंशों (कोटा) के नियतन में फेरबदल की है ;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन किस आधार पर किया गया है ; और

(ग) १९६२-६३ के लिये विभिन्न राज्यों को कितना अभ्यंश नियत किया गया है और १९६१-६२ में नियतन कितना था तथा इसमें से वास्तव में कितना कोयला विभिन्न राज्यों द्वारा उठाया गया ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) से (ग). विभिन्न राज्यों में कोयले के अभ्यंश के आवंटन में संशोधन किया गया है ताकि यह उपलब्ध रेल परिवहन क्षमता के साथ समीप से मेल खा सके। उपलब्ध परिवहन क्षमता से कहीं अधिक अभ्यंश आवंटित करने के स्थान पर उपभोक्ताओं के हित में यह बात है कि यथार्थ आवंटन किया जाए, जिसके वास्तव में उठाये जाने की आशा की जा सके ताकि उपभोक्ता अपनी इकाइयों के संचालन की उचित रूप से योजना कर सकें। १९६१ और १९६२ में विभिन्न राज्यों को आवंटित कोयले का अभ्यंश तथा १९६१ में इन राज्यों को भेजे गये कोयले को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रख जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७४]**

नये विश्वविद्यालय

†*८६८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी विधि बनाने का विचार किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों के लिये अपने अपने प्रदेशों में नये विश्वविद्यालय स्थापित करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करना अनिवार्य हो; और

(ख) यदि हां, तो यह विधान कब तक बनेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

गुरुकुल कांगड़ी और जामिया मिलिया इस्लामिया

*८६९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुरुकुल कांगड़ी और जामिया मिलिया इस्लामिया को राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित करने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ की धारा ३ के अन्तर्गत इन संस्थाओं को "विश्वविद्यालय" घोषित करने से संबंधित प्रश्न अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिश्रधातु और विशेष औजार संयंत्र

†*८७०. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्रधातु और विशेष औजार संयंत्र के निर्माण में अब तक जो प्रगति हुई है वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है ;

(ख) यदि नहीं, तो काम को तेज करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) परियोजना की अन्तिम अनुमानित लागत क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग). धातु मिश्रित तथा विशेष इस्पात संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रगति अनुसूची से कुछ पीछे है । इस का मुख्य कारण यह है कि सलाहकारों द्वारा तैयार की गई परियोजना संबंधी रिपोर्ट को छानबीन 'उत्पादन ज्ञान सलाहकार' तथा हिन्दुस्तान इस्पात सीमित द्वारा करनी थी जिसके परिणाम स्वरूप कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है । इन परिवर्तनों के वित्तीय दायित्व की जांच की जा रही है ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ता

†*८७१. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानत: कितना खर्च होगा ; और

(ग) इस से कुल कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) १ नवम्बर १९६१ से, महंगाई भत्तों की संशोधित दरें ४०० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों के लिये कर दी गई हैं । प्रतिरक्षा सेवाओं के अफसरों को उसी दर पर मंहगाई भत्ता मिलता है और उन्हीं शर्तों पर जो असैनिक सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं । अफसर के दर्जे से नीचे के प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को इस बात की दृष्टि से कि उन को नि:शुल्क राशि और कुछ दूसरी रियायतें दी गयीं हैं, जिनसे उन की निर्वाह लागत बढ़ने पर कम प्रभाव पड़ता है, कम दरों पर मंहगाई भत्ता मिलता है ।

(ख) और (ग). वित्तीय प्रभाव संबंधित होता है और इस कारण महंगाई भत्ते की वास्तविक दरों पर निर्भर होता है, जो अफसर दर्जे के नीचे प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के लिये आखिरकार होती है । इस निर्णय से प्रतिरक्षा सेवाओं के कुल कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा, यह बताना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री काशी विद्यापीठ, बनारस

*†८७२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने श्री काशी विद्यापीठ, बनारस को राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब से क्रियान्वित होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अन्तर्गत काशी विद्यापीठ को "विश्वविद्यालय" घोषित करने से संबंधित प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उनकी सलाह के लिए भेजा गया है और यह अभी उनके विचाराधीन है ।

'टाटा मर्सिडीज बेंज' बसें

†*८७४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश मामलों में 'टाटा मर्सिडीज बेंज' बसों के प्रादेशिक विक्रेता इन मोटर गाड़ियों को अत्यधिक चोर-बाजारी के भाव पर बेच रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक किसी विशिष्ट मामले का पता लगाया है और जांच की है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम):** (क) और (ख). सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं कि टाटा मर्सीडिज बेंज बसों के प्रादेशिक व्यापारी चोर-बाजारी में या सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यों से अधिक मूल्य पर गाड़ियां बेच रहे हैं ।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नकदी संभालने[२] के लिये विशेष वेतन

†*८७५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री नम्बियार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'नकदी संभालने के लिये विशेष वेतन' दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निदेश को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के अधीन सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे अपर डिवीजन क्लर्कों पर लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आदेशों को क्रियान्वित कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). प्रश्न में उल्लिखित वित्त मंत्रालय की हिदायतों का मंत्रालयों और विभागों के प्रमुखों का शक्तियों के प्रत्यावर्तन से सम्बन्ध है कि वे लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों और सहायकों को विशेष वेतन दे सकें, जिनको खंजानची का काम करना पड़ता है । ये आदेश स्वतः सरकारी हायर सैकेंडरी स्कूलों के अपर डिवीज़न क्लर्कों को इन हिदायतों में उल्लिखित विशेष वेतन का हकदार नहीं बनाते । इन अपर डिवीज़न क्लर्कों को धन सम्बन्धी काम करने के लिये विशेष वेतन देने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान में श्रमिकों में क्षोभ

†*८७६. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान मे गोली चलाये जाने और श्रमिकों में विद्यमान क्षोभ के बारे में जांच करने के लिये कोई जांच समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति में कौन कौन से व्यक्ति हैं ; और

(ग) क्या समिति ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग). महाराष्ट्र राज्य के एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर० के० रानाडे की सेवायें एक जांच करने के लिए प्राप्त की जा रही हैं। निकट भविष्य में इस जांच के आरम्भ हो जाने की आशा है।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी विधान

†*८७७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **शिक्षा** मंत्री २६ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, मद्रास और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने इस बात के कोई कारण बताये हैं कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी विधान के बारे में उन्हें कोई कार्यवाही क्यों नहीं करनी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला०श्रीमाली):** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). कारण निम्नलिखित हैं :

(१) केरल : केरल शिक्षा अधिनियम, १९५८ केवल फरवरी, १९५९ में लागू हुआ था। अधिनियम के भाग २ में ६ और १४ वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। दिल्ली अधिनियम के साथ साथ राज्य सरकार ने राज्य अधिनियम के उपबन्धों का भी परीक्षण किया है। यह पाया गया कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने के आवश्यक उपबन्ध दोनों अधिनियमों में हैं और अधिनियम के भाग २ के लागू हो जाने पर अनिवार्य शिक्षा को लागू करना संभव हो सकेगा। अतः राज्य सरकार केरल शिक्षा अधिनियम १९५८ के भाग २ का निरसन करना और नया विधान बनाना आवश्यक नहीं समझती।

(२) मद्रास : दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६० के प्रमुख उपबन्ध इस राज्य में मद्रास शिक्षा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों में आ जाते हैं। लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण योजना के अधीन २-१०-६० से पंचायत संघ तीन समुदायों में बन गयी हैं और अन्तिम समुदाय २-१०-६१ को बना।

कुछ समय तक उनका काम देखने के बाद, पंचाय और पंचायत संघों के कार्यकरण के पुनर्विलोकन के साथ साथ वर्ष १९६३ में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम का व्यापक रूप से पुनर्विलोकन करने का प्रस्ताव है। उक्त पुनर्विलोकन के आधार पर नया अधिनियम बनाते समय,

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली अधिनियम के उन उपबन्धों पर, जो इस राज्य के अधिनियम में नहीं हैं और जिन्हें इसमें लगाने की आवश्यकता है, राज्य सरकार विचार करेगी ।

(३) पश्चिम बंगाल : राज्य सरकार की यह राय है कि दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६० की अधिकांश महत्वपूर्ण बातें इस समय अधिनियम में संशोधन किये बिना ही लागू की जा सकती हैं ।

भारत को पश्चिमी जर्मनी से ऋण

†*८७८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी हाल ही में भारत को ८५० लाख मार्क का ऋण देने को राजी हो गया है जिससे कि रूरकेला इस्पात कारखाने को ऋण चुकाने में सहायता मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो यह करार किन शर्तों पर हुआ है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख). जी, हां । रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये जर्मन संभरणकर्ताओं के साथ किये गये संविदाओं के अधीन १९६२-६३ में देय भुगतान का पुनर्वितीकरण करने के लिये डी एम ८५० लाख के ऋण के लिये फेडरल जर्मन अधिकारियों के साथ ४ मई, १९६२ को एक करार किया गया था । ऋण पर ५½% ब्याज होगा और वह १२ वर्षों में लौटाया जाना है ।

बर्मा शैल के साथ करार का समापन

†*८७९. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा ने सरकार के पास कुछ प्रस्ताव भेजे हैं कि स्वीकार किये जाने के बाद बर्मा और सरकार के बीच वर्तमान परिषद् करार समाप्त हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या निर्णय किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). ये बातें विस्तृत चर्चा के लिये हैं और एक पक्का प्रस्ताव नहीं है जिसकी जांच की जा रही है ।

सूर्य का अध्ययन

†*८८०. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष' की तरह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'सूर्य का वर्ष' मना कर सूर्य का अध्ययन करने का प्रस्ताव है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस कार्य में भारत भाग लेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये विश्व-विख्यात वैज्ञानिकों के दल भी शामिल होने के लिये वैज्ञानिकों का चुनाव किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) इस काम के लिये दल के बारे में इतना शीघ्र फैसला नहीं किया जा सकता, किन्तु जिन संगठनों और वैज्ञानिकों ने अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष कार्यक्रमों में भाग लिया था उन के इसमें भाग लेने की संभावना है ।

पानागढ के कर्मचारी

†*८८२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानागढ़ की अवधि दो वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कर्मचारियों में गम्भीर असन्तोष फैला हुआ है ;

(घ) क्या इस बारे में अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ पूर्वी कमान के चीफ इन्जीनियर से विरोध प्रकट कर चुका है ; और

(ङ) अवधि को तीन वर्ष से घटा कर दो वर्ष करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह सही है कि सेना इंजीनियर सेवा के असैनिको के लिये पानागढ़ में अवधि दो वर्षों से तीन वर्ष तक बढ़ा दी गई है । एम० ई० एस० में, विभिन्न संबलों के मुख्य इंजीनियरों को, स्थान पर उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, विशिष्ट स्थानों में असैनिक कर्मचारियों की उपयुक्त अवधि निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है । प्रशासन की दृष्टि से, बहुत थोड़ी अवधि हटाना भी आवश्यक होता है। अब पानागढ़ में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके कारण यह अवधि वृद्धि युक्तियुक्त है । कर्मचारियों में भारी असन्तोष की सूचना प्राप्त नहीं हुई । तथापि एम० ई० एस० कर्मचारी संघ की ओर से पूर्व संबल के मुख्य इंजीनियर के पास एक अभ्यावेदन आया है ।

जीवन बीमा निगम का कार्य

†१५०३. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९, १९६० और १९६१ में क्रमशः जीवन बीमा निगम को कितने रुपये का नया काम मिला ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पहले प्रीमियम के दिये जाने के बाद इसमें से कितना काम व्यपगत हो गया ;

(ग) इन व्यपगत पालिसियों में से कितनी में प्रीमियम मासिक आधार पर दिया गया था; और

(घ) इन वर्षों में कुल समूची और नवीकरण व्यय अनुपात क्या था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९५९ में ४२९.१७ करोड़ रुपये ।
१९६० में ४९७.५४ करोड़ रुपये ।
१९६१ में ६०८.८२ करोड़ रुपये ।

(ख) और (ग). सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ)

	कुल	नवीकरण
१९५९.	२८.७ प्रतिशत	१२.९२ प्रतिशत
१९६०.	२८.० प्रतिशत	१२.९० प्रतिशत
१९६१.	. सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।	

अपाहिजों के स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

†**१५०४. श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में मैसूर राज्य में अपाहिजों के लिये शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिनको अनुदान दिये गये है ;

(ख) प्रत्येक के लिये कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ग) किस काम के लिये अनुदान दिया गया था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). मैसूर में ऐसे किसी स्वयंसेवी संगठन ने उपरोक्त अवधि में अनुदान के लिये प्रार्थना नहीं की और इसलिये कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया ।

विशेष पुनर्गठन एकक

†**१५०५. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक मन्त्रालय में विभागवार व्यय कम करने की सम्भावना की जांच करने के लिये एक अभिकरण स्थापित किया है ;

(ख) क्या इसकी सिफारिशों का अनुमालन करने में हुई मितव्ययता की कोई सावधिक समीक्षा की जाती है ;

(ग) इस मामले में संगठन तथा उपाय संगठन कहां तक सहायक हैं; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां । जून १९५७ में मन्त्रालयों विभागों में आन्तरिक मितव्ययता समितियां स्थापित की गई थीं, जिनका काम सामान्यतया चालू कार्यों के स्वरूप

†मूल अंग्रेजी में

तथा क्षेत्र की जांच करना तथा कुशलता बढ़ाने एवं व्यय को कम करने के द्वारा मितव्ययता करने की दृष्टि से व्यापार स्तरों की समीक्षा करना था। विशेष इकाई के अतिरिक्त, वित्त मन्त्रालय में एक 'विशेष पुनर्गठन इकाई', प्रशासन में मितव्ययता लाने के साथ-साथ कुशलता बनाये रखने के लिये काम के तरीकों और संगठन सम्बन्धी ढांचे का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने तथा क्रमबद्ध तरीके से कर्म-चारियों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिये काम के भार का अनुमान लगाने की दृष्टि से तीन वर्ष के कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न मन्त्रालयों के काम का अध्ययन करने के लिये स्थापित की गई है।

योजना आयोग में योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति कुशलता बढ़ाने तथा लागत घटाने के उद्देश्य से विभिन्न मन्त्रालयों के अधीन विशिष्ट परियोजनाओं का अध्ययन भी करती है।

(ख) आन्तरिक मितव्ययता समितियों के प्रयत्नों के द्वारा मन्त्रालय/विभागों द्वारा की गई मितव्ययता पर दो स्तरों पर विचार किया जाता है, एक मन्त्रालयों से सम्बद्ध वित्तीय सलाहकारों द्वारा और तब संगठन तथा तरीका प्रभाग द्वारा। संगठन तथा तरीका प्रभाग मन्त्रालयों में प्राप्त सूचना का समन्वय करके समेकित प्रतिवेदन मन्त्रिमण्डल के सामने पेश करता है।

मन्त्रालयों द्वारा बताई गई मितव्ययता के स्वरूप और मात्रा की समीक्षा किये जाने के उपरांत अब यह फैसला किया गया है कि मितव्ययता विवरण का संकलन बन्द कर दिया जाए। हिदायतें दे दी गई हैं कि मन्त्रालय अपने क्षेत्राधिकाराधीन प्रशासन के क्षेत्र निश्चित करें, जिनमें लागत घटाने की दृष्टि से विस्तृत अध्ययन करने के लिये ध्यान देने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में सावधिक रिपोर्टें पेश की जाएंगी।

(ग) संगठन तथा तरीका प्रभाग अन्तर्मंत्रालय सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन और अनुसन्धान करने के लिये जिम्मेवार हैं, जिनमें कुशलता लाने की दृष्टि से प्रक्रियाएं, संगठन के तरीके और स्वरूप शामिल हैं। यह कार्य अध्ययन सम्बन्धी प्रशिक्षण क्रम तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों के लिये संगठन तथा तरीकों के तरीके भी आयोजित करता है।

(घ) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा (स्वायत्तशासी निकायों समेत) १९५७-५८ से १९६०-६१ में की गई बचत नीचे दिखाई जाती है :

१९५७-५८	.	२४०७९,००० रुपये
१९५८-५९	.	११६८०१४०० रुपये
१९५९-६०	.	१९५४०२१०० रुपये
१९६०-६१	.	९५२३३४०० रुपये

विशेष पुनर्गठन इकाई द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामस्वरूप, विभिन्न संगठनों में फालतू कर्मचारियों का पता लगाया जा सकता है—हालांकि फालतू कर्मचारियों को तीसरी योजना की योजनाओं से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त जिम्मेवारियों तथा कार्यों के सामान्य विस्तार द्वारा अपेक्षित अधिक लोगों की आवश्यकताओं के लिये और नये कामों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों सम्बन्धी प्रस्थापनाओं में कमी करने के लिये रख लिया गया है। इस फालतू कर्मचारियों की वित्तीय लागत का १९६०-६१ में १८ लाख रुपये और १९६१-६२ में ४८ लाख रुपये का अस्थायी तौर पर अनुमान लगाया गया है।

तीसरी योजना अवधि के लिये योजना सम्बन्धी परियोजनाओं की समिति के निर्माण परियोजना दल की सिफारिशों के परिणामस्वरूप उल्लिखित मितव्ययता उपायों का वित्तीय प्रभाव, केवल

निवास वाली इमारतों के बारे में ३ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के आवर्ती व्यय में और पूंजी व्यय में ३० करोड़ रुपये की प्रत्याशित बीच के इलावा २३१ लाख रुपये है।

पंजाब का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१५०६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१-६२ में पंजाब राज्य में खनिज संसाधनों का कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किन क्षेत्रों में किया जा रहा है ; और

(ग) उसका क्या ब्यौरा है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्ष १९६१-६२ में किये गये कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है :]

कांगड़ा जिला :

उचीच (चांदी) के आसपास, सलोल (लिग्नाइट) के आसपास और कांगड़ा जिले के अन्य भागों में १६४.३६ वर्ग किलोमीटर का क्रमबद्ध भूतत्वीय मानचित्रण किया गया है।

पारबती घाटी में खनिज पदार्थों की खोज जारी है। उचीच खान (चांदी) क्षेत्र में १ : १००० के पैमाने पर १.१५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का बड़े पैमाने पर भूतत्वीय मानचित्रण किया गया। चित्राणी के समीप सीसा-जस्ता के लिये पुराने कार्यकरण समेत लगभग ०.१८६ वर्ग किलोमीटर का १:१२०० के पैमाने पर मानचित्रण किया गया। १६० भू-रासायनिक नमूने और १३ कटे हुए जोन नमूने इकट्ठे किये गये। भुन्टार-मनिकरण सड़क के साथ-साथ लगभग ७.६ वर्ग किलोमीटर सीसा-जस्ता खनिज वाले क्षेत्र का १ :३९६० के पैमाने पर मानचित्रण किया गया।

नरौल के समीप तांबे के लिये एक पुराना कार्य चलाया गया। उपरोक्त के साथ इसके दक्षिण और पूर्व में लारजी और खनियारगी में पुराने काम भी चल रहे हैं जिससे खनिज वाले जोन की लम्बाई ८ किलोमीटर और चौड़ाई ०.८ किलोमीटर हो जाती है। छः नमूने इकट्ठे किये गये।

शिमला जिला :

पदान के चारों ओर (सीसा के लिये) और सबाथू के चारों ओर (सीसा के लिये) ३८.७२ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रवेक्षण मान चित्रण किया गया।

पदान के सीसा वाले क्षेत्र के चारों ओर ०.१४ वर्ग किलोमीटर का १ : १२०० के पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया। २० नमूने इकट्ठे किये गये। पंजाब में सबाथू के समय कथित सीसा मिलने के लिये प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया। पूनाह और धनेरी के समीप कथित होने के बारे में १ : १२०० और १:२४०० पैमाने पर बड़ी मात्रा में मानचित्रण किया गया। पूनाह से ३३ भू-रासायनिक नमूने और धनेरी से ४२ नमूने इकट्ठे किये गये।

होशियारपुर जिला :

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया, नया नंगल की ओर से बीरामपुर और मेहिन्दपुर में "कैल्क-तफा" निक्षेपों की विस्तृत पड़ताल की गयी। लगभग १०२,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का

---

†मूल अंग्रेजी में

१ : १२०० पैमाने पर मानचित्रण किया गया । ३६ गढ़े और ४ खाइयां खोदी गयी और ५३ नमूने इकट्ठे किये गये । इन नमूनों को विश्लेषण के लिये फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन आफ इण्डिया को भेज दिया गया है ।

पुराने सिक्कों को वापस लेना

†१५०७. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिचलन से पुराने सिक्कों के वापस लेने और दशमिक सिक्कों को जारी करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) पुराने सिक्के कब तक पूरी तरह वापस ले लिये जायेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) रुपये को छोड़ कर सभी मूल्यों के दशमिक सिक्के चल रहे हैं । आना-पाई सिक्कों में से निकल के एक आना वाले और कांसे और तांबे के एक पैसे वाले सिक्कों को छोड़कर. चवन्नी से नीचे के सभी मूल्यों के सिक्कों का विमुद्रीकरण कर दिया गया है ।

(ख) जैसे ही दशमिक सीरीज़ में अपेक्षित मूल्य के सिक्के पर्याप्त मात्रा में बन जायेंगे, आने और पैसे के सिक्कों को योजनाबद्ध रूप से वापस लिया जायेगा । तथापि इस समय निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि इन सिक्कों को पूर्ण रूप से कब तक वापस ले लिया जायेगा ।

बर्मा से मनीपुर में चोरी छिपे सामान लाना

†१५०८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ से ३० अप्रैल, १९६२ तक की अवधि में मनीपुर में सीमा-शुल्क विभाग द्वारा बर्मा से चोरी छिपे सामान लाते हुए कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) कितने मामलों में सरकारी पदाधिकारियों का हाथ है ;

(ग) पकड़े गये सामान का क्या मूल्य है ;

(घ) जब्त किये गये सामान का क्या मूल्य है ; और

(ङ) तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १ जनवरी, १९६१ से ३० अप्रैल, १९६२ तक की अवधि में मनीपुर में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा बर्मा से चोरी छिपे सामान लाने के १७९ मामले पकड़े गये ।

(ख) ३ मामलों में सरकारी पदाधिकारी शामिल हैं ।

(ग) पकड़े गये सामान का मूल्य ५६,१५३ रुपये है ।

(घ) जब्त किये गये सामान का मूल्य २३,६२३ रुपये है ।

(ङ) अपराधियों को दण्ड दिया गया और जुर्माना किया गया और कई मामलों में पूरा सामान भी जब्त कर लिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित आदिम जातियां

†१५०९. **श्री सत्यनारायण** : क्या **गृह-काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ में केन्द्रीय सरकार की चतुर्थ श्रेणी और प्रथम श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्र की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष परीक्षा

†१५१०. **श्री सत्यनारायण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक विशेष परीक्षा का आयोजन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह परीक्षा किस संभावित तिथि को की जायेगी और कितने व्यक्ति भर्ती किये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आयकर दाता

†१५११. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०-५१, १९५५–५६ और १९६०-६१ में प्रत्येक आय-कर सर्किल में कुल कितने आयकर दाता हैं और निर्धारित आय की कुल राशि कितनी है ;

(ख) वर्ष १९५०-५१, १९५५-५६ और १९६०-६१ के दौरान प्रत्येक आय-कर सर्किल में उन आय-कर दाताओं की क्या संख्या है जिनकी वार्षिक आय (१) ५ हजार रुपये तक है और (२) ५ लाख रुपये और इससे अधिक है ; और

(ग) वर्ष १९५०-५१, १९५५-५६ औच १९६०-६१ के दौरान प्रत्येक आय-कर सर्किल में पांच हजार और पांच लाख और अधिक की वार्षिक आय वाले कर-दाताओं की कर-निर्धारित आय की कुल राशि क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी।

औद्योगिक मशीनों का मूल्य और उडपादन

†१५१२. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०-५१, १९५५–५६ और १९६०–६१ में भारत में कुल कितने मूल्य की औद्योगिक मशीनें बनायी गयीं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक में इस कुल योग में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों का क्या अंश है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). छोटे पैमाने के क्षेत्र को छोड़ कर देश में बनायी गयी औद्योगिक मशीनों का मूल्य निम्न प्रकार है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
१९५१ . . .	११.२८
१९५६	३३.९७
१९६०	८३.३८

सरकारी क्षेत्र में उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
१९५०-५१ .	शून्य
१९५५-५६ . .	०·१३
१९६०-६१	३·९१

रीजनल इंजीनियरिंग कालिज, वारंगल

†**१५१३. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में वारंगल में रीजनल इंजीनियरिंग कालिज का निर्माण-कार्य सीमेंट न मिलने के कारण रुक गया है ;

(ख) क्या इससे निर्धारित समय पर कालिज की इमारत खोलने में कोई बाधा पड़ेगी ; और

(ग) कालिज की इमारत कब तक खुल जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) निर्माण-कार्य पूरी तरह नहीं रुका है परन्तु सीमेंट की कमी के कारण प्रगति में विलम्ब हुआ है।

(ख) और (ग). जी नहीं। कालिज से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, भोजन के हाल समेत चार होस्टल ब्लाक, कालिज की इमारत के तीन यूनिट और कर्मशाला के दो यूनिट जुलाई, १९६२ तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

सैनिक स्कूल

†**१५१५. श्री उलाका** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिये बच्चों को किस आधार पर चुना जाता है ;

(ख) विभिन्न सैनिक स्कूलों में अब तक कितने बच्चों के नाम लिखे गये ; और

(ग) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में सैनिक स्कूल की क्या क्षमता है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सैनिक स्कूलों में ८ से १४ वर्ष की आयु के बच्चे अखिल भारत प्रवेश परीक्षा, जो यथावश्यक देश में विभिन्न केन्द्रों में आयोजित की जाती है, के परिणाम के आधार पर दाखिल किये जाते हैं।

(ख) अप्रैल, १९६२ में सभी सैनिक स्कूलों में कुल बच्चों की संख्या संलग्न विवरण में केदी गई है।

विवरण

	अप्रैल, १९६२ में विद्यार्थियों की संख्या
१. सैनिक स्कूल, सतारा	१६२
२. सैनिक स्कूल, कुंजपुरा	३०५
३. सैनिक स्कूल, कपूरथला	३६४
४. सैनिक स्कूल चित्तोड़ गढ़	२१२
५. सैनिक स्कूल, जामनगर	९७
६. सैनिक स्कूल, कोरूकोंडा	२०९
७. सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर	१४८
८. सैनिक स्कूल, पुरुलिया . .	१०७
९. सैनिक स्कूल, पनगोड	१५०

(ग) जब यह पूरी तरह विकसित हो जायेगा, तो भुवनेश्वर में सैनिक स्कूल की क्षमता ५०० विद्यार्थी की होगी।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†**१५१६. श्री उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५७ से मार्च, १९६२ तक की अवधि में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उड़ीसा से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति बैठे ;

(ख) उसी अवधि में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत उनमें से कितने व्यक्ति नियुक्ति के लिये चुने गये ; और

(ग) उड़ीसा भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि पदालि के लिये अब तक उसमें से कितने व्यक्तियों के बारे में विभागीय तौर पर सिफारिश की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है। यथा संभव शीघ्र एक विवरण सभा पटल पर रखा जावेगा।

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के कैडेटों के लिये ग्रीष्मकालीन शिविर

†१५१७. **श्री उलाका :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीनियर डिवीजन राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के कैडेटों (लड़के और लड़कियां दोनों) के लिये एक अखिल भारत ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस शिविर के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ;

(ग) क्या सभी राज्यों से कैडेटों का चुनाव पूरा हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो आगामी ग्रीष्मकालीन शिविर के लिये कितने कैडेट (लड़के और लड़कियां दोनों) चुने गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) वर्ष १९६० से प्रति वर्ष चार अखिल भारत ग्रीष्मकालीन शिविर सीनियर डिवीजन राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के लड़के कैडेटों के लिये और चार लड़की कैडेटों के लिये आयोजित किये जाते हैं ।

(ख) वर्ष १९६२ में आयोजित किये जाने वाले शिविरों के लिये निम्न स्थान चुने गये हैं :

लड़कों के लिये शिविर :—

१. कुरस्योंग (पश्चिम बंगाल)
२. दगशाई (पंजाब)
३. उटाकामण्ड (मद्रास)
४. सोनताली (महाराष्ट्र)

लड़कियों के लिये शिविर :—

१. कलिम्पोंग (पश्चिमी बंगाल)
२. दगशाई (पंजाब)
३. कुन्नूर (मद्रास)
४. तम्बाले पहाड़ियां (महाराष्ट्र)

(ग) जी, हां ।

(घ) लड़कों की संख्या—२,८९७
लड़कियों की संख्या—१,३५०

गणतंत्र दिवस की परेड

†१५१८. **श्री उलाका :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २६ जनवरी, १९६२ को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पैरेड में भाग लेने वाले राष्ट्रीय सेनाछात्र दल, सहायक सेनाछात्र दल, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना के यूनिटों के अधीन भाग लेने के लिये कितनी महिलायें चुनी गयीं ; और

(ख) उड़ीसा से कितनी महिलाओं ने भाग लिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ३६१ राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के कैडेट और ६० सहायक सेनाछात्र दल के कैडेट।

(ख) राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के ५ सेनाछात्र।

कर्मचारियों के लिये स्टोर

†**१५१९. श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़ते हुए निर्वाह-व्यय के कारण सरकारी कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार "मैरोड्स स्टोर" की तरह एक स्टोर खोलना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई योजना बनाई गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

तृतीय योजना में नये विश्वविद्यालय

१५२०. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
†डा० मधुसूदन राव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या कुछ और विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये विश्वविद्यालय किन-किन राज्यों में स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) इस अवधि मे जो विश्वविद्यालय खोले जायेंगे उनके लिये सरकार ने कितनी धन-राशि की व्यवस्था की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५]**

नियम पुस्तकों का अनुवाद

१५२१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विधि मंत्रालय के पास कितनी नियम पुस्तकें, विभागीय संहिताएं आदि हिन्दी में अनुवाद के लिए प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितनी नियम पुस्तकों और संहिताओं का अनुवाद पूरा कर के सम्बन्धित विभागों को वापस भेज दिया गया है ; और

(ग) शेष कार्य में देर लगने का क्या कारण है और उस को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और उसकी क्या प्रगति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) विधिजात नियमों आदि के ५९६ सैट। इनमें नियम पुस्तकें और संहिताएं आदि भी शामिल हैं।

(ख) और (ग). विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विधि मंत्रालय को जो सामग्री अनुवाद के लिए भेजी गयी है उसमें से अब तक विधिजात नियमों आदि के ४५ सैटों का जिनमें नियम पुस्तकें और संहिताएं आदि भी शामिल हैं, हिन्दी में अनुवाद कर के सम्बन्धित मंत्रालयों को वापिस भेजा जा चुका है। शेष सामग्री का अनुवाद पूरा करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। बढ़े हुए काम को निबटाने के लिये अनुवाद अनुभाग की कर्मचारी संख्या में वृद्धि की जाने की बात भी विचाराधीन है।

कोयला खान सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय सम्मेलन

†१५२२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता में कोयला खान सम्बन्धी एक अन्तर्राज्यीय सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो किन प्रमुख विषयों पर विचार किया गया ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राज्यीय सम्मेलन में, जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी, वे निम्न मामलों से सम्बन्धित थे :

१. वर्ष १९४९ से पूर्व के कोयला पट्टे पर रायल्टी की दर में वृद्धि।

२. केन्द्र से स्वतंत्र रूप में अपनी कोयला खानों को संभालने का राज्य-सरकार का अधिकार यदि राज्य के संसाधन और विशेष आवश्यकताओं से उसका औचित्य सिद्ध होता हो।

३. कोयला बोर्ड और कोयला परिषद् में राज्य सरकारों का प्रतिविधान।

४. कोयले की अपनी आवश्यकता का अधिक प्रतिशत भाग सड़क द्वारा ले जाने के लिये कोयला क्षेत्रों के निकट औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिये विवश करने की केन्द्रीय सरकार की कथित नीति।

जीवन बीमा के प्रीमियम की दरें

१५२३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्रियों के लिये जीवन बीमा की प्रीमियम दरें पुरुषों से ऊंची हैं ;

(ख) पिछले वर्ष पुरुषों और स्त्रियों का बीमा कितने रुपये का हुआ ; और

(ग) पिछले वर्ष स्त्रियों की बीमा की कितनी पालिसियां अस्वीकृत हुईं ?

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रीमियम की दरें मूलत: समान हैं, लेकिन जीवन बीमा कारबार की दृष्टि से कुछ श्रेणियों की स्त्रियों से अधिक प्रीमियम लिया जाता है ।

(ख) और (ग). सूचना उपलब्ध नहीं है ।

मनीपुर प्रशासन के कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण

१५२४. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था कर रक्खी है ; और

(ख) यदि कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). अभी मनीपुर प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग बहुत सीमित स्तर पर ही होता है । आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध किया जायेगा ।

केरल में अत्तपदी घाटी

†१५२५. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अत्तपदी घाटी में जनता के अधिक उन्नत समुदायों द्वारा आदिम जातियों की जमीनें ले लेने और आदिम जातियों के लोगों को धीरे धीरे निकाल बाहर करने के सम्बन्ध में सरकार के पास कुछ शिकायतें पहुंची हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अत्तपदी घाटी में जनता के कुछ समुदायों द्वारा आदिम जातियों की जमीनें ले लेने के सम्बन्ध में शिकायत का एक पत्र सरकार को मिला है ।

(ख) इस मामले की ओर केरल सरकार का ध्यान दिलाया गया है । चूंकि यह विषय "जमीनें" तथा "शांति और व्यवस्था" का है, इसलिए आवश्यक कार्यवाही करना मुख्यत: केरल सरकार का काम है ।

पनडुब्बीमार हथियार

†१५२६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नार्वे की एक कंपनी एक नये ढंग का पनडुब्बी-मार हथियार तैयार करना आरंभ करेगी जैसा कि ६ अप्रैल, १९६२ को ओस्लो में घोषित किया गया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस हथियार की उपयुक्तता की छानबीन की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). सरकार को मालूम है कि नार्वे की एक फर्म ने एक नये ढंग का पनडुब्बीमार हथियार तैयार करने की योजना बनायी है। इस हथियार के संबंध में विवरण नार्वे स्थित हमारे दूतावास से प्राप्त हुआ है और नौसैनिक अधिकारियों ने उसकी छानबीन की है।

हिन्दी भाषी राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार

१५२७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी भाषी राज्यों के साथ हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में आरम्भ हुआ है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ ऐसे भी कार्यालय हैं जिनमें हिन्दी पत्रों का उत्तर भी अंग्रेजी में दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या वहां हिन्दी में उत्तर देने की व्यवस्था नहीं है अथवा असावधानीवश ही ऐसा हो रहा है; और

(ङ) भविष्य में ऐसा न हो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जिन राज्य सरकारों ने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपना लिया है, उनके साथ पत्र व्यवहार में अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी के भी प्रयोग की छूट दी जा चुकी है। इन राज्य सरकारों से प्राप्त हिन्दी पत्रों का उत्तर यथासंभव हिन्दी में ही दिया जाता है।

(ग) से (ङ). यह कोशिश की जा रही है कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में, या उसके हिन्दी अनुवाद के साथ, दिया जाये।

गुजरात के लिये अधिक विश्वविद्यालय

†**१५२८. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सरकार राज्य में दो और विश्वविद्यालय खोल रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). गुजरात सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दो नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए व्यवस्था की है। उस योजना के ब्यौरे अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

तेल साफ करना

†**१५२९. श्री मुरारका** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न शोधक कारखानों में कुल कितना तेल साफ किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक को कितना खर्च दिया गया;

(ग) प्रत्येक से कितने परिमाण में शोधित पदार्थ और उप-पदार्थ प्राप्त हुए; और

(घ) क्या किस्म के फर्क के कारण उन पदार्थों के मूल्य में कोई अन्तर है?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) विभिन्न शोधक कारखानों ने १९६१ में भारत में निम्नलिखित परिमाण में (मेट्रिक टनों में) तेल साफ किया :—

आसाम तेल कंपनी	४४८,३४६
बर्मा शेल	२,९१०,७७८
कैलटेक्स	९९७,७०८
स्टैनवैक	२,०४६,३१७
जोड़ .	६,४०३,१४९

(ख) आसाम ऑयल कम्पनी आसाम के अपने क्षेत्रों से या ऑयल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त अशोधित तेल साफ करती है। उसका माल उसका सहयोगी बर्मा ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बेचता है। यह माल आसाम ऑयल कंपनी की संपत्ति है और बर्मा ऑयल कम्पनी (इंडिया ट्रेडिंग) लिमिटेड को दिया जाने वाला कमीशन काटलेने के बाद उसे वास्तविक आय प्राप्त होती है। आसाम ऑयल कंपनी को प्राप्त अशोधित तेल की कीमत और तेल की सफाई पर किये गये खर्च अलग अलग नहीं निर्धारित किये जाते। तटवर्ती तीन शोधक कारखानों (दो बंबई में और एक विशाखापत्तनम् में) के संबंध में, अशोधित तेल की कीमत और आयात समानता के आधार पर शोधित पदार्थों की कीमत का अन्तर शोधक कारखानों के लाभ के बराबर होता है जो प्रत्येक शोधक कारखाने के लिए अलग-अलग होता है और जो परिष्कृत अशोधित तेल की किस्म और उसके उत्पादन के ढांचे पर निर्भर होता है।

(ग) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६]**

(घ) जी नहीं। उत्पादित वस्तुएँ प्रमापित विशिष्टियों (स्टैन्डर्ड स्फेसिफिकेशन्स) के अनुसार होती हैं और उनकी किस्म में कोई फर्क नहीं होता।

सेना पदाधिकारी द्वारा आत्महत्या का प्रयत्न

†**१५३०. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री एक सेना पदाधिकारी आत्महत्या के प्रयत्न के बारे में ३० नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जाँच अदालत की रिपोर्ट पर विचार करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बद्ध पदाधिकारी को सेना अस्पताल, दिल्ली छावनी की मानसिक चिकित्सा शाखा (मेन्टल वार्ड) में भेज दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सरकार ने इस बीच रिपोर्ट की छानबीन कर ली है और यह सिद्ध हुआ है कि--

(१) पदाधिकारी ने खुद ही चाकू या रेजर जैसे तेज धार वाले हथियार से अपने ऊपर चोट कर ली थी।

(२) वह पदाधिकारी घटना के समय पागल था और उसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था।

(ख) जी हाँ।

(ग) गर्दन पर चोट के इलाज के दौरान सेना अस्पताल के मानसिक रोग विशेषज्ञ ने उसका परीक्षण किया क्योंकि वह मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं समझा गया था। कुछ दिनों तक उसकी चिकित्सा होती रही और कुछ दिनों बाद उसे साइकियाट्रिक वार्ड में भेजना जरूरी समझा गया जहाँ उसके मानसिक रोग की तब तक चिकित्सा होती रही जब तक कि वह स्वस्थ नहीं हुआ।

कोयले का खनन

†**१५३१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटी कोयला खानों का लाइसेंस देने की नीति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ५० से कम मजदूर वाली कोयला खानों के मामले में लाइसेंस मंजूर नहीं करता जब कि कोयला बोर्ड लाइसेंस पेश करने की मांग करता है ; और

(ग) यदि हाँ तो यह असंगति दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि छोटे क्षेत्रों का, जिनमें सरकारी क्षेत्र को कोई दिलचस्पी नहीं है, विकास किया जा सके ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). स्थूल रूप से सरकार की नीति यह है कि उन छोटी कोयला खानों के विकास को प्रोत्साहन न दिया जाये जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं हैं, जो प्रतिमास १०,००० टन कोयला नहीं निकाल सकतीं या जिनका क्षेत्रफल १०० एकड़ से कम है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के उपबन्धों के अधीन उन कारखानों को, जो बिजली से चलते हैं और जहाँ ५० से कम मजदूर हैं या जो बिजली से नहीं चलते और जहां १०० से कम मजदूर हैं, इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। फिर भी वैज्ञानिक आधार पर कोयला खानों को चालू करने या पुन: चालू करने के संबंध में नियंत्रण रखने के लिए कोयला बोर्ड कोयला खानों के मामले में इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रस्तुत करने पर जोर देता है। इस अधिनियम में ऐसा संशोधन करने के प्रस्ताव पर, जिससे कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या की ओर ध्यान न देते हुए उस अधिनियम को उन पर लागू किया जायगा, अभी विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों के लिए भूमि का अर्जन

†१५३२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के हाल के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि केवल सार्वजनिक लाभ के लिए ही, जैसे अस्पताल और सार्वजनिक वाचनालय आदि के लिए, भूमि का अर्जन किया जा सकेगा; और

(ख) क्या ऐसा कोई विशेष विधान लागू करने का सरकार का कोई विचार है जिससे कोयला खानों के लिए और मकान बनाने की योजना के लिए भूमि प्राप्त की जा सके ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि कंपनियों के लिए भूमि अर्जन से संबंधित, भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के उपबन्धों के अधीन, सार्वजनिक हित का प्रयोजन होना चाहिये जैसे अस्पताल, सार्वजनिक वाचलानालय, पुस्तकालय या शैक्षणिक संस्था या और कोई दूसरा काम जिसका उपयोग जनता करती हो।

(ख) वस्तुतः स्थिति यह है कि कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान बनाने के लिए जमीन प्राप्त करने में कोई वैधानिक रुकावट नहीं है। फिर भी अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि प्राप्त करने की व्यावहारिक कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों पर विचार हो रहा है।

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋण

†१५३३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) पूर्व बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न शीर्षकों के अधीन, पुनर्वास प्रशासन की स्थापना से लेकर १९६१ के अन्त तक प्रशासन ने कितनी रकम के ऋण दिये ;

(ख) उन्हें दिये गये ऋणों की वापसी की क्या शर्तें हैं ; और

(ग) अब तक कितनी रकम वसूल की जा चुकी है और बाकी वसूल करने के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३१ दिसम्बर १९६० को कामकाज बंद होने पर विघटन की तारीख तक पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास वित्त प्रशासन ने लगभग ३९४ लाख रुपये के ऋण बांटें। विभिन्न शीर्षकों के अधीन इन ऋणों का ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) ऋण पर ब्याज सहित मूलधन की रकम अधिक से अधिक १५ वर्ष की अवधि चकता करनी होगी। सिर्फ ब्याज की पहली किस्त ऋण देने की तारीख से २४ से ३० महीनों के बाद देय होनी है। मूलधन जो सामान्यतया १२ वार्षिक बराबर बराबर किस्तों में चुकता करना होता है, बाद की अवधि के लिये ब्याज के साथ उस तारीख से १२ महीने बाद, जब कि ब्याज की पहली किस्त बकाया हो जाती है, देय होता है।

(ग) पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों से ३१-१२-६१ तक लगभग ९५ लाख रुपये की रकम वसूल की गई थी। पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों के अधीन

†मूल अंग्रेजी में

बकाया रकमें वसूल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है और जिन मामलों में वसूली की कार्रवाई से संभवतः कठिनाई होगी उन मामलों पर यथोचित विचार किया जा रहा है।

मनीपुर के स्कूलों में अप्रशिक्षित अध्यापक

†१५३४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में सरकारी सहायता प्राप्त मिडल इंगलिश, हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अभी कितने अप्रशिक्षित अध्यापक काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन सभी अप्रिशिक्षित ग्रेजुएटों को प्रशिक्षण देने की सरकार की नीति है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या डी० एम० कालेज से अलग एक बी० टी० इंस्टिट्यूट खोलना वांछनीय नहीं है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). जानकारी मनीपुर प्रशासन से इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायगी।

मनीपुर प्रशासन के अधीन राजपत्रित पद

†१५३५. **श्री रिशांग किशिंग** : : क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन के अधीन ऐसे कितने राजपत्रित पद हैं जिन्हें मार्च, १९६२ के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया है ;

(ख) इन पदों को आगे न बढ़ाने का क्या कारण है; और

(ग) कर्मचारियों की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). १९६० और १९६१ में मनीपुर के जिरिबम और चुराचन्दपुर सब-डिविजनों में चावल बांटने के लिये जहां चावल की फसलों को चूहों ने बिलकुल नष्ट कर दिया था, पूणतः अस्थायी आधार पर सिविल सप्लाई अफसरों के १० राजपत्रित पद निर्माण किये गये थे। वह काम खतम हो जाने पर वे पद समाप्त कर दिये गये ; एक १ अप्रैल, १९६२ से और नौ १ मई, १९६२ से।

(ग) इनमें से पांच पदाधिकारियों का अपने अपने मूल कार्यालयों में स्थायी पदों पर अधिकार था। एक पद पहले ही खा ी था। अन्य चार पदाधिकारियों को अन्यत्र कहीं नहीं लिया गया है।

मनीपुर में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा

†१५३६. **श्री रिशांग किशिंग** : : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ में सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आठवीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई फीस माफ कर दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चालू शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह प्रथा बंद कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) मनीपुर में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा चालू रखने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या भविष्य में उठायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

†**१५३७. श्री भागवत झा आजाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने अपनी चौथी बैठक में परीक्षा के परिणामों की तारीखों के मामले में एकरूपता रखने और माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान और वाणिज्य की पढ़ाई की हालत के सम्बन्ध में कोई फैसला किया है ;

(ख) क्या परिषद् ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निश्चित समस्याओं का पता लगाने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) प्रश्न में उल्लिखित विषयों पर परिषद् की सिफारिशें जो कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों के पास इस बीच भेज दी गई हैं, इस प्रकार हैं :—

परीक्षा के परिणामों की तारीखों के बारे में एकरूपता :

माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में एकरूपता रखने की आवश्यकता पर परिषद् ने विचार किया और वह इस बात से सहमत हुई कि सभी माध्यमिक स्कूलों की परीक्षाओं के परिणाम अधिक से अधिक जून के पहले हफ्ते तक घोषित कर दिये जायें।

यह भी स्वीकृत हुआ कि सभी राज्यों में स्कूल वर्ष प्रत्येक वर्ष जून या जुलाई में शुरू हो।

विज्ञान की पढ़ाई की दशाएं :

परिषद् ने मद्रास राज्य के माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई की हालतों की जांच के निष्कर्षों पर विचार किया और उसकी रिपोर्ट नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एज्यूकेशन के विज्ञान विभाग द्वारा छानबीन के लिये उसके पास भेज देने का निश्चय किया।

माध्यमिक शिक्षा में वाणिज्य :

माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य की पढ़ाई के सम्बन्ध में अखिल भारतीय शिल्पिक शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त वाणिज्य शिक्षा सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर परिषद ने विचार किया और राज्य सरकारों की रायों की छानबीन कर लेने के बाद ही, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा पहले ही मांगी जा चुकी है; इस मामले में अंतिम निश्चय करने की इच्छा व्यक्त की ।

(ख) और (ग). परिषद् की कार्यसूची में माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध विशिष्ट समस्याओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई विषय नहीं था। फिर भी अध्यक्ष के अभिभाषण के बाद जो सामान्य चर्चा हुई उसमें अन्य बातों के साथ साथ, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र की कुछ समस्याओं का भी उल्लेख हुआ। उस सम्बन्ध में परिषद् ने अध्यक्ष को यह अधिकार दिया है कि देश में माध्यमिक शिक्षा के पुनस्संगठन से सम्बन्धित विशिष्ट प्रश्नों की छानबीन करने के लिये वे एक या अधिक समितियां स्थापित करें। इस विषय में और आगे आवश्यक कायवाही पर अभी विचार हो रहा है ।

त्रिपुरा में अनुसूचित जाति के छात्रों को बोर्डिंग वृत्तिकाएं

†१५३८. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को बोर्डिंग छात्रवृत्तियां देने के लिये एक उपविधि पारित की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उस पर आवश्यक सहमति नहीं दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। उपविधियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पुष्टि, जो क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ५५ के अधीन आवश्यक है, सूचित कर दी गई है और वह उपविधियां त्रिपुरा के सरकारी जगट में प्रकाशित की जा रही हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

†१५३९. **श्री दशरथ देव** : : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की क्षेत्रीय परिषद् ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों और त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् के शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के वेतन-क्रम का पुनरीक्षण करने का एक प्रस्ताव मिला है और वह विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में मोटर साईकिल बनाने का कारखाना

†१५४०. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में मोटर साईकिल बनाने का एक कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मोटर साईकिल बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश में खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी उद्योग (विकास

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक फर्म को स्वचालित साईकिल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए लाइसेन्स दिया गया है।

भारत सर्वेक्षण विभाग के पुनः नियुक्त कर्मचारी

†**१५४१. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में भारत को सर्वेक्षण विभाग में निदेशालयवार श्रेणी २, श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कुल कितने कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया/सेवा बढ़ाई गई ; और

(ख) सेवा की इस प्रकार वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

संकटमय क्षेत्रों में भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

†**१५४२. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऊंची पहाड़ियों सीमा सर्वेक्षण और संकटमय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य में भारत सर्वेक्षण विभाग के श्रेणी १, श्रेणी २, श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कुल कितने कर्मचारी लगे हुए हैं;

(ख) क्या उक्त कर्मचारियों को कोई विशेष भत्ता दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को किस दर पर भत्ता मिलता है ; और

(घ) उक्त कर्मचारियों की उनके काय से संबंधित खतरे से रक्षा करने के लिए क्या कायवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है ।

(ख) नहीं श्रीमान ।

(ग) और (घ). प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

भिलाई इस्पात कारखाना

†**१५४३. श्री दाजी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाना में १ जनवरी, १९६१ से १५ अप्रैल, १९६२ तक कितने मजदूरों को हताहत अवकाश दिया गया ;

(ख) ऐसे मामलों में से कितने व्यक्तियों को हताहत होने के दो मास बाद तक वेतन नहीं दिया गया ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को अब तक वेतन नहीं दिया गया है जब कि हताहत हुए ३ मास से भी अधिक हो गये हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). १ जनवरी, १९६१ से १५ अप्रैल, १९६२ तक ६०६ कारीगरों को हटाहत अवकाश दिया गया। इनमें से ५८५ व्यक्तियों को आदेश जारी होने के बाद एक महीने के अन्दर वेतन का भुगतान कर दिया गया।

(ग) ४१ व्यक्तियों को चोट ठीक होने के तीन महीने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया।

सिलचर आग जांच समिति

†**१५४४. श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर आग जांच समितियों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) सिलचर अग्निकाण्ड संबंधी जांच आयोग की रिपोर्ट हाल में असम सरकार को मिली है। वह अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है और प्रकाशित नहीं की गई है ।

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के लिए बस्तियां

†**१५४५.** { **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीमा कर्मचारियों के लिए अलग बस्ती बनाने का अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनके लिए कितने क्वार्टर बनाये जाने की संम्भावना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जीवन बीमा निगम ने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया है। फिर भी जहां कहीं उचित किराये पर गैर-सरकारी मकान आदि उपलब्ध नहीं हैं, वहां अपने कर्मचारियों के लिए थोड़ी संख्या में क्वार्टर बनाने का निगम का विचार है ।

(ख) अभी कोई निश्चित आंकार उपलब्ध नहीं हैं ।

विश्वविद्यालयों में प्राच्य विद्या

†**१५४६. श्री अ० त्रि० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) कि विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में ज्योतिष और आयुर्वेद सहित प्राच्य विद्या को पृथक विषयों के रूप में शामिल कर लिया है ; और

(ख) निर्धारित पाठ्यक्रम पूरकरने के बाद वे जो उपाधियां, आदि देते हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१५४७. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मद्रास राज्य के दक्षिण आर्काट और तंजौर जिले में भूतत्वीय सर्वेक्षण किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतबीस) :** (क) और (ख). दक्षिण आर्काट जिले में पिछले तीन वर्षों में लगभग १६५१ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का १"-१ मील के पैमाने पर मानचित्र बनाया गया था। इस अवधि में तंजौर जिले में कोई मानचित्र नहीं बनाया गया। दोनों जिलों के तटीय क्षेत्रों में भू-भौतिकीय जांच पड़ताल की गई। पिछले तीन वर्षों में दक्षिण आर्काट में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने जो काम किया है उसका ब्यौरा निम्न है :—

दक्षिण आर्काट

तांबा : वर्ष १९५८ में कमन्दूर में तांबे की एक पुरानी खान का पता लगा था। वर्ष १९६१ में छिद्रण आरम्भ हुआ था और अभी तक ३ छेद पूरे हो चुके हैं। तांबा, रांगा और जाता की खानें २७५ मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है।

लौह-अयस्क : मनमलाई और बड़ा मंगलनम में लौह आयस्क के निक्षेप ३४५,००० मीट्रिक टन होने के अनुमान हैं और उसमें ३६ से ४० % तक लोहा है। शेषसमुद्रम, नेदमनूर और पोक्कुनम में ५ लाख मीट्रक टन लोहा के निक्षेप होने का अनुमान है।

अखिल भारतीय भूमिगत जल खोज परियोजना के अन्तर्गत दक्षिण आर्काट जिले में भू-जल-विद्युत संबंधी विस्तृत अध्ययन किये गये थे। भूभिगत जल के विकास के लिए दो क्षेत्रों की सिफारिश की गई है। एक क्षेत्र उत्तर में गरीलन नदी, पूर्व में तट रखा, दक्षिण में वेल्लर नदी से और पश्चिम में ब्रह्मचलम, चेट्टीटेरुबु और पनरूटी हो कर जाने वाली रेखा से घिरा है। दूसरा क्षेत्र उत्तर में वेल्लर नदी, दक्षिण में कोलरून नदी, पश्चिम में उत्तर-उत्तर पूर्व-दक्षिण दक्षिण पश्चिम लाइन जो श्री समुद्रम और उदयारपलायम हो जाये और पूर्व में शेतिया टोपे निम्न प्राचीन सड़क से घिरा है।

तंजौर और दक्षिण आर्काट जिलों के तटीय भागों में की गई भूमौतिकीय जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप यह निश्चित हो गया था कि सैडीमेंन्ट लग भग २७०० मीटर है।

उच्च न्यायालयों के काम के घंटे

†१५४८. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारत में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने हाल में बम्बई में हुई अपनी कांन्फ्रेंस में कहा है कि वे उच्च न्यायालयों के लिए २१० काम के दिनों का नियम स्वीकार नहीं करते ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) मुख्य न्यायाधीशों की कांन्फ्रेंस ने सझाव दिया है कि उच्च न्यायालय में काम के दिनों की संख्या २०० से अनधिक हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मामला विचाराधीन है ।

केरल में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१५४९. **श्री कोया :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कन्नानूर जिले में कोई भूमौतिकीय सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां लिग्नाइट के निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां तो वहां लिग्नाइट का वाणिज्यिक प्रयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग). कन्ननूर नगर के पास पहाड़ी के ऊपर ६ से ७.५ मीटर लैटराइट और पत्थर के नीचे लिग्नाइट की दो पट्टियां पाई गई हैं । ऊपरी पट्टी ०.४५ मीटर मोटी है और नीचे वाली पट्टी १.५ मीटर मोटी है । महत्वपूर्ण नगर कन्ननूर के नीचे इसके होने और इसकी मोटाई का ध्यान रख कर निक्षेप निकाला जाना व्यववहार्य नहीं है ।

भारतीय नागरिक के रूप में चीनी

†१५५२. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन में उत्पन्न हुए कोई ऐसे चीनी १ व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक बन गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की कितनी संख्या है ; और

(ग) ये लोग भारत में क्या व्यवसाय करते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) हां ।

(ख) संविधान के उपबंधों के अन्तर्गत २०७ और नागरिकता अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत २० ।

(ग) वे लोग अधिकतर छोटे व्यवसाय करते हैं जैसे कपड़ों की धुलाई, जूते बनाना, दान्त चिकित्सक, बाल काटना, रेस्टोरां बढ़ईगीरी की दुकान आदि ।

निर्धनों को कानूनी सहायता

†१५५३. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सिद्दय्या :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का सरकार ने अन्तिम निश्चय कर लिया है ;

(ख) क्या कुछ वकीलों ने इस कार्य के लिये अपनी निःशुल्क सेवायें देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) निर्धनों को कानूनी सहायता देना मुख्यकर राज्य सरकारों का काम है। अतः इस मामले में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निश्चय किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ख) और (ग). इस बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। संभव है कि राज्य सरकार के पास जानकारी उपलब्ध हो। वे ही निर्धनों को कानूनी सहायता की अपनी योजनाओं की कार्यान्विति से सम्बन्ध रखते हैं।

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग, पश्चिम बंगाल के संघों की मान्यता

†१५५४. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सारे संघों को पुनः मान्यता दे दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बंगाल के महालेखापाल को गृह-कार्य मंत्रालय के कोई आदेश मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें लागू न करने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान। पुनः मान्यता देने के आदेश पश्चिम बंगाल में भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के संघों को भेज दिये गये है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मैसूर राज्य में ग्रामीण विश्वविद्यालय

†१५५५. **श्री चन्द्रिकी :** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में कोई ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से कार्य करने लगेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वेतन आयोग की सिफारिशें

†१५५६. **श्री नम्बियार** : क्या **वित्त** मंत्री वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति के बारे में २ अगस्त, १९६० को अपने द्वारा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिफारिशें लागू हो गई हैं या नहीं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाला कर्मचारियों तथा सरकार के बीच कोई अनिश्चित मामला निर्पेक्ष न्यायाधिकरण को सौंपा गया है; और

---

†मूल अंग्रजी में

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). कर्मचारियों को मिलने वाले नियमित अवकाश की दर सम्बन्धी सिफारिश के अतिरिक्त २ अगस्त, १९६० के वित्त मंत्री के वक्तव्य में उल्लिखित अन्य सभी बातों पर निश्चय लागू हो गये हैं। नियमित अवकाश के प्रश्न को राष्ट्रीय कर्मचारी संयुक्त परिषद् को सौंपने का विचार है। यह परिषद् शीघ्र ही बनाई जायेगी ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) न्यायाधिकरण को भेजने के लिये कोई अनिश्चित मामला नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों के ज्ञापन पर की गई कार्यवाही

†**१५५७. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय को मिले ज्ञापन में किन बातों का उल्लेख था ; और

(ख) उन में से प्रत्येक बात पर और कुछ अन्य प्रार्थनाओं पर, जो प्रतिनिधियों ने स्वयं गृह-कार्य मंत्री से की थीं, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७८]**

केरल में भारी उद्योग

†**१५५८. श्री प० कुन्हन** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह तीसरी पंच वर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में और गैर-सरकारी क्षेत्र में केरल में नये भारी उद्योग स्थापित करे; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग-मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : : (क) हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकारी-क्षेत्र

१. कन्टेकर केकर प्वाइन्ट्स, स्विचगीयर सामान और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रकसे का निर्माण, जिसके लिये केरल राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम ने लाइसेन्स के लिये आवेदनपत्र दे दिया है।

गैर सरकारी-क्षेत्र

१. ६००,००० किलोवाट की कुल क्षमता के लिये ट्रान्सफार्मरों का निर्माण जिसका लाइसेन्स भी एन० जे० नायर को दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. टिनप्लेटों (१०,००० टन वार्षिक) का निर्माण, जिसका लाइसेन्स श्री सत्यशैल गुप्त को दिया गया है।

३. कालीकट में स्थापित होने वाले कारखाने में उर्वरक श्रेणी के भूरिया का निर्माण, जिसके लाइसेन्स के लिये मैसर्स सिन्थेटिक-फर्टीलाइज़स एण्ड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड, मम्बासा, कीनिया ने प्रार्थना पत्र दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इमारत

†१५५९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दफ्तर की इमारत का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब पूरा होने की आशा है; और

(ग) इमारत पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) सितम्बर, १९६२ तक।

(ग) २६,९५,८०२ रु० (इसमें वातानकूलन तथा लिफ्टों की लागत भी सम्मिलित है)।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक परियोजनायें

†१५६०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं में धन लगाने के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जिस राशि की व्यवस्था की गई थी, उसकी ५० प्रतिशत से भी कम राशि उस राज्य में इन परियोजनाओं पर योजना अवधि व्यय हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) द्वितीय योजना में राज्य को जो हानि हुई उसे तीसरी योजना में किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) मध्य प्रदेश में स्थापित तीन बड़ी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से अर्थात् भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, हैवी इलैक्ट्रिकल्स, (इण्डिया) लि०, भोपाल और सीक्यूरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद में से, केवल सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद पर दूसरी योजना काल में वस्तुत : उपबन्धित राशि की ५० प्रतिशत से कम राशि व्यय हुई। आठ राज्य परियोजनाओं में से, सब पर दूसरी योजना काल में वस्तुत : ५० प्रतिशत से कम राशि व्यय हुई।

(ख) सिक्यूरिटी पेपर मिल्स संबंधी व्यय विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण कम हुआ और दूसरा कारण यह था कि परियोजना के लिये टैक्निकल सहयोग करार देर से हुआ। राज्य परियोजनाओं की कार्यान्विति में धीमी प्रगति होने का यह कारण बताया जाता है कि प्रारंभिक

†मूल अंग्रेजी में

बातों की पूर्ति में, जैसे भूमि का अर्जन और मशीन की प्राप्ति में कठिनाई दूर करने में, अधिक समय लग गया।

(ग) सीक्यूरिटी पेपर मिल्स परियोजना तीसरी योजना में शामिल कर ली गई है और उसके लिये ५०५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। क्योंकि टेक्निकल सहयोग का करार हो गया है, इसलिये आशा है कि मिल में तीसरी योजना में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। आठ राज्य परियोजनाओं में से भी पांच परियोजनायें तीसरी योजना में शामिल कर ली गई हैं।

सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण

१५६१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय 'हिन्दी सिखाओ योजना' के अन्तर्गत प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ कक्षाओं में कितने सरकारी कर्मचारी हिन्दी सीख रहे हैं ; और

(ख) उनमें से कितने गजेटेड तथा कितने नान-गजेटेड अधिकारी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ४५,६२१।

(ख) (१) १,४२६। (२) ४४,१६२।

दिल्ली में जनपथ पर कार खड़ी करना

†१५६२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ, नई दिल्ली, पर जनपथ और कनाट सर्कस के चौराहों तथा जनपथ कीलिंग रोड के चौराहों के बीच कार खड़ी करने के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जो लोग जनपथ की दुकानों से सामान खरीदने आते हैं उनकी कारों को खड़ा करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या यह भीड़ को कम करने के लिये किया गया है अथवा दोनों ओर, बायें और दायें कारो को एक दूसरे को आगे निकलने के लिये सुविधा देने के हेतु प्रयोगात्मक ढंग से दी गई है और क्या एकदम बाईं ओर मुड़ने की सुविधा देने के लिये यह व्यवस्था की गई है जैसे कि बम्बई में होता है ; और

(घ) क्या इस प्रयोग में पुलिस को सफलता मिली है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

(ख) कनाट लेन तथा जनपथ के पूर्वी दिशा में कारों के खड़े करने की व्यवस्था की गई है ;

(ग) तथा (घ). जनपथ कनाट सर्कस के चौराहो तथा जनपथ कीलिंग रोड के मोड़ के बीच होने वाली भीड़ को रोकने के लिये ही ऐसा किया गया है। इस व्यवस्था से भीड़ में कमी हुई है।

अस्पृश्यता निवारण के लिये अनुदान

†१५६३. श्री तिम्मया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में कितने गैर सरकारी संगठनों को अस्पृश्यता निवारण के लिये अनुदान दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक संगठन को कितना धन दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** (क) तथा (ख). यह जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	संस्था का नाम	दिया गया धन	
		१९६०–६१	१९६१–६२
१	हरिजन सेवक संघ . .	३,२२,१००	३,८१,५००
२	भारतीय दलित वर्ग लीग	१,४५,८००	१,४५,८००
३	ईश्वरसरन आश्रम .	७,०६,३२०	१,५३,११०
४	भारत दलित सेवक संघ	८४,०१४	९३,१२०
५	हिन्दी महतर सेवक समाज .	९,६००	२७,९७०

अन्तर्जातीय विवाह

†**१५६४. श्री मे० क० कुमारन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जातीय बन्धन समाप्त करने के विचार से भारत सरकार का विचार अन्तर्जातीय विवाह प्रथा को बढ़ावा देने का है ;

(ख) यदि हां, तो आजकल यह प्रस्ताव किस स्थिति में है ; और

(ग) उसका विस्तृत ब्योरा क्या है ?

†**गृह-काय मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, नहीं। अन्तर्जातीय विवाहों को विधि द्वारा मान्यता दे दी गई है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दमदम हवाई अड्डे पर पत्रकारों को परेशानी

†**१५६५. श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दमदम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क पदाधिकारियों ने पत्रकारों के उन पहचानपत्रों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया जो कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने उन्हें दिये थे और हवाई अड्डे पर उन पत्रकारों को परेशान किया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) संभवतः माननीय सदस्य उस घटना का उल्लेख कर रहे हैं जो २७ अप्रैल, १९६२ को दमदम हवाई अड्डे पर हुई थी। उस दिन लगभग ७ या ८ पत्रकार जिनके पास पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा जारी किये गये पहिचान पत्र थे, उन चार पत्रकारों को विदाई देने के लिये दमदम हवाई अड्डे पर गये जो फ्रेंकफुर्ट जा रहे थे। इन ७ अथवा ८ पत्रकारों को सौजन्यता के आधार पर सीमा शुल्क वाले घेरे में जाने की अनुमति मिल गई थी

†मूल अंग्रेजी में

इनके साथ ५०–६० व्यक्तियों की भीड़ भी थी जिसमें स्त्री और बच्चे भी सम्मिलित थे। इन पत्रकारों ने यह मांग की कि इस भीड़ का भी उस घेरे में जाने की अनुमति दी जाये। चूंकि यह घेरा सामान्य जनता के लिये है होता तथा उनके पास इन पत्रकारों जैसे पहिचानपत्र भी नहीं थे अतः सीमा शुल्क निरीक्षक ने इनको बड़ी नम्रता से यह बता दिया कि इन लोगों को उस घेरे में जाने के लिये अनुमति देने के अधिकार इसके पास नहीं हैं। किन्तु यह भीड़ बलपूर्वक उस घेरे में घुस गई और कुछ देर तक वहां ठहरी रही, और फिर अपने आप वहां से वापस चली भी आई।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

भिलाई इस्पात परियोजना कर्मचारियों के लिये मकान

†१५६६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **इस्पात तथा भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात परियोजना के कर्मचारियों के लिये अभी तक कुल कितने मकान बन गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने मकान अभी तक खाली हैं ; और

(ग) इस वित्तीय वर्ष में कितने और मकान बनाने की योजना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग). इस परियोजना के लिये बनाये जाने वाले लगभग ७५०० मकानों में से लगभग सभी मकान बनकर तैयार हो गये हैं। बढ़ती हुई मांग को देखकर ३२०० क्वार्टर और बनाने को थे जिनमें से १८०० क्वार्टर बनकर तैयार हो गये हैं और शेष क्वार्टर बन रहे हैं। जितने क्वार्टर अब तक बने हैं उन सभी को कर्मचारियों के लिये दे दिया गया है और कोई भी क्वार्टर अब खाली नहीं है।

दिल्ली में बेरवा अनुसूचित जाति के परिवार

१५६७. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में बेरवा अनुसूचित जातियों को वे सब सुविधायें दी जा रही हैं जो अनुसूचित जातियों को उपलब्ध हैं जब कि उसी जाति के जो परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें अनुसूचित जाति का नहीं समझा जाता ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में स्थायी या अस्थायी आधार पर जो सैकड़ों बेरवा जाति के परिवार रह रहे हैं उन्हें इन सुविधाओं से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

(ख) बेरवा जाति को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जाति नहीं माना गया है और इसीलिये इस जाति को दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों को वे सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो अनुसूचित जातियों को दी जाती हैं। किसी जाति का क्षेत्र विशेष में उसके सदस्यों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित किया जाता है। अतः प्रश्न के (क) भाग में निर्दिष्ट तथ्य में कोई अनियमित बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयातित रबड़ सोल की जब्ती

†**१५६८. श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ सितम्बर, १९६० को सीमा शुल्क तथा प्रशुल्क कलक्टर इलाहाबाद ने आगरा में आयातित रबड़ सोल जब्त किये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये आयात अनुज्ञप्ति के अधीन आये थे और लगभग १८ महीने पहिले उनको मुक्त किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि १३ सितम्बर, १९६० और १९ अक्तूबर, १९६० के पहिले भी और उसके बाद भी इस प्रकार के माल को मुक्त किया गया था ; और

(घ) क्या कलक्टर ने जो यह कार्यवाही की है उसका आगरा से किये जाने वाले निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) यह सच है कि ८ और ९ सितम्बर, १९६० को आगरा केन्द्रीय सीमा शुल्क कलेक्टर इलाहाबाद के पदाधिकारियों द्वारा चप्पलों के लिये आयातित रबड़ सोल जब्त किये गये थे ।

(ख) तथा (ग). यह भी सच है कि उपरोक्त माल जब्त किये जाने के पहले इसी प्रकार का और माल भी मुक्त किया गया था । बाद को जांच करने के बाद पता चला कि यह माल अपने देश में बिक्री के लिये बनाये जाने वाली चप्पलों और सैंडिलों के लिये आया था और आयात अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत यह नहीं आता ।

सितम्बर और अक्तूबर १९६० में जब यह माल जब्त किया गया तो उसके बाद भी बम्बई सीमा शुल्क पदाधिकारियों को इसका पता बाद को चला और उस के बाद भी उन्होंने कुछ माल को मुक्त कर दिया था ।

(घ) इस जब्ती के बाद आगरा के कुछ निर्यातकों ने निर्यात करना बन्द कर दिया क्योंकि उन पर इसका प्रभाव पड़ा था ।

सरकारी पदों पर अवैतनिक नियुक्तियां

†**१५६९. श्री महेश्वर नायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंके कि :

(क) सरकारी पदों पर अवैतनिक रूप से नियुक्तियां किस सिद्धांत से की जाती हैं ;

(ख) ऐसे पदाधिकारियों की संख्या कितनी है जो मामूली सा वेतन लेते हैं, अथवा एक रुपया वेतन लेते हैं अथवा बिल्कुल भी वेतन नहीं लेते हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन दायित्वपूर्ण पदों पर उस प्रकार की नियुक्तियों की वांछनीयता के बारे में जांच कर ली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अवैतनिक रूप से कार्य करने के लिये नियुक्ति करते समय जिस सिद्धांत का पालन किया जाता है उसको बताने वाली प्रतिलिपि संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७९**]

(ख) ४६ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, हां। अवैतनिक व्यक्ति की सेवायें केवल परामर्श दाता के रूप में ली जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को कार्यकारी, प्रशासकीय एवं न्यायिक पद नहीं दिये जाते। अथवा ऐसे पद नहीं दिये जाते हैं जिनमें सरकार के नाम पर अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

नारकोटिक्स (नशीले पदार्थ) के बारे में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन

†१५७०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत नारकोटिक्स (नशीले पदार्थ) के बारे में जिनेवा में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के १७वें सम्मेलन में भाग लेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जी, हां।

उत्तर प्रदेश में लोक सहायक सेना शिविर

†१५७१. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से लोक सहायक सेना कार्यक्रम प्रशिक्षण का समय एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है तबसे लेकर अबतक उत्तर प्रदेश में कितने शिविर लगे हैं ; और

(ख) बुलन्दशहर जिले में कितने शिविर लगे हैं और कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) अथवा (ख). १ मई, १९५५ से जबकि लोक सहायक सेना की स्थापना हुई है इसका प्रशिक्षण काल सदैव ही ३० दिन का रहा है, हां सीमा वाले क्षेत्रों में यह प्रशिक्षण काल १ जनवरी १९६१ से बढ़ाकर ६० दिन कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में १ मई, १९५५ से ३१ मार्च, १९६२ तक कुल २०४ कैम्प लगे हैं इनमें से चार कैम्प सीमा वाले क्षेत्रों में भी हैं। इनमें से ३ शिविर बुलन्दशहर जिले में भी लगे हैं और कुल मिला कर १,३३६ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

सीमा प्रतिरक्षा के लिये वित्तीय सहायता

†१५७२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार सीमा वाले क्षेत्रों की सहायता के लिये पंजाब तथा राजस्थान को भी सहायता देगी जैसा कि पश्चिमी बंगाल के मामले में किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सीमा वाले क्षेत्रों में पुलिस का अच्छा प्रबन्ध करने के लिये राजस्थान को सहायता दी गई है। पंजाब के लिये विचार किया जा रहा है।

पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

†१५७३. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में हर साल पंजाब सरकार को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :

	लाख रुपयों में	
	अनुदान	ऋण
१९५६-५७	*२.६९	३५.००
१९६०-६१	**२९७.१८	—

*यह राशि वर्ष १९५५-५६ के लिये दी गई थी जोकि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता दी गई थी।

**इस राशि में वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ के लिये क्रमशः २० लाख और १६२.८४ लाख रुपये स्वीकृत राशि सम्मिलित है और इसमें वर्ष १९५५-५६ और वर्ष १९५८-५९ के लिये अतिरिक्त भुगतान राशि क्रमशः ९३.३४ लाख और १५ लाख रुपये भी सम्मिलित हैं। वर्ष १९५५-५६ के लिये जो अतिरिक्त भुगतान दिया गया है वह संशोधित भी किया जा सकता है ।

पाकिस्तान में भारतीय उद्भव के लोगों को भारतीय नागरिकता देना

†१५७४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भारतीय उद्भव के लोगों की संख्या कितनी है जो कि विभाजन के समय वहां थे अथवा विभाजन के बाद वहां गये और अब उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन किया है;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता मिल गई है तथा कितने व्यक्तियों को इन्कार कर दिया गया है ;

(ग) जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन किया है उनमें से कितने केरल निवासी हैं, तथा कितने केरल निवासियों को नागरिकता मिल गई है तथा कितनों को मना कर दिया गया है ; और

(घ) नागरिकता न देने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि वे लोग जो आज कल भारतीय क्षेत्र में रह रहे हैं किन्तु विभाजन के समय वे पाकिस्तान में रहते थे और अब उन्होंने नागरिकता के लिये आवेदन किया है तो स्थिति इस प्रकार है:

(१) १९ जुलाई १९४८ से पहले जो लोग भारत आ गये थे वे स्वतः ही भारतीय नागरिक बन गये हैं ; उनकी संख्या के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है; और

(२) जो लोग १९ जुलाई १९४८ को अथवा उसके बाद भारत आये उनको भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिली। जो क्षेत्र भारत में आ गये हैं उनके रहने वालों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है, अतः इन व्यक्तियों की संख्या के बारे में भी कोई जानकारी देना संभव नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान गये किन्तु बाद को किसी कारण से भारत वापस और उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन किया उनकी संख्या के बारे जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जायेगी ।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में मुस्लिम जनसंख्या

†१५७५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले १० वर्षों में त्रिपुरा में मुस्लिम जनसंख्या में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(ख) इस अत्यधिक वृद्धि के कारण के बारे में सरकार ने सुनिश्चय कर लिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). १९६१ की जनसंख्या के आंकड़े अभी तक निश्चित रूप से तैयार नहीं हुए हैं अत: ठीक तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि किस हद तक यह वृद्धि हुई है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं

†१५७६. **श्री गौरी शंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजनाओं के दौरान में स्टेट बैंक आफ़ इंडिया की कितनी शाखाऐं देश भर में खोली गईं ;

(ख) क्या ये शाखाऐं लाभ में चल रही हैं अथवा हानि में ; और

(ग) यदि वे हानि में चल रही हैं तो कब तक ये शाखाएं काम करेंगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) अपनी स्थापना के समय से अर्थात् १ जुलाई १९५५ से स्टेट बैंक आफ इंडिया ने ३१ मार्च १९६२ तक कुल ४५३ शाखाएं खोली हैं ।

(ख) कुछ शाखाएं लाभ से चल रही हैं और कुछ हानि में ।

(ग) जो शाखाएं आज कल हानि में चल रही हैं उनको अभी बंद करने का विचार नहीं है, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिये हर मुमकिन कोशिश की जायेगी ।

विदेशों में मारे गये भारतीय सैनिक

†१५७७. **श्री गौरी शंकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ के बाद से विदेशों में शान्ति अभियान के सिलसिले में कितने भारतीय सैनिक मारे गये हैं ; और

(ख) इन मृत सैनिकों के परिवारों को क्या सुविधा दी गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : ऐसे व्यक्तियों की संख्या १५ है । ये सभी व्यक्ति कांगो में मारे गये हैं ।

(ख) लोकसभा में २३ अप्रैल, १९६२ को उत्तर दिये गये प्रश्न संख्या ७७ के भाग (ग) के उत्तर की ओर आप का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पोर्ट ब्लेयर में अनधिकृत मकान

†१५७८. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या गृह-कार्य मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पोर्ट ब्लेयर के डुडंस स्थान पर जेटी के अनधिकृत मकान बनाने वाली सार्थ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** अन्दमान प्रशासन जटी से क्या किराय ले इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है।

निकोबार में नारियल-गोला तथा सुपारी का व्यापार

†१५७९. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या गृह-कार्य मंत्री ६ सितम्बर १९६० को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच साथ कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी और नानकोवी ट्रेडिंग कम्पनी के लिये टेन्डरों, नीलामी अथवा निजी तौर पर बेचने का प्रबन्ध करती हैं ;

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कड़ी कार्यवाही कर रही है ताकि ये सार्थ माल की बिक्री कम न करें और इस कारण निकोबार की अर्थव्यवस्था पर कोई घातक प्रभाव न पड़े क्योंकि सरकार को वहां की अर्थव्यवस्था ठीक से बनाये रखनी है और यह व्यवस्था अन्दमान निकोबार टापू (मूल अधिकारों की सुरक्षा) के विनियमन और इन विनियमनों के अधीन जारी किये जाने वाली व्यापार अनुज्ञप्तियों के अधीन सरकार को यह सुरक्षा बनानी है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) यह पता चला है कि ये पांच सार्थ खोपरा तथा सुपाड़ी खुले बाजार में उन लोगों को बेचती हैं जो सबसे अधिक मूल्य देता है चाहे वह मूल्य दलाल की मार्फत आये अथवा सीधी बातचीत करके मिले।

(ख) इन समवायों के लेखाओं की जांच के समय इन की बिक्री पर नियंत्रण रखा जाता है। इन समवायों के १९५९ और १९६० के लेखाओं की जांच करते समय यह नहीं पाया गया कि इन समवायों ने बिक्री के मामले में कोई गोलमाल की है अथवा बिक्री को कम करने का प्रयत्न किया है।

कोटा सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र

१५८०. **श्री बेरवा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र से चांदमारी करते समय चम्बल नदी के पार तीरथ गांव के एक ग्रामीण को गोली लग गयी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके फलस्वरूप उस ग्रामीण की मृत्यु हो गई ;

(ग) चांदमारी का जो खतरे का बोर्ड लगाया गया है वह कब से लगा हुआ है और क्या ग्रामीण खतरे के उस बोर्ड से परे अपने खेत में काम कर रहा था ; और

(घ) भविष्य में इस तरह की घटना रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) (क) जी हां।

मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं। उस ग्रामीण के दाएं कंधे में घाव आया था। उसकी चिकित्सा सैनिक अस्पताल में की गई थी और उसके पश्चात् उसे असैनिक अस्पताल में भेज दिया गया था। वहां से उसे ३ दिन पश्चात् विमुक्त कर दिया गया था।

(ग) घटना के दिन ७.३० बजे प्रातः संकट के झंडे लगा दिये गये थे। चांदमारी ७.४५ पर आरम्भ हुई थी। दुर्घटना ११ बजे हुई। दुर्घटना स्थल चांदमारी के संकटमय क्षेत्र में लक्ष्यों से लगभग २००० गज है।

(घ) साधारण सुरक्षा व्यवस्थाओं के अतिरिक्त आस पास की असैनिक आबादी को चांदमारी के बीच संकटमय क्षेत्र में प्रवेश के प्रति सावधान करने के लिए क्षेत्र में जगह-जगह नोटिस बोर्ड लगा दिये गये हैं।

आदिवासी संस्कृति का विकास

†१५८१. **श्री ह० च० सौय :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी संस्कृति संगठनों के विकास के लिये जोकि प्रत्येक गांव में स्थापित हैं और विशेषरूप से बिहार में सिवाय इसके कि उन्हें प्रति वर्ष दिल्ली में और राज्यों की राजधानी में बुलाया जाता है कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकारों से यह सिफ़रिश करेगी कि वे अपने कल्याण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत इसके लिये अलग-अलग शाखाएं खोलें ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** हालांकि केन्द्रीय सरकार इन आदिवासी संस्कृति संगठनों को अनुदान देती है किन्तु फिर भी सारा दायित्व राज्य सरकारों का ही है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१५८२. **श्री ह० च० सौय :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सिंहभूम रांची और छोटा नागपुर जिलों में एक सघन भूतत्वीय सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के मुख्य परिणाम अब तक क्या हैं ; और

(ग) इन में से किनका वाणिज्यिक रूप से लाभ उठाया जा सकता है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी हां।

(ख) महत्वपूर्ण परिणाम ये हैं :—

सिंहभूम के तांबे के क्षेत्र में विस्तृत मानचित्र बनाकर भूरासायनिक सर्वेक्षण करके तथा भूभौतिकीय सर्वेक्षण के फलस्वरूप रोमसिद्धेश्वर राखा खान कामचन्द्र पहाड़ तमार्दुगरीम हुलडीह और राजदह खण्डों में तांबा मिलने की संभावना है। रोम क्षेत्रमें

†मूल अंग्रेजी में

जो १२०० मीटर लम्बा खनिज पदार्थों का क्षेत्र है उनमें छिद्रण से कोई खनिज पदार्थों के हिस्से दिखाई दिये हैं जिससे यह संभावना है कि १५० लाख टन तांबे के सुरक्षित भंडार वहां होंगे। काम अभी जारी है।

दक्षिण करनपुर, उत्तर करनपुर और कामगढ़ के कोयला क्षेत्रों में खोज का काम हो रहा है। दक्षिण करनपुर के कोयला क्षेत्रों में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधिसूचित खंडों में अब तक १० खंडों के १५६४० लाख टन सुरक्षित भंडार मिलने का अनुमान है। उत्तर करनपुर कोयला क्षेत्र में छिद्रण जारी है। रामगढ़ कोयला क्षेत्र में एक २२.५ मीटर मोटी परत और एक ३.९१ मीटर मोटी परत छिद्रण द्वारा मालूम की गई थी। अभी तक २९७ लाख टन सुरक्षित भंडार का अनुमान है। काम जारी है।

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयला निकाला जा रहा है। रोम सिद्धेश्वर और राखा तांबे की खानों के निक्षेपों का वाणिज्यिक प्रयोग अभी मालूम किया जाना है।

आयुध कारखानों द्वारा तैयार किया गया गोला बारूद

†१५८३. **श्री बृजराज सिंह (कोटा)** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १२ बोर के कारतूसों के अतिरिक्त हमारे आयुध कारखानों द्वारा शिकार का कौनसा गोला बारूद तैयार किया जा रहा है ;

(ख) क्या इससे शिकारियों की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं ; और

(ग) बाजार में ये किन किन मूल्यों पर बेचे जाते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैय्या)** : (क) १२ बोर के कारतूसों के इलावा आयुध कारखाने कारतूस ८ एम० एम/.३१५ और .२२ रिम फायर बाल एस० ए तैयार कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) चालू परचून मूल्य जिन पर ये बाजार में बेचे जाते हैं, ये हैं :

(१) कारतूस ८ एम एम/.३१५	५२ रुपये प्रति १००
(२) कारतूस .२२ रिम फायर बाल	७० रुपये प्रति १००

रत्नागिरि में इस्पात संयंत्र

†१५८४. **श्री नाथ पाई** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले में रेड्डी पर एक दर्मियाने पैमाने का इस्पात संयन्त्र स्थापित करने का विचार है ? और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

डाक द्वारा शिक्षा

†**१५८५. श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में जारी किये जाने वाले डाक द्वारा शिक्षा की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) तो यह १९६२ में कब शुरु हो जायेगी ;

(ग) क्या इसमें वे सब उम्मेदवार आ सकेंगे जिनके हायर सैकेन्डरी और इन्टरमिडियेट परीक्षाओं में कम नम्बर आये हों; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ऐसे उम्मेदवारों की कैसे सहायता करेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (घ). डाक द्वारा शिक्षा जारी करने की योजना विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा सिद्धान्त रूप में मान ली गई है और उसके सितम्बर, १९६२ में शुरू हो जाने की आशा है। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा

†**१५८६. श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन लड़के और लड़कियों के हायर सैकेन्डरी स्कूलों में नाम (अलग-अलग) क्या हैं जिन में (१) विज्ञान की शिक्षा की सुविधाएं हैं (२) जिन में नहीं है; और

(ख) उन स्कूलों में जिनमें ये सुविधाएं नहीं हैं, ऐसी सुविधाएं देने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी।

अपाहिज लोगों के लिए शिक्षा

†**१५८७. श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपंग व्यक्तियों की उचित जनगणना न होने के कारण, उनकी उचित शिक्षा और प्रशिक्षण की योजनाएं न सरकार द्वारा और न गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाई जा सकती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जानी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी नहीं। यद्यपि समस्या के रूप की जानकारी से उचित आयोजन में सहायता मिलेगी।

(ख) नमूना सर्वेक्षण करने की एक योजना तीसरी योजना में सम्मलित की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपाहिज लोगों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†१५८८. श्रीमती सावित्री निगम : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंग व्यक्तियों की शिक्षा तथा पुनर्वास के लिये कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिये सरकार का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(ख) अपंग व्यक्तियों के प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास के लिये किन किन श्रेणियों के कर्मचारियों की आवश्यकता है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं । जहां तक सम्भव है, वर्तमान सुविधाओं से लाभ उठाया जायेगा ?

(ख) एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

इस देश में अपंग व्यक्तियों को पुनर्वास, प्रशिक्षण और शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मुख्यवर्ग के कर्मचारियों की आवश्यकता है ।

(१) अन्धे, बहरे और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिये अध्यापक, अपंग बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी विशेष समस्यायें नहीं हैं । अतः उनके अध्यापकों को किसी प्रकार के विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती ।

(२) अन्धे, बहरे, अपंग और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिये दस्तकारी प्रशिक्षणक ।

(३) व्यावसायिक परामर्शदाता ।

(४) श्रव्य शक्ति प्रशिक्षक ।

(५) व्यावसायिक इलाज करने वाले ।

(६) शरीर के अंगों का इलाज करने वाले ।

(७) डाक्टरी मनोविज्ञान वेत्ता ।

(८) नियुक्ति नियोजन करने वाले पदाधिकारी ।

(९) वर्कशाप या अपंगों के लिये उत्पादन एककों के प्रबन्धकर्त्ता ।

चित्रकूट सलाहकार समिति

†१५८९. श्रीमती सावित्री निगम : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक परिषद् के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों की एक चित्रकूट सलाहकार समिति बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति के बनने से लेकर अब तक उसकी कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ग) चित्रकूट के विकास के लिये समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ;

(घ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या इसका एक सरकारी सभापति होने के कारण समिति के काम में बाधा पड़ रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) एक।

(ग) और (घ). समिति ने अब तक २४ शिफारिश की हैं, जिसमें से १४ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय विकास प्राधिकार द्वारा और शेष १० उत्तर प्रदेश की स्थानीय विकास प्राधिकार द्वारा क्रियान्वित की जानी है। की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्यौरा आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने के बाद पटल पर रख दिया जायेगा।

(ङ) नहीं।

प्रादेशिक सेना

१५९०. श्री नवल प्रभाकर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना के कुछ अफसरों को लेफ्टिनेंट का पद देने का सरकार ने निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने अफसरों के मामले इस पदवृद्धि के लिये विचाराधीन हैं ; और

(ग) उन्हें वे पद कब तक दिये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क), (ख) तथा (ग). प्रादेशिक सेना के अफसरों को ३ वर्ष की सेवा करने के बाद लेफ्टिनेंट पद पर तरक्की दे दी जाती है, बशर्ते कि वे इस दौरान में निश्चित परीक्षा पास कर लें। मेडिकल अफसरों को कमीशन देने के बाद फौरन ही लेफ्टिनेंट का पद दे दिया जाता है।

यदि अफसर प्रादेशिक सेना रेगूलेशन के अन्तर्गत दी हुई शर्तों को पूरा करते हैं तो उनकी तरक्की उचित समय पर की जाती है और तरक्की देने वाले मामले एक निश्चित कार्य-विधि के अनुसार विचार करने के लिये पेश किये जाते हैं।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

†१५९१. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९५८ की धारा १४ की उपधारा (१) के परन्तुक के खण्ड (च) और (छ) के अन्तर्गत ३० अप्रैल, १९६२ तक मालिक मकानों ने किरायादारों को निकालने के कितने दावे दायर किये ; और

(ख) क्या सरकार को उन मामलों की संख्या की जानकारी है, जिनमें उन किरायेदारों को जिन्होंने उक्त अधिनियम की धारा २० के उपबन्धों के अनुसार मकानों में रहना चाहा था, मकानों की मरम्मत या पुनर्निर्माण के बाद दोबारा कब्जा दे दिया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) खण्ड (छ) के अन्तर्गत २१९ मामले और खण्ड (च) के अन्तर्गत १०३ मामले।

(ग) नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत किरायादारों की बेदखली

†**१५९२. श्री नवल प्रभाकर :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम १९५८ की धारा १४ की उपधारा (१) के परन्तुक के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत मालिक मकानों ने ३० अप्रैल, १९६२ तक किरायादारों को निकालने के लिये कितने दावे किये; और

(ख) उपखण्ड (ङ) के अन्तर्गत आने वाले कितने मामलों में मालिक मकानों ने यह युक्ति दी है कि (१) उनके पास कोई और उपयुक्त रिहाइशें मकान नहीं है ;

(२) मकान उन्हें (क) उनके परिवार के किसी सदस्य के लिये (ख) किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जिसके लिये मकान है ; और

(३) उन्हें अपने रहने के लिये मकान चाहिये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) ५४४९ ।

(ख) (१) ५४४९ ।

(२) और (३) उपखण्ड (ङ) के अन्तर्गत अधिकांश मामले श्रेणि (३) में आते हैं और बहुत कम मामले (२) (क) और (ख) के अन्तर्गत आते हैं ।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

†**१५९३. श्री नवल प्रभाकर :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम १९५८ की धारा १४ की उपधारा (१) के परन्तुक के खण्ड (च) और (छ) के अन्तर्गत किरायादारों को निकालने के बाद, मालिक मकानों ने निर्धारित अवधि के अन्दर न मरम्मत की है और न निर्माण कार्य किया है या पहले अनुमोदित निर्माण या पुनर्निर्माण नकशे को बदल दिया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय किरायादार संस्था, दिल्ली ने गृह-कार्य मंत्रालय को कोई ज्ञापन दिया है कि बेदखली सम्बन्धी अधिनियम के कुछ खंडों में तुरन्त संशोधन किया जाये और इस काम के लिए एक अध्यादेश जारी किया जाये ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ ।

सिंगारेनी कोयला खानें

†**१५९४. श्री प० कुन्हन :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंगारेनी कोयला खानों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए संशोधित लक्ष्य क्या है ;

(ग) क्या इस कम्पनी के लिए वित्तीय आवंटन में संशोधन किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). सारा मामला सरकार के विचाराधीन है ।

आन्ध्र प्रदेश में कालेजों के लिये अनुदान

†**१५९५. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९६१-६२ में आंध्र प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों को कुल कितना अनुदान दिया ;

(ख) प्रत्येक मामले में ये अनुदान किस प्रयोजन के लिए दिये गये थे ; और

(ग) १९६२–६३ में संस्थाओं के लिए कितने अनुदान रखे गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) १९६२–६३ के लिए आयोग ने कोई अनुदान नहीं रखे हैं ।

विज्ञान मंदिर

†**१५९६. श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में विभिन्न राज्यों में कुल कितने विज्ञान मंदिर खोले गये हैं और किन स्थानों पर ;

(ख) उस अवधि से पहले प्रत्येक राज्य में कुल कितने विज्ञान मंदिर थे; और

(ग) ग्रामीणों को इन विज्ञान मंदिरों से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०]**

(ग) विज्ञान मंदिरों से ग्रामीण लोगों को विज्ञान का अधिक अनुभव कराया गया है जिससे वे अपना दृष्टिकोण और भी वैज्ञानिक बना सकेंगे ।

नेपा अखबारी कागज पर से उत्पादन शुल्क की छूट का वापस लिया जाना

†**१५९७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि नेपा अखबारी कागज पर उत्पादन शुल्क की छूट वापस ले ली जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण, और

(ग) क्या यह सच है कि समाचार उद्योग में इसके विरुद्ध बहुत नाराजगी है ;

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मुख्यतः इस बात को देखते हुए कि यह अभी अभी शुरू हुआ है और इसके कुछ समय तक अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की आशा नहीं थी, नेपा मिल्ज द्वारा तैयार किया गया अखबारी कागज जब यह अखबारों पाठ्य पुस्तकों और कुछ आम पुस्तकों को छापने के लिए प्रयोग किया जाता था, १९५५ में उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। अब चूंकि वह स्थिति नहीं रही जिसके कारण यह रियायत दी गई थी, इसे २४ अप्रैल, १९६२ से वापस ले लिया गया है।

(ग) कुछ समाचार पत्रों से इसे बहाल करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

हिन्दी स्टेनोग्राफर

†१५९८. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग हिन्दी स्टेनोग्राफरों की भरती के लिए किसी परीक्षा का आयोजन नहीं करता ;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-काय मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** (क). जी हां।

(ख) चूंकि वर्तमान कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा, आयोग द्वारा हिन्दी स्टेनोग्राफर भरती करने का विचार नहीं है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व

†१५९९. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **गृह-काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के सब विभागों के अध्यक्षों से कहा जाता है कि वे अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में वार्षिक सामुदायिक विवरण गृह-कार्य मंत्रालय को भेजेंने, और

(ख) यदि हां, तो डाक और तार निदेशालय और रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये पिछले ५ वर्षों के विवरण पटल पर रखे जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सेवाओं में विशिष्ट प्रतिनिधित्व के बारे में वार्षिक विवरण गृह-कार्य मंत्रालय को १९६० तक दिये जाते थे। १९६१ से विभिन्न सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को ये विवरण अपने अपने मंत्रालयों को भेजे जाते हैं, केवल कुछ विवरण गृह-कार्य मंत्रालयों को जांच के लिये भेजे जाते हैं।

(ख) इन विवरणों को सभा पटल पर रखने का विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में कोयला खानें

१६००. श्री चांडक : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुनारदेव (मध्य प्रदेश) क्षेत्र में बहुत सी कोयले की खानें हैं, लेकिन वहां के अनेक पट्टेदारों का कोयला निकालने का मुआनियत कर दी गई है और परिणामत: खानें बन्द पड़ी हैं जिसके कारण उस के हजारों खनिक बेकार होकर बाहर चले जा रहे हैं ; और

(ख) ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजय से पट्टेदारों को कोयला निकालने की मुआनियत की गई है ?

खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). सामग्री इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

चोरी के मामले

†**१६०१. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चोरी के १९ मामलों मे, जो कि औसतन प्रति दिन दिल्ली में होते हैं, १३ में अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सकता और उनके मामलों को बिना परिणाम रख दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या पग उठाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) दिल्ली में प्रति दिन चोरी की १९ घटनायें होती हैं । इनमें से २१ प्रतिशत का पता लगाया जा सकता है ।

(ख) ऐसे मामलों को सुलझाना कठिन होता है ।

(ग) पुलिस द्वारा गश्त और बदमाशों पर निगाह रखने के अलावा इन अपराधों का पता लगाने में वैज्ञानिक तरीकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) :** मैं श्री के० दे० मालवीय की ओर से १९६०-६१ वर्ष के लिये कोयला बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-१२७/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य भारत चिकित्सा परिषद् (पुनर्गठन) आदेश, बम्बई श्रम कल्याण बोर्ड (पुनर्गठन) संशोधन आदेश

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१८ में प्रकाशित मध्य भारत चिकित्सा परिषद् (पुनर्गठन) आदेश, १९६१ ।

(२) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८० में प्रकाशित बम्बई श्रम कल्याण बोर्ड (पुनर्गठन) संशोधन आदेश, १९६२ **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० १२८।६२ और एल० टी०, १२९/६२]**

डाक घर बचत प्रमाण पत्र संशोधन नियम

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(१) दिनांक २४ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५३ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम १९६२

(२) दिनांक १४ अप्रैल १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६९ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १३०।६२]

एक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : एक प्रश्न के उत्तर के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल तारांकित प्रश्न संख्या ८०१ के अनुपूरक प्रश्न में श्री हेम बरुआ ने पूछा था :

"क्या यह सत्य है, कि विदेशों से बिजली पैदा करने के संयंत्र समय पर प्राप्त न होने के कारण इस दिशा में कार्यक्रम को धक्का लगा है ?"

मैं ने उत्तर दिया था :

"मैं इस बारे में तुरन्त कुछ नहीं कह सकता ।"

तब जब कि मैं एक अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर दे रहा था तो उन्होंने फिर एक अनुपूरक प्रश्न किया शायद उन्होंने मुझे भली भांति नहीं सुना था । उन्होंने फिर प्रश्न किया :

"श्रीमान जी, मेरे ८०२ प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के ....."

वास्तव में प्रश्न संख्या ८०२ न होकर ८०१ थी—

" ..... मेरे पूछने पर कि क्या संयंत्र समय पर विदेशों से प्राप्त न होने के कारण कार्यक्रम में कोई बाधा उपस्थित तो नहीं हुई और मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था कि नहीं, परन्तु अब

---

†मूल अंग्रेजी में

वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऐसा हुआ था और यह सत्य है कि इसका कारण विदेशों से संयंत्रों का समय पर प्राप्त न होना था। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं ?"

इस प्रश्न का समुचित उत्तर मेरे वरिष्ठ सहयोगी हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम ने दे दिया था।

आपने भी श्रीमान जी, यह अहा था कि यदि उत्तर नहीं में था तो यह गलत था। परन्तु वास्तव में मैंने नहीं मे उत्तर दिया ही नहीं था। मैंने केवल इतना ही कहा था, "मैं इस प्रश्न का तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता।" इस बात का उल्लेख ठीक ढंग से नहीं किया गया जिससे कि भ्रांति पैदा हो गयी। मैं यह भ्रांति दूर करना चाहता हूं। वैसे मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के उत्तरों को इतनी शीघ्रता से नहीं लिया जाना चाहिये।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : इस उत्तर में शुद्धि की जानी चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसमे कोई विशेष बात नहीं, माननीय मंत्री यह स्पष्ट करनाचाहते हैं कि मैंने तथा श्री हेम बरुआ, हम दोनों ने उनके उत्तर को ठीक तरह से नहीं समझा था।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) :** मैं २१ मई, १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्न सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :—

(१) सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान।

(२) निम्न मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :—

परिवहन तथा संचार

खाद्य तथा कृषि

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य

स्वास्थ्य

शिक्षा

सूचना तथा प्रसारण ; और

विधि

समितियों के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा संशोधित राष्ट्रीय छात्र सेना दल अधिनियम, १९४८ की धारा (१२) की उप-धारा (१) (आई)

†मूल अंग्रेजी में

के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त ऐक्ट के अन्य उपबन्धों और राष्ट्रीय छात्र सेना दल नियम, १९४८ के अधीन राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति में अपने निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष तक उसके सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा संशोधित राष्ट्रीय छात्र सेना दल अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उप-धारा (१) (आई) के अनुरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त एक्ट के अन्य उपबन्धों और राष्ट्रीय छात्र सेना दल नियम, १९४८ के अधीन राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति में अपने निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष तक उसके सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

केन्द्रीय प्राणिशास्त्र सलाहकार बोर्ड

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के दिनांक २९ जन, १९६१ के संकल्प संख्या एफ० २१–१/६१ सी० आई० के० पैराग्राफ ३ (५) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन उन के निर्वाचन की तिथि से आरम्भ होकर २८ जून, १९६४ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये केन्द्रीय प्राणिशास्त्र सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के दिनांक २९ जून, १९६१ के संकल्प संख्या एफ० २१–१/६१ सी० आई० के० पैराग्राफ ३(५) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य , ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन उनके निर्वाचन की तिथि से आरम्भ होकर २८ जून, १९६४ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये केन्द्रीय प्राणिशास्त्र सलाहकार बर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय विज्ञान संस्था की परिषद्

†**श्री हुमायून कबिर :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के विनियमों के विनियम २.१ और २.१.१ के साथ पठित उक्त संस्था की सम्पतियों और निधि के प्रशासन और प्रबन्ध की

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना के खण्ड १४(५) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, इस संस्था की परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विज्ञान संस्था, बैंगलौर के विनियमों के विनियम २.१ और २.११ के साथ पठित उक्त संस्था की सम्पतियों और निधि के प्रशासन और प्रबन्ध की योजना के खण्ड १४(५) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, इस संस्था की परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानो की मांगें

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

वर्ष १९६२-६३ के लिए सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :-

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६६	सिंचाई और ईंधन मंत्रालय	२०,५८,०००
६७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें . .	९१,९७,०००
६८	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का राजस्व व्यय	२,४८,९३,०००
१३०	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	७,५२,५६,०००
१३१	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	११,४२,९८,०००

†**श्री ईश्वर रेड्डी** (कड़पा) : सिंचाई और बिजली के महत्व को बताने की कोई विशेष जरूरत नहीं । हमारी अर्थ व्यवस्था की यह रीढ़ की हड्डी है । हमारे देश के जो विशाल जल विद्युत के साधन हैं उनके उपयोग को व्यवस्था यही सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय ही करता है । अच्छा होता यदि इसे कुछ और अधिक धन दिया जाता । इसमें कोई सन्देह नहीं कि मंत्रालय द्वारा काम भी किया गया है परन्तु बहुत सी योजनाओं को सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया । किसी न किसी कारण से काम में देरी हो जाती रही है ।

दूसरी योजना के अन्त तक सिंचाई सम्बन्धी हमारी जल क्षमता का अनुमान १३० लाख एकड़ का था । परन्तु वास्तविक उपयोग केवल ९० लाख एकड़ के लिये ही किया गया । मतलब यह कि ४० लाख एकड़ पर सिंचाई न हो सकी । अब तीसरी योजना में यह क्षमता २९० लाख एकड़ की है जब कि वास्तव में प्रयोग केवल २२० लाख एकड़ पर होगा । ७० लाख एकड़ का अन्तर रह जायेगा । इससे कितनी हानि होगी इसका आप अनुमान लगा सकते हैं । मेरा निवेदन है कि हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी जल क्षमता का पूरा प्रयोग कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ईश्वर रेड्डी]

जहां तक बड़ी बड़ी परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मैं उनका महत्व कम नहीं समझता परन्तु उन्हें इतना लम्बा किया जा रहा है कि सामान्य व्यक्ति तंग आ रहा है। लोगों में इस बारे में उत्साह और जोश कम होता जा रहा है। अतः इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि योजना का काम प्रवीण हाथों में देना चाहिए और सारे काम का अधिक से अधिक समन्वय होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छोटी सिंचाई योजनाओं के महत्व को भी अनुभव कर लिया गया है। ये योजनायें सारे देश भर में फैली हुई हैं, परन्तु उनके लिये कुछ करने की आवश्यकता है। परन्तु यह खेद का विषय है कि इस मामले को सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के पास न रख कर, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को सौंपा जा रहा है।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है मुझे यह शिकायत है कि सभी योजनाओं में हमारे साथ न्याय नहीं किया गया। प्रकृति ने हमें सिंचाई और विद्युत के विशाल साधन प्रदान किये हैं परन्तु उनका समुचित उपयोग नहीं हो रहा। हमारे कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा जैसी बड़ी नदियां भी हैं परन्तु फिर भी लोग पानी के लिए चिल्ला रहे हैं और विशाल खनिज संसाधन होते हुए भी हम पिछड़े हुए हैं। पंचम पद परियोजना जो कि आन्ध्र सरकार काफी समय से केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी है, अभी तक स्वीकृत नहीं की गयी। इससे ९० प्रतिशत गोदावरी का जल, जो कि सागर में जा कर नष्ट हो जाता है उपयोग में लाया जा सकता है। गोदावरी जल विवाद के साथ इस कार्य को नहीं जोड़ा जाना चाहिये। तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर की कहानी भी बड़ी खेदजनक है। ६० वर्ष हुए रायल सीमा, और नैलोर के लिए कुछ विदेशी इन्जीनियरों के इसका नक्शा बनाया था। १९४५ में छोटी नहर बनाने का ही इरादा किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस कार्य का काफी आन्दोलनों के पश्चात् सरकार ने करने का आश्वासन दिया। आश्वासन दिया गया था कि इस कार्य को १९५९ में आरम्भ किया जायगा। परन्तु इस कार्य को अभी तक नहीं किया गया। इससे इस आकाल पीड़ित क्षेत्र के लोगों में काफ़ी असन्तोष की भावना पायी जाती है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आकाल पड़ जाने पर सरकार पीड़ितों की सहायता के लिये लाखों रुपया खर्च करती है तो क्यों नहीं एक ही बार में १० करोड़ का खर्चा करके बड़ी परियोजना तैयार कर ली जाती। इस योजना काल के अन्तर्गत लिया जा सकता है। इससे आकाल का दुख भी मिट जायेगा और लोगों का असन्तोष भी समाप्त हो जायेगा : लोग यह समझने लग जायेंगे कि हमारे साथ न्याय हुआ है। अतः मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें।

विद्युत् के मामले में आन्ध्र की स्थिति बड़ी गम्भीर है। विभिन्न स्थानों की बिजली में कटौती की जा रही है। विद्युत् की इस कमी के कारण गावों में बिजली ले जाने का कार्य खटाई में पड़ गया है। काफी उद्योगों को भी हानि पहुंची है। कई उद्योग-पति इस कमी के कारण उद्योगों को आन्द्र राज्य स बाहर ल जान को सोच रह हैं। मेरा बिचार यह है कि इस दिशा में जो भयंकर स्थिति निर्माण हुई है उसका उत्तरदायित्व सरकार पर है। सरकार को इस बात का ज्ञान था कि बिजली के मामले में आंध्र प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। फिर भी द्वितीय योजना में इसके लिये २२ करोड़ रुपये रखे गये। २२ करोड़ रुपये की यह राशि पहली योजना के अन्तर्गत रखी गई राशि से भी चार करोड़ कम थी। अब आप समझ सकते हैं कि इससे अधिक आन्ध्र प्रदेश के साथ और अन्याय क्या हो सकता है। जब कि अन्य राज्यों की राशि में दूसरी योजना में ९० प्रतिशत की वृद्धि की गई। तुंगभद्रा-नैलोर जल बिजली योजना भी खटाई में पड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि संकटकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये इस योजना को कार्यान्वित करना चाहिये। इसी प्रकार नागार्जुन सागर और श्री सैलम योजनाओं की ओर भी

ध्यान दिया जाय। ताकि आन्ध्र प्रदेश भी अन्य राज्यों की तरह समुचित रूप से प्रगति की ओर अपना कदम बढ़ा सके।

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सिंचाई के मामले में हमने अच्छी प्रगति की है। हमने बहुत बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का विकास किया है। कई एक परियोजनाएं पूरी भी हो गई हैं और कुछ पूरी होने को हैं। इनसे देश भर में काफी मात्रा में कृषि उत्पादन बढ़ जायेगा। कई एक राज्यों में जलसाधनों के कारण विवाद खड़े हो गये हैं। भाषा भाषी प्रान्तों के निर्माण के कारण यह विरासत में मिले हैं। मेरा मत यह है कि इन विवादों की जांच पड़ताल करने के लिये किसी समिति अथवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्यों के मुख्य मंत्री अथवा सिंचाई मंत्री जो कि सारे ही एक ही दल के हैं को ऐसे स्थानों पर जा कर निरीक्षण करना चाहिये। तथा विवादास्पद मामलों का निर्णय दे देना चाहिये। सभी पक्षों को इसे एक परिवार के रूप में ले लेना चाहिये।

सिंचाई मंत्रालय को बड़ी बड़ी परियोजनाओं में ही अपना सब कुछ लगा कर सन्तोष कर लेना चाहिये। प्रत्युक्त उन्हें छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिये। आन्ध्र में पंचायतों के आपसी झगड़ों के कारण छोटी सिंचाई योजनाओं को बहुत हानि रही पहुंच है। सिंचाई मंत्री महोदय को इसे ओर ध्यान देना चाहिये। आन्ध्र राज्य में कितने ही ऐसे स्थान हैं जहां वर्षा नहीं होती। वहां इन्हीं परियोजनाओं से काम लिया जाता है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं तो विशेष क्षेत्रों को ही लाभ पहुंचाती हैं। परन्तु छोटी सिंचाई योजनाओं से तो हम देश के प्रत्येक गावों को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसे कई क्षेत्रों को आकाल से भी बचाया जा सकता है। यह खेद की बात है कि जिस परियोजना के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी और दूसरी योजना के अन्तर्गत जिसके लिये ३१ लाख रुपये की व्यवस्था भी की गई। परन्तु उसे अभी तक भी आरम्भ नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है।

इस स्कीम का जो कि राज्य सरकार ने बनाई थी।नरीक्षण सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने किया था और इसे द्वितीय योजना में रख लिया था। द्वितीय योजना में कुछ नहीं किया गया। फिर तृतीय योजना के लिये रखी गई। अभी तक इस स्कीम पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सिंचाई तथा विद्यूत् मंत्रालय इस परियोजना के कार्यान्वित किए जाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और राज्य सरकार को क्यों नहीं सतर्क किया। माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वे इस परियोजना पर कार्यवाही के लिये कठोरता से काम लें। माननीय मंत्री जी को इस परियोजना को पूरा करने के लिये राज्य सरकार को बार बार याद दिलानी चाहिये।

जहां तक विद्युत् परियोजनाओं का सम्बन्ध है स्रिडैलाम परियोजना आन्ध्र प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उद्योगपतियों और कृषकों के लिए बिद्युत मिलगी।

श्री इक़बाल सिंह (फीरोजपुर) : स्पीकर साहब, सब से पहले मैं इस मिनिस्ट्री के चलाने वालों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस साल तरक्की की नई नई स्कीमें चलाई और बाकी स्कीमों को चलाने के वास्ते जो उन्होंने हिम्मत की है वह वाकई तारीफ की चीज है। इस सारे सिलसिले को देखते हुए यह मिनिस्ट्री और इस को चलाने वाले बधाई के पात्र हैं।

जहां तक इरीगेशन एंड पावर मिनिस्ट्री का ताल्लुक है सब से पहले बोलने वाले दोस्त ने ठीक ही कहा है कि माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इस मिनिस्ट्री के नीचे नहीं हैं और यही वजह है कि माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में सारे देश में तरक्की की रफ्तार बहुत कम है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि इन को इस मिनिस्टी के नीचे लाया जाये स्टेट्स में भी और यहां पर भी।

ऐसा करने से उन की तरक्की की रफ्तार ज्यादा होगी। जिस मिनिस्ट्री के पास अभी वह हैं न उन के पास टैकनिकल नो हाऊस है और न वह उनको बना सकते हैं और न ही उनको रिपेयर कर सकते हैं और न ही उनको मेंटेन कर सकते हैं। वह अगर इनको बनाते भी हैं तो इस मिनिस्ट्री से इंजीनियर्स लेकर बनाते हैं, रिपेयर्स भी इस मिनिस्ट्री से इंजीनियर्स लेकर करते हैं और मेंटेन भी इस मिनिस्ट्री से इजीनियर्स उधार ले कर करते हैं। इसलिये मुनासिब यह है कि जो भी माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वह भी इस मिनिस्ट्री के नीचे हों ताकि उनकी रफ्तार और खास तौर पर उनके ऐक्जीक्यूशन की तरफ रफ्तार तेज हो सके।

अब किसी सूबे में जहां पर ४० परसेंट टार्गेट है तो उस क मुताबिक चलते हैं। किसी सूबे में ५० परसेंट है तो किसी सूबे में ६० परसेंट माइनर इरीगशन की स्कीमें बनी हैं। यह पहले पांच सालों में और दूसरे पांच सालों में पूरी नहीं हो सकी हैं और इन के पूरा न हो पाने से नुकसान जो होता है वह किसान को होता है क्योंकि बड़ी बड़ी स्कीमें तो बड़े बड़े लोगों को ही फायदा पहुंचाती हैं। लेकिन ५, १०, १५ और ५० लाख की जो स्कीमें हैं उन का फायदा इस देश के आम किसानों को होता है और जो कि देश तमाम हिस्सों में फैले हुए हैं। हर दफे मैं यह चीज कहता हूं और मुझे आशा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस का फैसला करेगी और यह माइनर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स इस मिनिस्ट्री में होंगे।

इस के बाद चन्द अल्फाज मैं सेंट्रल वाटर एंड पावर कमिशन के बारे में कहना चाहता हूं। इस कमिशन में आगे से बहुत बेहतरी हुई है। दो मैम्बर्स और लिये गये हैं। एक पावर विंग में लिया गया है और दूसरा वाटर विंग में लिया गया है।

पूना रिसर्च स्टेशन की भी इस सिरसिले में बहुत तरक्की हुई है लेकिन इस कमिशन से इस देश को जो आशा है उसको पूरा करने के लिये अभी यह कमिशन उतनी तेजी से काम नहीं कर सका है जितनी तेजी से कि उसे करना चाहिये था। इंस्पैक्शन, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और टैकनिकल ऐडवाइस के सिलसिले में कमिशन से जो आशाएं की जाती थीं वह पूरी नहीं हो पायी हैं और उतना काम नहीं हो सका। स्कीमें बनती हैं और पड़ी रहती हैं। कई कई स्कीमें तो तीन, तीन और चार, चार साल तक पड़ी रहती हैं और वह स्कीमें कमिशन से पास नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनके पास न तो स्ट्रेंथ होती है और न ही साधन। स्कीमें इतनी ज्यादा होती हैं कि वह उनको ले नहीं पाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस कमिशन का रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये और इस कमिशन को ज्यादा स्ट्रेंथ दी जानी चाहिये। काम के सिलसिले में भी मुझे यह अर्ज करना है कि इनका टेकनिकल ऐग्जामिनेशन और कौस्ट के बारे में ज्यादा इंस्पैक्शन करने की पावर्स देनी चाहिएं। एक स्कीम को एक दफा उन्होंने पास कर दिया उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसे किस ढंग से चलाती है और उसके क्या रिपरक्शंस् होते हैं और उस स्कीम के चलने से किसानों को ठीक ढंग से फायदा होता है या नहीं, कमिशन ने जिस ढंग से उस स्कीम को पास किया है उस ढंग से चलती है या नहीं, जब तक इस सारे प्रौसेस को वह ऐग्जामिन नहीं करेगा तब तक ठीक से काम नहीं चल सकेगा। मैं इस चीज को मानता हूं कि यह कमिशन उन स्कीम्स् के ऐग्जीक्यूशन में दखल न दे लेकिन उन के इंस्पैक्शन में, कौस्ट एकांउटेंसी में, टैकनिकल ऐग्जामिनेशन में और इंजीनियरिंग के सिलसिले में जो भी ऐडवाइस उनको दे सकता है, देना चाहिये। हर प्रौजेक्ट पर जरूरी सलाह देपे रहना चाहिये। ऐसे होने से इस देश की भी और उन प्रोजेक्ट्स की भी बेहतरी हो सकती है। अब होता यह है कि एक स्कीम आती है और कमिशन इस धोखे में रहता है कि वह आगे चलेगी और उसी ढंग से चलेगी जैसे कि वह चाहता है लेकिन देखा यह जाता

है कि उस स्कीम पर जब काम शुरू होता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इसलिये इस कमिशन को हर एक स्कीम पर चाहे वह बड़ी स्कीम हो अथवा छोटी, उन पर हमेशा निगरानी रखना चाहिये और ऐसी निगरानी तभी रक्खी जा सकती है जब कि इस कमिशन के स्कोप को बढ़ाया जाये, इसकी स्ट्रैंथ को बढ़ाया जाय और उस के वंश कुछ ज्यादा किये जायें।

जब हिन्दुस्तान में मेडिसन के सिलसिले में नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीच्यूट कायम किया गया है। अगर वह बड़ी-बड़ी चीजें कर सकता है तो इरीगेशन और पावर मिनिस्ट्री भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत काम कर सकती है। कोशिश करना चाहिये कि वहां पर यह इंजीनियरिंग का काम तेजी से हो। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के सिलसिले में न तो कोई रिसर्च इंस्टीच्यूट सूबों में है और न ही सेंटर में है। एक दो कोर्स उन्होंने शुरू किये हैं जिनमें कि वह ऐडवाइस देते हैं और वह स्टेट्स जिनमें कि खास तौर पर इरीगेशन एंड पावर के सिलसिले में जिन्होंने पीछे इंजीनियरिंग तरक्की की उनको ट्रेन करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह का स्पेशल स्टडी कोर्स सेंट्रल वाटर एंड पावर कमिशन को हर एक स्टेट में चलाना चाहिये ताकि जो लेटेस्ट इंजीनियरिंग टैकनीक दुनियां में है और उसके जरिए जो बड़े बड़े काम होते हैं उन को वह बता सके। मैं चाहता हूं कि तमाम स्टेट्स के इंजीनियर्स कमिशन के इस स्पेशल स्टडी कोर्स में आयें और इसका फायदा उठायें।

मैं इस चीज को मानता हूं कि पूना रिसर्च इंस्टीच्यूट के काम में भी तरक्की हुई है लेकिन उस को एक युनिवरसिटी का और एक नैशनल इंस्टीच्यूट का दर्जा देना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो काम इस वक्त पूना रिसर्च इंस्टीच्यूट कर रहा है हिन्दुस्तान के इरीगेशन और पावर स्कीम के सिलसिले में कर रहा है वैसा काम शायद हमने जो १२ इंस्टीच्यूट्स अलहदा अलहदा बनाये हैं उनमें बहुत कम इंस्टीच्यूट्स ऐसे होंगे जो कि इतना अच्छा काम करते होंगे। इस के बावजूद भी उसे यूनिवरसिटी का दर्जा हासिल नहीं है और तरक्की करने का अवसर प्राप्त नहीं है। मेरी मांग है कि उसको यूनिवरसिटी बनाया जाय। इसी के साथ दिल्ली और बंगलौर में जो एक, दो मिकैनिकल यूनिट्स बन रही हैं उनको अपग्रेड किया जाय ताकि सही मायनों में यह मिनिस्ट्री सारे देश को टेकनिक्ल ऐडवाइस दे सके। सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन अपना फंकशन पूरा करे और उस फंकशन के पूरा करने से बहुत सी जगह फायदा होगा। टेकनिक्ल फायदा भी होगा और कौस्ट का भी फायदा होगा।

मैं कुछ बातें इरीगेशन ऐंड पावर पोटैंशियल के बारे में कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस दिशा में हुआ तो बहुत कुछ लेकिन कमिशन को उसका उतना लाभ नहीं हो सका जितना कि होना चाहिये था। इस लाभ के न होने के कारण क्या था? मेरी समझ में जो ऊपर बैठे हुए हैं उन में सोचने की यानी इमैजिनेशन ड्राइव तो थी लेकिन जहां तक उस अपने इमैजिनेशन को इम्प्लीमेंट करने का सवाल था उस में वह बहुत दूर तक नहीं जा सके। किसानों को खेतीबाड़ी करने के लिये सही तौर पर पानी नहीं दिया गया। पानी ऐसे ढंग से नहीं दिया गया ताकि वह जल्दी से जल्दी उसको ले सकें और अच्छे ढंग से उसका उपयोग कर सकें। इस लिये में इतना ही कहना चाहता हूं कि पावर पोटेंशियल अब भी जो सेकेंड फाइव इयर प्लान में हुआ है वह नैट ऐरिया ग्रोस ऐरिया में ६२ परसेंट जा चुका है लेकिन जो नैट ऐरिया इरीगेटिड है वह अभी भी ६० परसेंट या उस से कम है। इसलिये इस मिनिस्ट्री को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिये कि पावर पोटैंशियल कैसे एनक्रीज किया जा सकता है और उसका फायदा कैसे हो सकता है। इसके लिए जरूरत है बहुत सी कमेटियां बना कर इस प्राबलम को रूट तक पहुंचा जाय। अब हर एक सूबे की अलहदा अलहदा प्राबलम्स् हैं। पंजाब में इरीगेशन की तो प्राबलम है वह आंध्र में नहीं हो सकती और जो आंध्र की है वह पंजाब की नहीं हो सकती। जहां पर इरीगेशन प्रोजेक्टस बिलकुल नये नये हैं मसलन् डी० बी० सी० हीराकुंड और महानदी के जो प्राजेक्ट्स हैं वहां पर प्राबलम बिलकुल मुख्तलिफ हैं।

वहां पर किसान जो खेती करते हैं उनकी प्राबलम बिलकुल मुख्तलिफ है। इस लिये हर एक जगह जा जा कर उनको अलहदा अलहदा हल निकालने चाहियें। इस तरीके से ही यह इरिगेशन पोटेंशियल जो क्रीएट हुआ है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।

अब मैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के सिलसिले में और खासतौर पर रूरल इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के बारे में कहना चाहता हूं। रूरल इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के तहत में २० हजार गांव में बिजली पहुंचाना है और इन स्कीमों पर अर्थात् गांव में बिजली पहुंचाने में करीब १०५ करोड़ रुपये लगेंगे। लेकिन जिस ढंग से फर्स्ट फाइव इयर प्लान में और सेकेंड फाइव इयर प्लान में इन स्कीमों पर काम हुआ है और अब भी जिस ढंग से सूबों में हो रहा है मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा रुपया लगाने की बात हम सोच रहे हैं लेकिन न रुपया लग सकता है और न ही उन सब को बिजली मिल सकती है। आप की तरफ से स्टेट अंडरटेकिंग्ज के बारे में कहा जाता है कि वे शुरू में ही प्रोफिट देना शुरू कर दें। आप कहते हैं कि जब तक कोई स्कीम इस ढंग की न हो कि वह चलते ही सेंट परसेंट प्रोफिट न देने लग जाए, तब तक उसको हाथ में न लिया जाए। मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट ऐसी है जो पहले दिन से ही प्रोफिटेबल साबित हो सके, चाहे आप स्टील प्राजेक्ट्स को ले लें या किसी और प्राजेक्ट को ले लें। मेरी समझ में नहीं आता है कि किसान की जब बात आती है तो क्यों आपकी तरफ से उसको बिजली देने में तरह तरह की रुकावटें खड़ी की जाती हैं। आप कहते हैं कि पांच आदमियों की एप्लीकेशन हो तब बिजली दी जाएगी, अगर वे इतना रुपया दे सकें तब उनको बिजली मिल सकेगी। इस तरह की शर्तें जब आपकी तरफ से लगा दी जाती हैं, तो बहुत से आदमियों को बिजली मिल नहीं सकती है। हिन्दुस्तान में इस वक्त तकरीबन एक लाख एप्लीकेशंज सब सूबों में पेंडिंग पड़ी हैं जो कि किसानों ने ट्यूबवैल्ज के लिये हैं बिजली के लिये दी हैं या खेती के लाभ के लिये बिजली देने के लिये दी हैं। उनका डिसपोजल आपकी तरफ से जल्दी होना चाहिये। १०५ करोड़ रुपये से ज्यादा भी रुपया अगर प्लानिंग कमिशन से लेने की जरूरत हो तो वह लेने की भी आपको कोशिश करनी चाहिये। अगर बिजली प्राप्त करने के लिये किसान को आप मजबूर करते हैं कि वे कई सालों तक इंतजार करें, पांच पांच साल तक इंतजार करें और कुछ करते नहीं हैं तो उनकी जो आशा है वह निराशा में बदल जाती है। मैं खास तौर पर पंजाब के बारे में कहना चाहता कि वहां पर करीब दस हजार एप्लीकेशंज किसानों की बिजली के लिए पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि इनका डिसपोजल जल्दी होना चाहिये। पंजाब की एप्लीकेशंज का ही नहीं बल्कि सूबे जो दूसरे हैं उन में भी जो एप्लीकेशंज पड़ी हुई हैं, उनका भी निपटारा जल्दी होना चाहिये। देहातों में बिजली देने की तरफ आपका ज्यादा ध्यान जाना चाहिये।

अब देहातों में जो बिजली दी जाती है उसकी कास्ट के सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं एक सूबे में कास्ट १८ नए पैसे है तो दूसरे में १५ नए पैसे और तीसरे में १७ नए पैसे। इस कास्ट को भी आपको ईक्वेलाइज करना चाहिये। कोई ऐसे सूबे भी हैं जहां कास्ट इससे भी अधिक है। राजस्थानमें सब से ज्यादा है। वहां ३४ है। सब से कम मध्य भारत में है। वहां पर १५ नए पैसे है। गुजरत में १६ नए पैसे है। आपको कोशिश करनी चाहिये कि किसान को १० नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से सारे देश में बिजली मिले। इसकी वजह यह है कि वह जो भी चीज पैदा करता है, उस पर किसी न किसी ढंग से कंट्रोल है। चाहे वह कपास पैदा करता है, चाहे वह गंदम पैदा करता है चाहे वह गन्ना पैदा करता है, सब पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंटरोल है। कपास की सीलिंग प्राइस फिक्स्ड है। इसी तरह से अनाज पर डायरेकटली या इंडायरेक्ली कंट्रोल है, उस कीमत से ज्यादा कीमत को बढ़ने नहीं दिया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि उसको बिजली भी सस्ती दी जाए आज जो इतना भारी

इसकी दर में फर्क है यह नहीं होना चाहिये। किसी में ३४ नए पैसे फी यूनिट और किसी में १६ नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से आज यह दी जाती है। मैं नहीं समझता कि जहां पर उसे ३४ नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से देना पड़ता है वहां पर वह इकानमिकली अपनी चीज को पैदा कर सकता है और उस कीमत पर उसे दे सकता है जिस पर सरकार चाहती है कि वह दे। जब उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन अधिक हो तो क्या उसका हक नहीं है कि वह मांग करे कि उसकी चीज को उसी कीमत पर बिकवाया जाये जिसपर बेचने से उसको लाभ होता है, जो प्राइस उसको इकानामिकल हो। ऐसी सूरत में मैं चाहता हूं कि उसकी मेहनत को देखते हुए और आज जो कीमतें आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिक्स कर रखी हैं, उसको देखते हुए उससे १० नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली का लिया जाना चाहिये। इससे देश का भला होगा, पैदावार बढ़ेगी जहां पर इस समय बहुत अधिक फी यूनिट चार्ज किया जाता है, वहां पर आपको कोशिश करके इसको कम करवाना चाहिये। इसके लिये अगर उसको सबसिडी या ग्रांट आपको देनी पड़े तो वह भी देनी चाहिये और कुछ सालों तक आप इसे देते रह सकते हैं। आप अंडरटेकिंग्ज को मजबूर करें कि वे इस सिलसिले में कम से कम पैसे किसानों से लें।

पंजाब में भाखड़ा डैम बना। यह हिन्दुस्तान की सब से बड़ी रकम थी। हिन्दुस्तान को इस पर बड़ा फख्र है। पंजाब के किसानों को खास तौर पर इससे बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर भाखड़ा डैम को पहले से ही क्रिटिकली एग्जेमिन कर लिया गया होता, समझदारी से उसका प्लान किया गया होता, अगर पहले दिन से ही उसपर अच्छा कंट्रोल रखा गया होता तो आज बहुत सी बेहतरी उस में हो सकती थी। उस वक्त कुछ फैसले किए गए थे। उस वक्त भी आपने स्पीकर साहब इस हाउस में कहा था कि इन फैसलों के बाद में क्या नतीजे निकलेंगे, इसको अच्छी तरह देख लिया जाए। लेकिन उस वक्त अच्छी तरह से सोच समझ कर यह चीज नहीं की गई और आज उन फैसलों के रिपरकशंज देश के सामने हैं। उस वक्त कहा गया था कि एरिड और बंजर जमीन को पंजाब में जो आप दो क्यूसेक फी एक हजार एकड़ के हिसाब से पानी देते हैं, वह नाकाफी है और वह तीन, साढ़े तीन या चार क्यूसेक होना चाहिये। उस वक्त इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज सरकार आहिस्ता आहिस्ता उसी पर आ रही है।

एक फैसला यह भी हुआ था कि पंजाब की बिजली दिल्ली को दी जाए। इस फैसले को हुए दस साल गुजर चुके हैं। जिन हालात में और जिस माहौल में यह फैसला किया गया है, वे हालात और वह माहौल आज बदल चुका है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। लैफ्ट बैंक में जो पांच ट्रांसमिटर्ज लगे हैं रतलाम कमेटी के अनुसार प्रत्येक की कैपेसेटी ५३,००० किलोवाट होना चाहिये थी। इस हिसाब से उनकी कुल कैपेसेटी २,६५,००० किलोवाट होती है अगर वे सैंट-पर-सेंट बिजली पैदा करें। लेकिन भाखड़ा में मिसहैप होने बाद उनकी कैपेसेटी कम हो गई है और आज की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर २,१२,००० किलोवाट बिजली ही पैदा हो रही है। इस कमी की क्या क्या और बजूहात हैं यह किसी ने बताने की कोशिश नहीं की है। इस तरह से ५२,००० किलोवाट बिजली कम होगई। मैं समझता हूं कि यह जो कमी हो गई है यह कैसे दूर हो इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। अब इस २,१२,००० किलोवाट में से डेढ़ लाख आप फर्टिलाइजर फैक्ट्री को देंगे और ६० हजार किलोवाट के करीब दिल्ली को देंगे। इसका मतलब हुआ कि पंजाब के लिए केवल दो हजार किलोवाट ही बचेगी इस पर कम से कम बीस करोड़ रुपया कर्ज लेकर लगाया गया है और इस पर सारे पंजाब की आंखें हैं। वहां के लोग समझते हैं कि उनको बिजली मिल सकेगी लेकिन अब हालत ऐसी पैदा हो गई है कि उनको दो हजार या पांच सात हजार किलोवाट बिजली ही मिल सकेगी आखिर आपने जो कर्जा दिया है वह इस लिए दिया कि वहां के लोग खुशहाल हों, वहां के लोगों की बिजली की जरूरत पूरी

[श्री इकबाल सिंह]

हो वहां के लोग तरक्की करें। लेकिन यह सब अब पूरा होता दिखाई नहीं देता है। मैं चाहूंगा कि आप दिल्ली की थर्मल प्राजैक्ट्स के जरिये बिजली दें। जो पुराना एक फैसला हुआ था दिल्ली को बिजली देने का, उस वक्त जो हालात थे, जो माहौल था वे हालात और वह माहौल बदल चुका है। इस वास्ते फिर से एग्रीमेंट पर सोच विचार होना चाहिये। आज के हालात में कोई एग्रीमेंट होना चाहिये।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : आप राष्ट्रीय एकता के विरूद्ध हैं?

श्री इक़बाल सिंह : इसमें नैशनल इंटैग्रैशन की क्या बात है। पंजाब के जो किसान हैं वे ज्यादा नैशनल इंटैग्रेशन में विश्वास करते हैं बनिस्बत यहां बैठने वालों के। वहां पर नैशनल इंटैग्रेशन की बात ज्यादा है, यहां पर कम है। वे ज्यादा ईमानदारी से इसमें बिलीव करते हैं, बनिस्बत शहर वालों के जो बड़ी गड़बड़ी करते हैं।

पंजाब में वाटर लागिंग की जो समस्या उठ खड़ी हुई है उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हर साल ज्यादा भूमि वाटर लागिंग के अन्तगत आती जा रही है। इस में समस्या को हल करने के लिए आपने दूसरे प्लान में १५ करोड़ रुपया दिया। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को जो स्कीम है उस पर ६१ करोड़ के करीब खर्च आएगा। अगर इसी हिसाब से रुपया दिया गया तो इस समस्या को हल होने में १५-२० साल लग जायेंगे। इससे फायदा होने के बजाय नुकसान ही ज्यादा होगा। वाटर लागिंग की जो भी स्कीम हाथ में ली जाए, वह पूरी की पूरी ली जाये, पीस मील करके न ली जाए क्योंकि इससे नक्सान ज्यादा होता है और फायदा कम। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए बड़े टीके की जरूरत हो और छोटा टीका दिया जाए तो वह बीमारी दूर नहीं हो सकती और न बीमार को आराम मिल सकता है। यही हालत वाटर लागिंग की है, उसके लिए आपको कम से कम २७ करोड़ रुपया पंजाब को तीसरे प्लान में देना चाहिये। पंजाब का सूबा पार्टिशन की वजह से छोटा हो जाने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गंदम, सबसे ज्यादा कपास आपको दे रहा है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको चाहिये कि आप उसकी ज्यादा से ज्ययदा मदद करें। अगर अधिक न हो सके तो कम से कम २७ करोड़ रुपया इस समस्या को हल करने के लिए आपको पंजाब को देना ही चाहिये। इससे पूरी तरह यह समस्या हल तो नहीं हो सकेगी लेकिन फिर भी कुछ हद तक हल हो जाएगी।

पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ समझौता हुआ, कुछ फसला हुआ। जो हुआ ठीक हुआ। लेकिन वाटर लागिंग की जो चैनल्ज़ हैं वे पाकिस्तान में जाते हैं। पाकिस्तान के अन्दर जो पंजाब का हिस्सा है, वह बहुत पीछे है और इस तरफ के पंजाब के बराबर कभी नहीं आ सकता है। इस लिए सरकार को अभी से सोचना चाहिये कि चैनल्ज़ को किस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है। यह सोचते हुए कि पाकिस्तान कभी अपनी तरफ चैनल्ज़ नहीं बनायेगा, हमें काम शुरू कर देना चाहिये। अगर हमने ऐसा न किया और पाकिस्तान क्या करता है इसी इंतजार में हम बैठे रहे तो यह प्राब्लैम ज्यदा एक्चूट हो जाएगा। इस लिए नई चेनल्ज़ बनाने का सिल सिला हमें शुरू कर देना चाहिये और उनको डाइवर्ट करके सतलुज में डाल देना चाहिये। पाकिस्तान के लोगों के प्रति वहां के हुकुमरानों में कोई प्यार नहीं है, वहां के किसानों के साथ उनका कोई प्यार नहीं है वहां के शासक तो हुकूमत चलाने की ही फिक्र में हैं और वह भी फौज के ज़रिये से। पता नहीं कितनी देर तक यह हुकूमत वहां चलती रह सकती है। इसलिये इस तरफके पंजाब की सरकार को चाहिये कि जो चनेल्स बनानी हैं उनमें सहायता देकर उनके रूख को तब्दील करे और सतलज की तरफ लाये। इसमें अगर और रुपया लगे तो वह पंजाब

†मूल अंग्रेजी में

गवर्नमेंट की मदद करे। अगर हम यह सोचें कि यह चैनेल्स पाकिस्तान में जायें और पाकिस्तान वाले यह चैनेल्स बनायें, तो मैं कह सकता हूं कि वे कभी नहीं बनायेंगे और न उन्हें हमदर्दी है अपने लोगों के साथ। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो पंजाब की वाटर लागिंग का प्राब्लेम है, उसको साल्व करने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट को चैनेल्स बना कर सारे पानी को सतलुज में डालना चाहिये। इसी तरह से फिरोजपुर से एक चैनेल पाकिस्तान में जाती है। उन्होंने उसके लिये एक पाई काम भी नहीं किया है। वहां का जो प्राब्लेम है उसको हल करने के लिये चैनेल को सतलज तक ले जाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह से बाकी चैनेल्स को भी उसमें डालना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं सब्जार्स वाटर की बात कहना चाहता हूं। हर साल वह पानी आता है। उसके यूटिलाइजेशन की और ज्यादा कोशिश करना चाहिये। सरहिन्द कैनाल रिमाडेलिंग स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आई है। अगर २ करोड़ रु० सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिये दे दे तो जो पानी दस सालों में पाकिस्तान से बचेगा उसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर ऐसा किया जाय तो जो लोंग स्टेपल काटन है जो तकरीबन पंजाब में ही पैदा होती है और जिसके लिये करोड़ों रुपये हमको दूसरे मुल्कों को देना होता है, उसका काफी पैसा हम बचा सकेंगे। यह लांग स्टेपल काटन हमारे लिये बहुत जरूरी है। इसके लिये मैं कहूंगा कि सरहिन्द कैनाल रिमाडेलिंग स्कीम है, सरहिन्द फीडर कैनाल रिमाडेलिंग स्कीम है उसके लिये सरकार को दो सालों में दो करोड़ रुपया देना है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इसके लिये ऐड हाक बेसिस पर यह रुपया दे देगी ताकि आज पाकिस्तान में जो पानी चला जाता है और उसका फायदा किसी को नहीं होता, उसका फायदा हम उठा सकें।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने पिछले पांच सालों में कितना पावर पोटेन्शल पैदा किया, मैं कहना चाहता हूं कि उसमें भी कमी रही और इरिगेशन में भी कमी रही। इसकी एक ही वजह हो सकती है कि आप कई दफा कुछ स्टेट्स को ज्यादा दे देते हैं और कई दफा दूसरों को कम दे देते हैं। यह कोई अच्छी पालिसी नहीं है। आपको हर एक स्टेट की स्कीम्स को रिव्यू करना चाहिये और उनके टार्गेट्स को देखना चाहिये। यह काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। मैं इतना ही इसके लिये कह सकता हूं कि सायेल कंजर्वेशन की स्कीम्स जो हर स्टेट्स में बनी हैं वह इतने पीछे हैं कि किसी भी तरह से तीसरी पांच साला प्लैन में पूरी नहीं की जा सकती है। इस लिये इस काम में काफी तेजी लाई जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम स्टेट्स की स्कीम्स को रिव्यू किया करे। रिव्यू करने वालों में सेंट्रेल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, इरिगेशन एंड पावर के चेयरमैन हो सकते हैं, सूबे के मिनिस्टर हो सकते हैं उनके सेक्रेटरीज हो सकते हैं। वे लोग देखें कि हर साल कितनी स्टेट्स में कितना काम हुआ है। अगर इस ढंग से काम नहीं चलेगा तो तेजी से काम नहीं हो सकता है और जो हमारे टार्गेट्स हैं वह भी पूरे नहीं हो सकते। हमारे टार्गेट्स पहली पांच साला प्लैन में कम रहे, दूसरी पांच साला प्लैन में कम रहे, अगर वे तीसरी पांच साला प्लैन में भी कम रहे तो इसके लिये प्लैनिंग कमिशन ज्यादा रुपया नहीं देगा।

इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और जो मजीद डिमान्ड्स हैं उनको सपोर्ट करता हूं।

†**श्री क० ल० राव** (विजयवाडा) : पहली और द्वितीय योजना में हम विद्युत लक्ष्य में ३० प्रतिशत पीछे रहे। तृतीय पंच वर्षीय योजना में हम ने ७० लाख किलोवाट का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की पूर्ति की ओर हमें विशेष ध्यान देना है। आरम्भ में हमें ४८० लाख किलोवाट का अधिष्टापित क्षमता की आवश्यकता है और आगामी पंद्रह वर्ष के लिए यही देश का प्रोग्राम होना चाहिये हमें इस ध्येय की पूर्ति करनी चाहिऐ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० क० ला० राव]

यह तभी सम्भव होगा जब हम ठीक क्रम से काम करें। देश में जनरेटिंग 'ट्रांसफारमर" एवं "सब स्टेशन" उपकरण के बनाने का कार्य प्रारंभ करना सबसे पहली आवश्यकता है। हमें अपनी बिजली के उपकरणों के बनाने की क्षमता को ३ करोड़ रुपय से बढ़ा कर २५० करोड़ रुपए करना है। "जेनरेटिंग उपकरण", जो उसके ७० प्रतिशत के बराबर है सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने चाहिय, अन्य उपकरणों गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाये जा सकता हैं। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बिजली का सामान बनाने वाले कारखाने बड़ी इमारतं और लम्बे चौड़े फैक्टर. क्षेत्र न रखे। हमें सादगी और कम खर्च का आदर्श अपनाना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि नवीनतम उपकरण बनाये जाएं ताकि जब तक उस का प्रयोग किया जाए वे बेकार न हो जायें।

हमें तापविद्युत् संयंत्रों की अपेक्षा जल उपकरणों पर अधिक जोर देना चाहिए क्योंकि जल विद्युत् ताप विद्युत् की तुलना में बहुत सस्ती है। तापविद्युत् संयंत्र मंगाने के पहले हमें जलविद्युत् के समस्त संसाधनों को काम में ले आना चाहिए।

विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का कार्य आरंभ करने से पूर्व विस्तृत छानबीन की जानी चाहिए। परियोजनाओं की मंजूरी देने में देर नहीं की जानी चहिए। कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर देना चाहिए।

हम छोटे ताप विद्युत स्टेशनों परजोकि १००,००० किलोवाट के हैं ५० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। तापविद्युत स्टेशनों के डिजाइन देश में ही तैयार किये जाने चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। विद्युत के विकास के लिए परियोजनाओं के साथ साथ उपकरणों का भी उत्पादन किया जाना चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि हम विद्युत तथा विद्युत उद्योगों के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाएं।

मंत्रालय में कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं। आई० सी० एस० और आई० ए० एस० पदाधिकारी बड़े योग्य होते हैं। सिंचाई तथा विद्युत से सम्बन्धित विभागों तथा संघटनों के मुख्य इंजीनियर होने चाहिए, जिनका दृष्टिकोण प्रौद्योगिक हो, अन्य प्रशासक नहीं। विद्युत सम्बन्धी मंत्रालयों के, केन्द्र तथा राज्य दोनों में, प्रधान भी इंजीनियर ही होने चाहिए। आप इंजीनियरों पर विश्वास करिए। उन्हें बराबर समझिए। उन्हें बता दिया जाए कि लक्ष्य अवश्य पूरे किए जाएं। यदि लक्ष्य अधिक भी हों तो भी पूरे कर दिए जाएंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने बड़ा अच्छा काम किया है। यह बड़ा अच्छा संघटन है, परन्तु इसमें त्रुटियां दिखाई पड़ रही हैं। इसका संघटन एक ऐसी समिति के प्रतिवेदन के कारण बदला जा रहा है जिसमें ऐसे व्यक्ति थे जिनका इंजीनियरिंग से कोई सम्बन्ध नहीं है। इंजीनियरिंग विशेषज्ञों जिसमें दो विदेशी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए ताकि आयोग का पुनर्गठन किया जा सके। इससे बहुत आर्थिक लाभ होगा।

'लोड सर्वे' जैसा अनावश्यक कार्य आयोग को नहीं करना चाहिए। आयोग के समस्त कार्यालय एक ही इमारत में होने चाहिए ताकि उनमें अधिक समन्वय हो सके।

जहां तक छोटे सिंचाई कार्यों का सम्बन्ध है, १० लाख रुपये की लागत तक के समस्त छोटे सिंचाई कार्य जो कि कृषि मंत्रालय में किए जाते हैं इस मंत्रालय को दिए जाने चाहिएं। मैं से इंजीनियरिंग की दृष्टि से देख रहा हूं। बहुत सा रुपया बच सकता है यदि योग्य इंजीनियर छोटे सिंचाई के कार्यों की देख भाल करें।

हमने पंचवर्षीय योजनाओं की बड़ी परियोजनाओं पर अधिक रुपया व्यय किया है, उससे लाभ अधिक होता है, परन्तु आर्थिक कठिनाइयां हो जाती हैं जब इन परियोजनाओं को राज्य योजनाओं में लगाया जाता है, क्योंकि राज्यों के संसाधन सीमित होते हैं। बड़ी परियोजनाओं का राज्य योजनाओं में लगाने से मध्यम योजनाओं को बहुत हानि पहुंचती है। उनको स्थापित करने के लिए धन नहीं मिलता। इसलिए २० करोड़ रुपये अथवा अधिक की लागत की परियोजनाएं केन्द्र की योजनाओं में सम्मिलित की जानी चाहिएं।

इस समय दुनिया की जनसंख्या २९० करोड़ है। ४० साल में यह दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमें विभिन्न तरीकों से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना चाहिए। सरकार को इसके लिए कच्छ की खाड़ी की भूमि को खेती के योग्य बनाने की संभावनाओं की जांच करनी चाहिए ताकि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

अन्तर्राज्य जन विवाद अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए। उसका नाम बदल कर जन आवंटन अधिनियम रख देना चाहए। जिन नदियों के सम्बन्ध में राज्यों में झगड़ा है उनको एक एक करके लेना चाहिए। समितियां नियुक्त करने से कोई लाभ नहीं है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास समस्त आंकड़े हैं जिनका लाभ विवाद तय करने में उठाया जा सकता है। गोदावरी और कृष्णा सम्बन्धी विवादों पर अलग अलग विचार करना चाहिए। ये दोनों भिन्न-भिन्न नदियां हैं। पहले गोदावरी को लीजिए। कृष्णा और गोदावरी आयोग से प्रतिवेदन लीजिए। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से कागज़ लीजिए। बैठ कर इस समस्या का समाधान कीजिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब भाषण समाप्त करें।

†**डा० क० ल० राव** : केवल ५–७ मिनट और।

मैं यही कह रहा था कि यदि आप गोदावरी औ कृष्णा दोनों परियोजनाओं को अलग-अलग रख कर उन पर विचार करें तो समस्या सुलझ सकती है। दोनों को एक साथ लेने पर ही समस्या सुलझती है। तब अधिक बहस छिड़ने लगती हैं।

आपको पहले कृष्णा परियोजनाओं, जो तृतीय योजना में सम्मिलित की जा चुकी हैं, को मंजूरी दे देनी चाहिए। उन पर काम शुरू होने में दो-तीन वर्ष लग जायेंगे। फिर सभी सन्तुष्ट हो जायेंगे और उनके साथ बैठ कर आगे की बात की जा सकती है। तब इतनी कठिनाई नहीं पड़ेगी। इस प्रकार अन्य नदी परियोजनाओं की समस्यायें हल करने का मार्ग खुल जायेगा।

प्रथम और द्वितीय योजनाओं में हम बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर ४० करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। हमारे देश के पास अधिक धन नहीं है ; इसलिये थोड़ी राशि का भी अधिकतम उपयोग करना चाहिये। सब से पहले हमें वे प्रदेश लेने चाहियें जहां बाढ़ें बहुतायत से आती हैं––जैसे गोरखपुर के पूर्व में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असाम और उत्तर बंगाल। इन प्रदेशों में जल-निस्सारण की कठिनाई है। नदियां अपने साथ बहुत रेत ले आती हैं औ उससे नदियों की गहराई कम होती जाती है। वहां हर वर्ष बड़ी-बड़ी बाढ़ें आती रहती हैं। एक ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिये जो इन आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने में जनता की सहायता कर सके।

मैं एक बार फिर जोर देकर कहता हूं कि देश की आर्थिक मुक्ति केवल प्रौद्योगिक प्रगति से ही होगी। उसका दारोमदार इंजीनियरों और वैज्ञानिकों पर ही है। ब्रिटेन की श्रेष्ठता का

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० राव]

मूल कारण उसकी औद्योगिक श्रेष्ठता ही है । उसका बल नहीं । प्रौद्योगिक प्रगति के द्वारा ही देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर की जा सकती है ।

देश में अधिक से अधिक विद्युत पैदा करने के लिये नये-पुराने सभी साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

खाद्य उत्पादन की वृद्धि का प्रयास करते समय, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि केवल समाजवाद ही भुखमरी दूर कर सकता है । खाद्य-उत्पादन की वृद्धि के लिये इस मंत्रालय ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है । इसलिये सभी माननीय सदस्यों को इन मांगों का समर्थन करना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कटौती प्रस्ताव यदि प्रवेश्य हों, तो प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौटी की राशि
१	२	३	४	५
६६	९	श्री नटराजन्	बड़ी सिंचाई योजनाओं की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६६	२८	श्री का० रा० गुप्त	सिंचाई और विद्युत् योजनाओं के लक्ष्य पूरे न होना	१०० रुपये
६६	३२	श्री प० कुन्हन	तृतीय योजना में बालीपटनम् नदी परियोजना को सम्मिलित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६६	३३	श्री वारियार	दिल्ली में विद्युत् संभरण में विभेद	१०० रुपये
६६	३४	श्री वारियार	दक्षिण जोन विद्युत् ग्रिड प्रणाली को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६६	३५	श्री वारियार	केरल में पीची के गवेषणा केन्द्र को अधिक वित्तीय सहायता	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५
६६	३६	श्री वारियार	मद्रास और केरल के जल-विवाद का निबटारा	१०० रुपये
६६	३७	श्री वारियार	केरल के लिये बाढ़-नियंत्रण इत्यादि की एकीकृत योजना की आवश्यकता	१०० रुपये
६६	३८	श्री वारियार	कृषीय उपयोग के लिये विद्युत् की घटी हुई दर की आवश्यकता	१०० रुपये
६६	३९	श्री वारियार	लघु उद्योगों को रियायती दर पर विद्युत् देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६६	४०	श्री विश्राम प्रसाद	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के के बीच रिहान्द बांध के उपयोग के सम्बन्ध में समझौता न हो पाना	१०० रुपये
६६	४१	श्री विश्राम प्रसाद	महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को अपर्याप्त सिंचाई सुविधायें	१०० रुपये
६६	४२	श्री वारियार	केरल में शोलायर परियोजना में शीघ्रता की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६६	४३	श्री वारियार	कुरियर कुट्टी जल विद्युत् परियोजना की प्रगति की जांच	१०० रुपये
६६	४७	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में महानदी पर तिकंर पाड़ा बांध के निर्माण की अवांछनीयता	१०० रुपये
६६	४८	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में तेल नदी के दोनों किनारों पर बन्धों की आवश्यकता	१०० रुपये
६६	४९	श्री प्र० के० देव	भवानीपटना को केसिंग से विद्युत् लाइन द्वारा मिलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६६	५०	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा तट पर नमक के लिये बन्धों की मरम्मत की आवश्यकता	१०० रुपये
६६	५१	श्री प्र० के० देव	अपर सिलेरु में बिजलीघर की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६६	५२	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में उपल परियोजना का निर्माण दूरा करना	१०० रुपये
६६	५३	श्री प्र० के० देव	हीरा कुण्ड के कारण जलमग्न होने वाले गांवों के लोगों को प्रतिकर में विलम्ब	१०० रुपये
६६	५४	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में खाद्य समस्या	१०० रुपये
६६	५५	श्री प्र० के० देव	तालचेर में तापीय केन्द्र की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६६	५६	श्री प्र० के० देव	ग्रिड प्रणाली द्वारा हीराकुड को मचकुण्ड जल-विद्युत् परियोजना से संयोजित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६६	५७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कृष्णा नदी के जल के वितरण के सम्बन्ध में विवाद	१०० रुपये
६७	१७	श्री कोया	केरल में अधिक बाढ़-नियंत्रण की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	१८	श्री कोया	केरल के भूतपूर्व मालाबार क्षेत्र में विद्युत जनित्र इकाइयों की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	१९	श्री कोया	केरल में बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	४४	श्री प० कुन्हन .	तृतीय योजना में 'साइलेण्ट' घाटी परियोजना को सम्मिलित करने की आवश्यकता	१०० पये
६७	५८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर में कालाहांडी नदी योजना	१०० रुपये
६७	५९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	रायचूर जिले के सभी इलाकों तालुकों को जल संभरण करने के लिये तुंगभद्रा परियोजना	१०० रुपये
६७	६०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	तुंगभद्रा परियोजना की सभी सभी सहायक नदियों पर पर छोटे-छोटे पुलों का निर्माण	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६७	६१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	विद्युत् उत्पादन के लिये मैसूर राज्य को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता	१०० रुपये
६८	२३	श्री मे० क० कुमारन	राज्य सरकारों की परियोजनाओं की अतिरिक्त जांच	१०० पये
६८	२४	श्री मे० क० कुमारन	केरल को समुद्र से बचाने के लिये वित्तीय सहायता की आवश्यकता	१०० रुपये
६८	४५	श्री प० कुन्हन	केरल को समुद्र के अतिक्रमण से बचाने के लिये उपाय न करना	१०० रुपये
६८	४६	श्री प० कुन्हन	केरल में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की प्रगति	१०० रुपये
१३०	२५	श्री मे० क० कुमारन	दामोदर घाटी निगम का बढ़ता हुआ प्रशासकीय व्यय	१०० रुपये
१३०	२९	श्री लहरी सिंह	पंजाब में पानी भरना रोकने में असफलता	१०० रुपये
१३०	३०	श्री लहरी सिंह .	भूमिगत जल का स्तर बढ़ने पर सिंचाई के लिये नलकूपों की आवश्यकता	१०० रुपये
१३०	३१	श्री लहरी सिंह .	लघु उद्योगों और कृषि के लिये विद्युत् संभरण की रियायती दरों की आवश्यकता	१०० रुपये
१३१	२६	श्री मे० क० कुमारन	ग्राम्य विद्युतीकरण की गति बढ़ाने की आवश्यकता	१०० पये
१३१	२७	श्री मे० क० कुमारन	लघु उद्योगों और कृषि के लिये विद्युत् संभरण की रियायती दरों की आवश्यकता	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह कटौती प्रस्ताव सभा के सामने है ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इरिगेशन और पावर मिनिस्ट्री (सिंचाई और विद्युत मंत्रालय) ने आजादी के बाद से देश में कितने ही डैम्ज (बांध) बनाये हैं, कितने ही पावर हाउसिस बनाये हैं और कितनी ही नहरें खुदवाई हैं और इस सब के लिये उसकी तारीफ की जानी चाहिये । नहरों के जरिये खुश्क इलाकों में पानी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लहरी सिंह]

पहुंचाया गया है, और वहां के किसानों को काफी लाभ भी पहुंचा है । लेकिन एक बहुत बड़ी शिकायत है जिस की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि इस मिनिस्ट्री को उसकी तरफ तुरन्त ध्यान देना चाहिये और कोई ठोस कदम उठाने चाहियें । मेरा इशारा वाटर लागिंग के प्राब्लैम की तरफ है । आज तक इस प्राबलैम को इगनोर सा ही कर दिया गया है और इसको हल करने की कोई कोशिश नहीं हुई है । जहां जहां वाटर लागिंग (बरसाती पानी भरना) हो चुका है वहां पर खेती की तबाही हो गई है । मैं तमाम सूबों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन पंजाब की बात मैं जानता हूं और उसको आपके सामने रखना चाहता हूं ।

यह दुरुस्त है कि पंजाब में भाखड़ा कैनाल बनी है । यह भी दुरुस्त है कि वहां पर भाखड़ा डैम बना है और उस इलाके की तरक्की हुई है । लेकिन इसके साथ साथ यह भी दुरुस्त है कि वाटर लगिंग के प्राब्लैम को अगर हल नहीं किया गया तो वह सूबा जिन्दा नहीं रह सकेगा, तबाह हो जायेगा । तीस लाख एकड़ जमीन जो बड़ी प्रोडक्टिव थी, बड़ी फरटाइल थी, आज बैरन हो चुकी है, अनकल्चरेबल हो चुकी है, उस में काश्त नहीं हो सकती है । ९० लाख एकड़ जमीन में वाटर लागिंग इतना बढ़ गया है कि अगर अभी से कदम नहीं उठाये गए तो वह भी बिल्कुल खराब हो जाएगी, बिल्कुल तबाह हो जाएगी । कुछ जिले हैं जहां पर यह प्राबलैम एक्यूट फार्म में है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बीस हजार एकड़ जमीन जाए साल अनकल्चरेबल (कृषि अयोग्य) हो रही है, तबाह और बरबाद हो रही है । यह वह जमीन है जो बड़ा फरटाइल है, बड़ा जरखेज है, बड़ा उन्दा है । पंजाब वैसे ही तक्सीम के बाद बहुत छोटा सूबा रह गया है । इस सूबे में अमृतसर, हिसार, रोहतक, करनाल आदि छः जिले ऐसे हैं जो फ्लडिड हैं, जहां यह एक्यूट फार्म में है, दिन-ब-दिन वहां तबाह होती जा रही है ।

इसका कारण क्या है यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । जब अंग्रेज नहरें निकालते थे, तो उनके सामने एक फडेमेंटल चीज यह रहती थी कि उनके साथ ही साथ ड्रेंज भी निकाले जायें । ड्रेंज का मतलब यह है कि नहरें जब लम्बी होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं तो काफी रकबा वे घेरती जाती हैं जिसकी वजह से जो पानी का नैचुरल फलो है, उसको ठीक रखने के लिये नहरों के साथ साथ ड्रेंज (जल निस्सारण) देना भी जरूरी है । इसके अलावा नहरें पक्की नहीं हैं, वहां पर लाईनिंग नहीं है और इस वजह से उनका पानी जब जमीन में जाता है तो वाटर लागिंग हो जाता है । इस वास्ते ड्रेंज का होना बहुत जरूरी है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि भाखड़ा कैनाल जहां हजारों मीलों तक गई है, करीब चार हजार मील मे गई है वहां पर साथ ही साथ ड्रेंज बनाने के प्रोग्राम को हाथ में नहीं लिया गया है । अगर आप रिपोर्ट को पढ़ें तो उस में यह अच्छी तरह से कहा गया था कि अगर ड्रेंज नहीं दिये गये तो जहां इतनी बड़ी नहरें दी गई हैं, वहां कुछ ही दिनों मे तमाम का तमाम इलाका वाटर लाग्ड हो जाएगा और नहरों से बजाय फायदा होने के नुकसान होगा । कैनाल बन चुकी है और छः महीने में आपका डैम भी बन कर मुकम्मिल हो जाएगा । नहरें पैरेनियल हो जायेंगी । इतने बड़े इलाके में जहां नहरें जायें उन के साथ ड्रेंज नहीं बनाये गये तो उस इलाके की क्या हालत होगी, यह आपको सोचना चाहिये । मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता । लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है, उसमें जो बात कही गई है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । भारत में बंजर भूमि के उपयोग के बारे में बंजर भूमि सर्वेक्षण और कृष्य-करण समिति की जो रिपोर्ट निकली है, उसके पेज तीन पर जो कुछ लिखा है उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । इनमें कहा गया है कि पंजाब में अनुमानतः ३२ लाख एकड़ भूमि

बंजर पड़ी है और भूमि में नमक तथा एलकली की मात्रा अधिक होने के कारण अप्रयुक्त पड़ी है। ऐसी बंजर भूमि को वहां कल्लर कहा जाता है और उसका विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। और राज्य में लगभग ९३ लाख एकड़ भूमि बरसाती पानी में डूब जाती है। आगे चल कर इसी रिपोर्ट में १४ पेज में उसने क्लीयरली (स्पष्ट) कहा है कि अमृतसर के सिंचाई और विद्युत् गवेषणा प्रतिष्ठान के महानिदेशक द्वारा किये गये सर्वेक्षण पंजाब की लगभग ३० एकड़ भूमि नमक और एलकली की अधिकता के कारण अनुपयुक्त पड़ी है। इसके कारण हर साल १५,००० से २०,००० एकड़ तक उर्वरक भूमि अनुर्वर बनती जा रही है। आगे चल कर उसने लिखा है कि पंजाब में नहरों द्वारा सिंचाई होने के कारण बरसाती पानी भरने की समस्या और भी टेढ़ी हो गई है।

पंजाब एक छोटी सी स्टेट है, बोर्डर स्टेट है जहां के लोग हर वक्त मुसीबत का सामना और मुसीबत का मुकाबला करते आए हैं। आज वहां पर ज़मीन भी कम है और ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े भी हो गए हैं। इस सब के साथ आए साल बीस हज़ार एकड़ के करीब रकबा बरबाद इस वाटर लागिंग में हो रहा है। तीस लाख के करीब खत्म हो चुका है और ९० लाख एकड़ में पानी भरा पड़ा है। इसके हल की तरफ आपका जल्दी ध्यान जाना चाहिये। तीसरे प्लान में आपने तमाम हिन्दुस्तान के लिये ८० करोड़ रुपया इस काम के लिये रखा है। यह काफी नहीं है। अगर आप इस प्राब्लैम को सीरियसली टैकल करना चाहते हैं तो आपको और रुपया रखना होगा। मैं मंत्री महोदय से खास तौर पर पंजाब के बारे में, जिसके हालात से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, अर्ज करूंगा कि वह सुस्ती न करें, इसको डिले न करें और इस तरफ तवज्जह दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह तगड़ा सूबा उजड़ जाएगा। यहां के लोग सरहद पर हमलावर से टकराने के लिये तैयार हर वक्त रहते हैं। उसके साथ खास हमदर्दी करते हुए आपको और रुपया देना चाहिये। अगर उसके साथ साथ खास तौर पर हमदर्दी नहीं दिखाई गई और खास स्टेप नहीं लिये गये तो मैं कह सकता हूं कि वहां की खेती उजड़ जायेगी जिससे देश का नुक्सान होगा। भखड़ा के साथ जो नदियां वहां दी गई हैं उनमें अगले साल से पैरेनियल पानी आएगा, इस वास्ते अभी इस तरफ आपको तवज्जह करनी चाहिये। जब नहरों का प्रोग्राम बना था तो मेरा खयाल है यह प्रोग्राम भी बना दिया गया था कि नहरों के बन जाने के बाद और डैम के बनने से पहले पहले उस इलाके में आप ड्रेंज देंगे। लेकिन दिये नहीं गए। अब भी मैं चाहता हूं कि इस सूबे को बचाने के लिये ज्यादा से ज्यादा ड्रेंज आप दें। साथ में अकेला ड्रेन भी फायदा नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर वगैर नहर की लाइनिंग किये हुए भी काम नहीं चल सकता। अगर उस इलाके में लाइनिंग नहीं की गई तो मैं समझता हूं कि ड्रेन्स भी पूरी तरह से काबू में नहीं आ सकते। मैं नहीं चाहता कि सारी लाइनिंग हो जैसे कि भाखरा मेन लाइनिंग है। ऐसे ही वेस्ट जमुना कैनाल है, वैसे ही वेस्ट दोआबा है, वैसे ही और बड़ी बड़ी नहरें हैं, खास खास नहरें हैं। रोपड़ के पास मुझे मालूम है कि दरिया जैसी बड़ी बड़ी नहरें हैं। उन के कुछ हिस्से में आप को लाइनिंग करनी पड़ेगी।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां वाटर लेवेल बहुत ऊंचा गया है वहां पर बजाय इरिगेशन के मोरियां नहरों से बनाई जायें। उन का सर्वे कर के उस पानी को बन्द किया जाय। जो पानी नीचे है वहां ट्यूब वेल लगाये जायें, शैलो ट्यूब वैल्स लगाये जायें, शैलो वेल्स लगाये जायें, पम्पिंग सेट्स लगाये जायें क्योंकि यह जरूरी है। अगर नीचे से पानी नहीं लिया गया तो ड्रेन्स से पूरा फायदा वहां नहीं हो सकता है। अगर लाइनिंग नहीं हो सकती तो वह काफी बड़ा इलाका है, कम से कम वहां पर सर्वे करवा कर के और उस की रिपोर्ट मंगवा करके वहां पर शैलो ट्यूब वेल्स दें। जमीदार भी उस को लेने के लिये तैयार हैं लेकिन मुसीबत तो यह

[श्री लहरी सिंह]

है, जैसा सरदार इकबाल सिंह ने कहा, कि जब लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमें दे दी, हम ट्यूब-वेल्स लगा लेंगे, शैलो वेल्स लगा लेंगे तो एक तो लाइनिंग पर बड़ा भारी खर्चा है दूसरे महकमे के लोग मणियों वाले तराजू पर तोलते हैं कि किस जगह ज्यादा खर्चा है और किस जगह पर कम खर्चा है। वह एक तराजू पर सब को तोलते हैं और कहते हैं कि लाईनिंग के लिये इतना खर्चा करना होगा बिजली के लिये इतना खर्चा देना पड़ेगा। जो इलाका बरबाद होने वाला है, जहां रिकबर होने का कोई सवाल नहीं है, उसे बचाया जाय क्योंकि वह नैशनल वैल्थ है। उस को बचाना ही होगा वहां यह हिसाब लगाना ठीक नहीं है कि इतना लाइनिंग के लिये होगा और इतना दूसरी चीज के लिये होगा। अगर उस को नहीं करने देना है तो गवर्नमेंट कर दे। लेकिन इतनी मील दर मील पानी खड़ा हुआ है, मील दर मील खेत तबाह हो रहा है, अगर इस की परवाह न की जाय और स्लो स्पीड से चला जाय तो ठीक नहीं है। यू० पी० में प्राब्लेम होगी, और सूबों में प्राब्लेम होगी, और बड़े बड़े सूबों में प्राब्लेम होगी, लेकिन मैं एक छोटे से सूबे की बात कह रहा हूं जिस के अन्दर यह एक बड़ा सीरियस प्राब्लेम है। वह अनाज भी आप को दे रहा है, पैडी दे रहा है, कपास दे रहा है, गेहूं दे रहा है काफी तादाद में। साथ ही अपनी वेस्ट वेल्थ दे रहा है सारे देश के लिये। यू० पी० की वेस्ट बफेलोज, आरे कालोनी के लिये वेस्ट कैट्ल वह दे रहा है, जो भी वहां अच्छे से अच्छा कैट्ल है वह पंजाब से आता है, लेकिन पंजाब मे फाडर नहीं रहेगा नस्ल भी अच्छी नहीं रहेगी। जो वहां के तगड़े सिपाही और जवान हैं जो चीन की सरहद पर लड़ने वाले और मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं, उन को आज यह अफसोस है कि उन का गांव तबाही में आ जायेगा। आप हैरान होंगे, मैं एक गांव के बारे में नहीं तमाम गांवों के बारे में बतलाऊं कि अगर वहां मिनिस्टर साहब मुलाहजा करें तो देखेंगे कि तमाम के तमाम गांव बरबाद होते जा रहे हैं। जो गांव बड़े सरसब्ज थे, जिनकी हालत बड़ी अच्छी थी, जिन के कैट्ल बड़े भारी थे, जहां के सिपहसालार और फौजी बड़े तगड़े थे, आज वहां लड़कों के चेहरे जर्द होते जा रहे हैं। उन के पीने के लिये पानी ठीक नहीं मिलता है, वहां ग्रास नहीं है, वहां कैट्ल नहीं है। मैं समझता हूं कि तमाम देश की प्राब्लेम को हल करने के लिये आप को पंजाब की प्राब्लेम हल करनी होगी। यह सूबा ऐसा है जिस से पाकिस्तान डरता है, वहां पर बड़े तगड़े जमीदार सरदार, राजपूत और जाट बैठे हुए हैं। फौज के अलावा वे खुद भी लड़ने के लिये तैयार हैं। बार्डर पर जा कर बन्दूक ले कर वह जमीदार काश्त कर रहे हैं जहां पाकिस्तान काश्त नहीं करता। हर एक शक्ल में वह मुल्क के लिये कुर्बानी देने के लिये तैयार हैं। इसलिये उस को तुम एक्सेप्शन बनाओ, उसको और सूबों के अन्दर न मिलाओ कि और सूबों का क्या हाल है और पंजाब में इतना खर्च क्यों किया जाय। जहां तक पंजाब का सवाल था, मैं ने अर्ज कर दिया, मैं उन को दुबारा दोहराना नहीं चाहता। आप पांच साल की भाखरा कैनाल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगवा लें और उसके मुताबिक ड्रेन्स का खोदना शुरू कर दें। मैं नहीं कहता कि हर जगह खोदें लेकिन जो इलाके खराब हो गये हैं वहां ऐसा होना चाहिये।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि नहरें भी बन गईं। तमाम सूबों में नहरें बनाई जाती हैं, लेकिन बड़ा इम्पार्टेंट सवाल यह है कि पानी किस को जाता है वाटर कोर्स से। अंग्रेजों ने ६० या ७० साल पहले यह नार्दर्न कैनाल ऐक्ट बनाया था। उसके मुताविक अगर वाटर कोर्स से हम पानी हासिल करना चाहें खेत में देने के लिये तो एक साल लगता है। रोज लोग रोते फिरते हैं कि नहर भी चल रही है लेकिन जमीदार पानी नहीं पाता। वह हाथ जोड़ता फिरता दरवाजे दरवाजे पर, लेकिन प्रोसेस ऐसा है कि कम से कम छः महीने या एक साल लग जाता है। पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ उस को बनाया, लेकिन वह तसल्लीबख्श नहीं। वह चीज १०० साल पहले

की थी। आज जब कि इतना डेवेलपमेंट हो रहा है भाखरा कैनाल में, और सूबों में, मैं कोई एक सूबे की बात नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कहता वाटर कोर्स के बारे में कि आप अपने हाथ में लें, लेकिन कम से कम इस ऐक्ट को ऐसा बदलें और ऐसा स्पोर्ड डिस्पोजल करें कि जिन को पानी की जरूरत हो उन को ज्यादा से ज्यादा दो या तीन महीनों में वाटर कोर्स के आउटलेट से पानी मिल जाय। लेकिन नहरों और वाटर कोर्स के लिये जो कैनाल ऐक्ट बना हुआ था यू० पी० में और हमारे यहां भी, उस के मुताबिक वाटर कोर्स लेना आसान नहीं है। वाटर कोर्स की बात तो छोटी सी है, लेकिन भाखरा में या किसी सूबे में भी आप चले जाइये, वहां लड़ाई वाटर कोर्स की है। मैं नहीं कहता कि इस तरीके से बनाओ, उस तरीके से बनाओ, लेकिन वाटर कोर्स के ऐक्वायर करने का तरीका, उस के मेनटेन करने का तरीका, उस के रिपेअर करने का तरीका बडा जरुरी है। मैं देखता हूं कि अगर मोहरी पर २५० जमींदार हैं, जिन के खेत मोहरी के आउटलेट के नजदीक हैं, तो उन को तो पानी मिल जाता है लेकिन जिन के दूर हैं वहां पर वे नाली खोदते नहीं हैं। कोई कम्पल्शन नहीं है कि इतनी खेती होनी चाहिये, इतनी जमीन सैराब होनी चाहिय वाटर कोर्स से। आप तमाम हिन्दुस्तान की रिपोर्ट्स मंगवा लें, कहीं पर वाटर कोर्स की वजह से ठीक काम नहीं हो रहा है। यह खयाल कि पंचायतों को यह काम दे दिया जाय तो वे वाटर कोर्स को मेनटेन कर लेंगी, यह बिल्कुल गलत है। पंचायतों में वही लोग हैं जो खेती नहीं करते, सरपंच भी ऐसे ही हैं, उन को क्या गरज पडी कि वह दो चार मील तक वाटर कोर्स खोदें। यह बहाना ले कर कि डे साहब ने कहा कि पंचायतें करेंगी, इस को उन के हाथ में देना ठीक नहीं है। पंचायतें कुछ नहीं कर सकतीं। आप को स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को डाइरेक्शन देने पड़ेंगे और सब से ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। अगर वाटर कोर्स पूरे हो जायें तो आप देखेंगे कि आप के यहां आबपाशी काफी अच्छी तादाद में होती है।

आखीर में एक बात और कहना चाहता हूं। पावर भी बढ़ी, बिजली हुई। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सो मेनी विलेजेज एलेक्ट्रिफाइड इतने गांवों में बिजली पंहचाई गई। लोग बड़े खुश हो जाते हैं। हम लोग जमींदार से पूछते हैं कि बिजली आ गई। वह कहते हैं कि हां आ कगई, लेकिन जमींदार के एक बल्ब लगा देने से ही बिजली नहीं हो जाती, इस से ही एलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो जाता। जमींदार दरखास्त देता है कि हमें बिजली दो, तो उन के साथ स्टाफ की कोई हमदर्दी नहीं है। वह हिसाब लगाते हैं कि अगर बिजली उन को मिलेगी तो उन का काम बढ़ जायेगा। एक गांव में नहीं, हर एक गांव जा कर मिनिस्टर साहब देख लें, इतनी अर्जियां पड़ी हुई हैं पानी के लिये, ट्यूब वेल के लिये और पम्पिंग सेट्स के लिये, लेकिन उन को पानी नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि रूल्स इस तरह से बदली कि जब तुम वादियात में आओ और लेक्चर दो तो बतला सको कि वाटर लागिंग को ठीक कर रहे हो। उन के बिजली के प्रोग्राम्स को देखो ताकि वह चीज लोगों को मिल जाय।

म स्माल और काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में एक चीज कह कर बैठ जाऊंगा। महात्मा गांधी का खयाल था कि छोटे छोटे दस्तकारी के कामों को उठाया जायेगा। पंजाब एक छोटा सूबा है। वहां पर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को करने वाले लोगों की हिम्मत कितनी है। लुधियाने में, अमृतसर में, जगह जगह में उन को जो बिजली दी जाती है उस में उन को उतनी रियायत नहीं जितनी होनी चाहिये। कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों को रियायत नहीं देंगे। बाहर की कंट्रीज के साथ उन का मुकाबला करना चाहते हैं लेकिन रियायत नहीं। उन को इनकम टैक्स की चोट भी मारी जाती है। उन के साथ इनकम टैक्स ११ परसेन्ट पर लगा दिया। इनकम टैक्स भी वही, एलेक्ट्रिसिटी का भी वही। आखिर वही आम आदमी तो कंट्री की बैक्बोन हैं। मोटे मोटे आदमी भी हैं, लेकिन उतने नहीं। छोटे छोटे आदमियों को न बिजली वक्त पर मिले, उस के लिये बहाने किये जायें, न उन को टैक्स में रियायत। उन को स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिहाज से भी रगड़ा जाय और बिजली के लिहाज से भी रगड़ा जाय। ऐसी हालत में कंट्री का हश्र क्या होगा, आप इस का अन्दाजा लगा लें।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ने आज मुझ को पहले पहल बोलने का मौका दिया ।

आज जब मैं खड़ा होता हूं देखता हूं कि जब दुनियां के दूसरे देशों के लोग इरिगेशन ऐंड पावर मिनिस्ट्री के कामों को हिन्दुस्तान में देखते हैं तो उन को पता चलता है कि हमारे यहां १४ सालों में कितनी बड़ी बड़ी चोजें हुई हैं । सचमुच हमारी आबादी और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है । "माउथ्स टु बी फैड" (जनसंख्या) बढ़ती जा रही है और यह गम्भीर समस्या आज हमारे सामने प्रस्तुत है । मगर फिर भी हम गौरव अनुभव करते हैं । हम सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का स्मर्थन करने में शर्म महसूस करते हैं ।

जैसा कि डा० राव ने कहा है कि हमारी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और जहां तक जनसंख्या का ताल्लुक है इस में हम लोगों ने अवश्य नाम पाया है और हमारी जनसंख्या बढ़ती ही चली जा रही है । अब जनसंख्या के बढ़ने से भूख की बीमारी जो इतनी बढ़ती जा रही है यह सचमुच में हमारे सामने एक गम्भीर प्रश्न है । फिर कंट्रोल के साथ साथ यह बर्थ कंट्रोल की समस्या भी आज हमारे सामने उपस्थित है ।

बिहार का वह इलाका जिसे लोग मिथिला कहते हैं वहां लोग मैथली भाषा बोलते हैं । वह कल्चर और संस्कृत विद्या में बहुत आगे है लेकिन अभाग्यवश आज वह इलाका वीरान होता जा रहा है । जैसे रेन शैडो ऐरिया में पड़ गया हो और वहां वर्षा से अच्छी बारिश नहीं हुई है । अंग्रेजों के वक्त में वहां एक छोटी सी नहर किरस कैनाल बनी थी । उसको हाल में वहां बिहार की राज्य सरकार ने कुछ सुधारा है और कुछ काम हुआ है लेकिन उसमें भी संकरी दरभंगा जिला एक में बूंद पानी नहीं है । पिछले कई वर्षों से उसमें पानी नहीं है । जून सन् ६१ में एक बड़ी सभा हुई थी जिसमें कि करीब ५०००० लोग आये थे और जो निश्चय वहां लिया गया उसको सुन कर सरकार को बड़ी खुशी हुई वहां यह निश्चय किया गया था कि कोसी के पश्चिमी इलाके में भी नहर खोदी जाय और वह "वैस्टर्न कोसी कैनाल" को स्कीम पास हुई । पश्चिमी कोशी नहर के कई डिवीजंस् खोले जा रहे हैं । काम हो रहा है । लोगों को बड़ी बड़ी आशायें हुई मगर जब मैं ने उस बजट रिपोर्ट को पढ़ा तो मालूम हुआ कि उसमें पृष्ठ २४ में "सम्भावना" का अनुदान की मांगें शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रोबैबलिटी का इस्तेमाल हुआ है 'सर्टेनटी' का नहीं, तो लोगों को इसके कारण बड़ घबराहट हो गयी है । लोगों को इसको पढ़ कर अत्यन्त निराशा हुई क्योंकि पिछले १०, १५ साल से बराबर हम लोग अकाल की स्थिति में थे और हम इस उम्मीद में थे कि यह काम जल्दी से जल्दी होगा लेकिन उल्टा होने देखा कि नहर खुदाई के काम में देरी हो रही है निराश होकर और भूख के मारे लोग गांव छोड़ कर अन्यत्र चले जा रहे हैं । यह बिहार का वह इलाका है जहां की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बहुती चली जा रही है । बिहार के सम्बन्ध में भारत सरकार की तरफ से स्टैटिस्क्स की एक छोटी सी किताब है और जिसमें कि आबादी के बारे मे जो आंकड़े दिये गये हैं वह वहां को साफ तस्वीर सामने रख देते हैं और जिनको देख कर हर एक आदमी यह समझ सकता है कि बिहार की हालत कैसी है ? बिहार की आबादी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ी चली जा रही है और सारे भारत में आबादी के लिहाज से उसका दूसरा नम्बर है यद्यपि ऐरिया के लिहाज से उसका नम्बर तीसरा है । उसकी पापुलेशन करीब पौने पांच करोड़ हो गयी है और सन् १९६२ में वह क्या हो जायगी इसका आप बखूबी अंदाज लगा सकते हैं ।

जहां तक मिथिला की भूमि का सवाल है वह बिलकुल सोना है, बहुत जरखेज है बहुत ही फर्टाइल है लेकिन पानी न मिलने की वजह से लोग वहां से भागे जा रहे हैं। पहले उस भूमि में बहुत अधिक उपज होती थी मगर पिछले दस सालों से मौनसून प्रतिकूल होने के कारण उपज कम होती है और वह इलाका वीरान होता चला जा रहा है। डा० राव ने कहा कि उधर फलड्स का सवाल है तो मेरा कहना है कि हमारे यहां ऐसी बात नहीं है। उधर फलड्स नहीं है बल्कि ड्रौट है। वह इलाका नेपाल तराई के बगल में पड़ता है और वहां बारिश समय पर नहीं होती है। वहां की टोपोग्राफी कुछ ऐसी है, लेविल कुछ ऐसी है कि पानी नीचे की ओर भाग आता है। अब बिहार का यह उत्तरी भाग जहां कि आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और जोकि रिच इन इनटैलेक्चुएल्स है और संस्कृत विद्या का जहां काफी प्रचार है वहां ऐसी शोचनीय स्थिति पैदा हो गयी है। जैसे कि अभी हमारे एक दोस्त ने अर्ज किया कि लोगों को यह बतला कर कि यहां दरभंगा जिला के मधुबनी सब-डिवीजन में कुछ भी नहीं हो रहा है विपक्षी दल वालों ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी एसेंबली की ६ सीटों में से आधी अर्थात् तीन पर कब्जा कर लिया है। विपक्षी दल वालों ने इसी मसले को लेकर आधी सीटों को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि उत्तर बिहार में कोसी नदी के दोनों किनारों पर जो रक्षात्मक बांध बांधा गया है उससे करीब एक हजार गांवों को बाढ़ से बचाया गया है। यह १५४ मील का प्रोटैक्टिव बांध बांधा गया है। इसके साथ ही एक बड़ी चीज जोकि कोसी के रक्षात्मक बांध-निर्माण में नहर में हुई है और वह है मिनिस्ट्री का इस काम के लिये "जनसहयोग" आमंत्रित करना। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में सब से पहले यहीं पर पबलिक कोआपरेशन के जरिए काम कराया गया। कोसी योजना में जन सहयोग के द्वारा भारत सेवक समाज ने काम किया और जोकि देश के लिए एक आदर्श की वस्तु है। पंचायतों ने "जन सहयोग" के द्वारा काम करके करीब साढ़े सात लाख रुपया पश्चिमी क्षेत्र में बचाया जिससे कि नये नये स्कूल और नई नई इमारतें खड़ी की गयीं हैं। जाहिर है कि अगर यह जन सहयोग न मिला होता तो यह पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में चला जाता। लोगों की (इस काम को देख कर) आंखें खुल गयीं कि पबलिक कोआपरेशन के जरिए कितना बड़ा काम हुआ।

अक्तूबर सन् ६२ से कोसी बराज पूरा हो जाने से पूर्वी नहर को पानी मिलने लगेगा मगर पश्चिमी इलाके में पानी नहीं मिलेगा क्योंकि यहां नहर तैयार नहीं है। नहर की खुदाई भी शुरू नहीं हुई है। यह इलाका बहुत घना आबाद है। एक वर्ग मील में करीब ६०० या ६५४ व्यक्ति बसते हैं। यहां की मिट्टी बहुत जरखेज है और काफी पैदावार हो सकती है। यहां पर तम्बाकू, धान और ऊख की खेती बड़े जोरों से होती है। जूट का हिस्सा तो पूर्वी नहरों की तरफ पड़ता है जिसको कि कोसी ने बालू से भर दिया था लेकिन आज पूर्णिया और सहरसा जिले के इलाके में पूर्वी नहर जा रही है और वहां की भूमि को पानी मिलेगा। वह रेगिस्तान अब हरा भरा होगा।

इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता था। 'सोआयल कंजरवेशन' के बारे में जब मैं ने इस रिपोर्ट को देखा तो मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस के लिए केवल ११ करोड़ रुपये का प्राविज्न सारे देश के लिये किया गया है। मेरा कहना है कि इस ११ करोड़ रुपये से कुछ नहीं होगा कम से कम इसके लिए १०० करोड़ रुपया मिलना चाहिए। हिमालियन माउंटैंस् से जो नदियां निकलती हैं उनमें बहुत ज्यादा सैडीमेंट आती है क्योंकि हिमालय सैंडीमेंटरी रौक्स् से बना हुआ युवा पहाड़ है। जंगलात जो कि उसको रोका करते थे अब रोक नहीं सकते हैं क्योंकि जंगल के अनेक हिस्सों को लोगों ने काट डाला है। अब अगर इसको रोकने का प्रबन्ध नहीं किया जाता है तो यह डैम और बराज या एनीकट जो बनाये जा रहे हैं उनकी जिंदगी कम हो जायगी। विदेश से कुछ लोग आये थे और उन्होंने इस सिल्ट को देख कर यह कहा था कि इससे उनकी जिंदगी कम हो जायगी। अब कोसी बैराज जिस पर कि तकरीबन ४४ करोड़ रुपया खर्च होगा उसकी जिंदगी अगर दस साल भी कम

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

हो जाय तो देश को बड़ा नुकसान होगा । इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिए मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि यह एक बहुत अहम मसला है जिस पर कि उन्हें गम्भीरता से सोचना है । अगर यह काम ठीक से किया जाय तो आपके बड़े-बड़े रीवर प्रोजेक्टस की काफी जिंदगी बढ़ जायगी और आप उसमें सफलता पा सकेंगे ।

जब मैंने रिपोर्ट के ६४वें पेज को देखा तो यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि कोठार डैम को बनाने की बात चल रही है । यह वाकई एक बहुत ही खुशी की चीज है । यह हिमालय के ऐसे हिस्से में बनेगा, जहां कि मुश्किल से लोग जाते हैं फिर भी एक बड़ा काम वहां होने की बात है । पहले यह डैम चतरा में बनने की बात थी लेकिन अब उसको कोठार में ले जाने को बात हुई है । लेकिन जब मैंने पढ़ा कि बराहक्षेत्र से दो मील कोठार बांध के संबंध में भूतत्वीय सर्वेक्षण हो रहा है तो मुझे बड़ा शॉक लगा क्योंकि करीब करीब दस साल पेश्तर से ही इसकी इनवैस्टिगेशन चल रही है और तब यह निश्चय हुआ कि इस बैराज को नीचे चल कर हनुमाननगर के पास बनाया जाये । यह सब कुछ पहले से ही चल रहा है ।

इसी तरह से रिपोर्ट के पेज ५८ पर यह लिखा है कि पश्चिमी नहर और राजपुर नहर योजनाओं का ब्यौरेवार सर्वेक्षण और प्राक्कलनों की तैयारी का काम चल रहा है । मैं बड़ा घबड़ाया । मैंने सोचा यह तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई और यह क्या हुआ । फिर आगे मैंने पढ़ा तो लिखा हुआ था कि उसकी मंजूरी योजना आयोग ने दे दी है । वहां पर रुपये की कमी का भी जिक्र किया गया । डिटेल्ड बजट के दूसरे हिस्से में जब मैंने नजर डाली तो उसमें पृष्ठ २४ पर एक शब्द" पासिबिलिटी" लिखा हुआ था । मैं चाहता हूं कि जैसे भी हो उस वैस्टर्न कोसी कैनाल का काम होना ही चाहिये । यह बहुत जरूरी है । यह काम पिछले चार पांच साल से रुका पड़ा है और बराबर इसका जिक्र होता आया है । यह इलाका इसी पर आंखें लगाये बैठा है और आपको चाहिये कि पश्चिमी नहर के लिए भी आप सब कुछ करें ।

बहुत सी बातें राव साहब ने अभी कही हैं । उनको बड़ा एक्सपीरियेंस है और बड़ी-बड़ी नदियों को उन्होनें स्टडी किया है और बड़े-बड़े काम भी करवाये हैं । उन्होंने इरिगेशन के रेशे रेशे को जानने की कोशिश की है । जो बातें उन्होंने बताई हैं, बहुत माकूल हैं । एक बात उन्होंने टैक्नौलोजिकल हैड्ज़ की कही है । उन्होंने कहा है कि टैक्नोलौजिकल हैड्ज़ से सोचा जाना चाहिये । मैं इसको मानता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे ब्रेन कुदरत ने दिया है और उसके साथ साथ आखें, कान, नाक इत्यादि भी आदमी को दिये हैं, उसी तरह से बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों को भी हमें साथ ले कर चलना चाहिये और उनकी पूरी सलाह भी लेनी चाहिये जिससे हर पहलू से उस पर विचार हो सके ।

हमारे जो नए प्रेज़ीडेंट चुने गये हैं, उन्होंने एक बात कही है जिस की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि बहुत थोड़ा काम हो पाया है और बहुत काफी अभी बाकी पड़ा है । हमारी जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बहुत कम काम हुआ है और अभी बहुत कुछ करने को बाकी पड़ा है । जब हम अपने इलाके में जाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आप वहां क्या करते हैं । आप आबपाशी के लिए, सिंचाई के लिए पानी भी नहीं दिला सके हैं । जहां तक विद्युत का प्रश्न है उसे कुछ दिन तक पीछे भी धकेला जा सकता है मगर हमारे कृषि प्रधान देश के लिए अगर सिंचाई के वास्ते आप कुछ कर सकें और सूखे खेतों को कतरा कतरा पानी भी आप दे सकें तो देश की बड़ी उन्नति हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझ जैसे नए सदस्य को जो आपने समय दिया और मैंने जिस तरह से थोड़ी सी बात कही है, उसकी ओर मैं समझता हूं ध्यान दिया जाएगा । डा० राव ने जो एक बात कही है उसका मैं स्वागत करता हूं । उन्होंने कहा है कि इस मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया जाना

चाहिये और नम्बर एक मंत्रालय बना दिया जाना चाहिये, तभी यह जो आबपाशी और इरिगेशन की समस्या है हल हो सकती है और पावर मंत्रालय को अलग कर दिया जाए तो अच्छा होगा। पानी के मामले में हम बहुत धनी हैं। हमारे यहां बहुत ज्यादा नदियां हैं और बहुत सा पानी जाया ही चला जाता है। हम देखते हैं कि टैनेसी वैली जो यू० एस० ए० की है, वहां से करोड़ों क्यूसैक पानी निकलता है जिसने उस मुल्क को खुशहाल बनाया है और भूख से सदा के वास्ते आज़ादी दिलाई है। हमारे यहां भी करोड़ों क्यूसैक पानी बेकार समुद्र में चला जाता है और उसका उपयोग होना चाहिये।

आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोसी कैनाल की पूर्वी नहर में तो १९६२ में पानी चला जाएगा लेकिन पश्चिम की नहर के लिए भी आपको पानी देनेकी व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिये। मैं जोरदार शब्दों में कहूंगा कि इस मिनिस्ट्री को बड़ा पार्ट अदा करना है। फ्रीडम फ्राम हंगर की फाइट में इस मंत्रालय का प्रमुख भाग हो सकता है और अगर इसने अपने कर्त्तव्य को निभाया तो हम उस लड़ाई में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।

आपने मुझ जैसे नवीन सदस्य को बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही है, उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर जो पानी बरसता है उसमें ८० परसेंट जुलाई, अगस्त सितम्बर और अक्तूबर महीनों में ही बरसता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये और देश की तरक्की करने के लिये सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार नितान्त आवश्यक है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि फोर्ड फाउन्डेशन के कृषि उत्पादन सम्बन्धी दल ने इस समय का अध्ययन करके यही निकाला है कि भारत में अभी इस समय सब से बड़ी समस्या यही है कि कहीं पानी की सुलभता अत्याधिक है और कहीं बिलकुल ही न्यूनतम और उसका कार्यक्षमतापूर्ण उपयोग नहीं होता। आगे चल कर उन्होंने कहा है कि भारत में जलके संसाधन अपार हैं, पर उनका समुचित विकास नहीं किया जा सका है।

हमने दूसरे प्लान के अन्त तक सिर्फ ७० मिलियन एकड़ में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया था जब कि तीसरे प्लान में २० मिलियन की सिंचाई का लक्ष्य रक्खा है। प्लानिंग में जब एडीशनल फूड प्रोडकशन का कैल्कुलेशन होता है तो उसमें हमारा जो यार्डस्टिक रहता है वह ६ मन फी एकड़ का रहता है। इस तरह से अगर आप २० मिलियन एकड़ इरिगेशन में बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप सिर्फ ४ मिलियन टन एडीशनल फूड प्रोडकशन देश में पैदा करेंगे। जिस हिसाब से हमारी पापुलेशन बढ़ रही है अगर उसी हिसाब से बढ़ती चली गई तो तब तक वह ४८० मिलियन हो जायेगी। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो फूड प्रोडकशन आपका बढ़ेगा उसके बावजूद भी तीसरे प्लान के एंड तक आपको २८ मिलियन टन बाहर से गल्ला मंगाना पड़ेगा। इस वास्ते मेरा कहना यह है कि बाहर से गल्ला न मंगाना पड़े इसके कोई उपाय आपको सोचने चाहिये। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान सिर्फ वन-फिफ्थ से बन-फोर्थ तक इरिगेटिड लैंड में यील्ड को बढ़ाता है उस लैंड के मुकाबले में जहां पर कि इरिगेशन नहीं होती है। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ देने से यील्ड वन-फोर्थ वा बन-फिफ्थ बढ़ जाती है तो हम को सिंचाई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये। जो हमारी छोटी नदियां हैं, कैनाल्ज़ हैं उनमें चार महीने साल में पानी रहता है और आठ महीने वे बिल्कुल सूखी रहती हैं। जो पानी आज जाया चला जाता है उसको युटिलाइज़ करने के लिये अगर हम कोई प्लान बना सकें और साधन जुटा सकें और किसान को उसके खेत के लिये पानी दे सकें तो हमारी जो फूड की समस्या है वह बहुत हद तक हल हो सकती है। यहां का किसान बहुत मेहनती है और ज़मीन भी बड़ी प्रोडक्टिव है। अगर सिंचाई की सुविधायें किसान को दे दी जायें तो ,आप उस से तीन फसलें साल में ले सकते हैं और वह बड़ी आसानी से आपको दे सकता है। इससे खाद्य पदार्थ की हमारी जो समस्या है वह काफी हल हो सकती है।

[श्री विश्राम प्रसाद]

लेकिन होता क्या है । चार महीने पानी बरसता है और वह पानी नदियों में बह कर चला जाता है, भाप बन कर उड़ जाता है, जगह जगह बाढ़ें आती हैं, लेकिन उस पानी को युटिलाइज़ करने की हम कोई स्कीम नहीं बनाते हैं । हमारे किसानों को जिस बक्त पानी चाहिये, उस वक्त पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पैदावार नहीं बढ़ती है । पैदावार बढ़ाने के लिये पानी सब से जरूरी चीज़ है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जितना भी अधिक से अधिक पानी हम इस्तेमाल कर सकें, हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिये ।

आप कहते हैं कि ९० मिलियन एकड़ आप इरिगेशन में लावेंगे । इसका मतलब हुआ कि ३६० मिलियन एकड़ का चौथाई हिस्सा अंडर इरिगेशन होगा एट दी एंड आफ १९६५ । इसका मतलब यह हुआ कि चार मिलियन टन पैदावार बढ़ सकेगी और २८ मिलियन टन के करीब हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा । मैं यह नहीं कह सकता कि आप बड़ी बड़ी नहरें न बनायें, मेजर इरिगेशन पर आप ध्यान न दें, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि साथ साथ आप छोटी और माइनर इरिगेशन स्कीम्ज़ पर भी ध्यान दें । एक जगह पर इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि सिंचाई की लागत और उससे होने वाले लाभों की तुलना करके ही परियोजनाओं की व्यावहारिकता निश्चित करनी चाहिये । दूसरी सिफारिश है कि नल-कूपों का कार्यक्रम और विस्तारित किया जाना चाहिये । और तीसरी सिफारिश यह कि कम गहरे पक्के कुओं का कार्यक्रम विस्तारित किया जाये । जिन बड़ी२ नहरों का पानी किसानों को मिलता है उन की श्योर सप्लाई और टाइमली सप्लाई उन को होनी चाहिये । इस के साथ साथ जो छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ट्यूबवेल हैं, मैसनरी वेल्स हैं, लिफ्टिंग पम्प्स हैं, इस तरह की चीजें किसान के फायदे के लिये इरिगेशन मंत्रालय से या जो इरिगेशन की स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंटस स्टेट्स में चलाती हैं मिलनी चाहियें । इस लिये उन पर अधिक जोर देना चाहिये क्योंकि इस से छोटे किसान जो अपना समय बरबाद करते हैं, बहुत ज्यादा समय लगा कर अपनी सिंचाई करते हैं, उन को वह कुछ चीप पड़ेगा और उस के समय का भी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी थी कि जो नहर के रेट हैं वह कहीं कहीं इतने ऊंचे हैं कि किसान उन को नहीं दे सकते हैं । अगर आप को ऐडीशनल फूड प्रोडक्शन की तरक्की करनी है तो जिस तरह और चीजों के ऊपर सब्सिडी देते हैं उसी तरीके से जो इरिगेशन के रेटस हैं वह भी कम करने चाहियें । किसानों को पानी कम रेट पर मिले ताकि उस का ध्यान ज्यादा पैदावार करने की तरफ जाये । उस के इरिगेशन रेट्स में थोड़ी कमी जरूर होनी चाहिये । कहीं कहीं स्माल पावर एंजिन्स बड़े महंगे मिलते हैं । अमरीका में एक ऐग्रिकल्चरिस्ट बाजार में २००डालर में एक एंजिन खरीद लेता है और पानी निकाल कर सिंचाई कर सकता है, लेकिन हमारे देश के अन्दर किसान अगर एक एंजिन लेना चाहें तो उसे कम से कम ३,००० या ४००० रु० खर्च करना पड़ेगा । छोटा किसान इस तरह का एंजिन नहीं खरीद सकता है । इसलिये इस तरह की चीजें पावर इरिगेशन की या एलेक्ट्रिसिटी की हों जो छोटे किसान, गरीब से गरीब किसान दस या पांच एकड़ वाले ले सकें । इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये जिस से किसान को छोटे इंजिन और सस्ते दामों पर मिल सकें और अपनी जरूरीयात वे पूरी कर सकें ।

एक बात मुझे ट्यूब वेल कंस्ट्रक्शन के सम्बन्ध में कहनी है । मैं और प्रदेशों की बात तो नहीं कह सकता लेकिन उत्तर प्रदेश के लिये कहूंगा कि ट्यूब वेल जहां बने हैं, उन की जो नालियां बनी है वह कहीं २ ऐसी हैं जो नीचे से ऊपर को जाती हैं, जिस से कि किसान के खेत तक पानी न पहुंच कर बीच में ही टूट जाता है और सब का सब दूसरे के खेतों में चला जाता है । लेकिन उस के ऊपर ट्यूबवेल के रेट के जो पैसे हैं, जितने यूनिटस एलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है उसके हिसाब से चार्ज कर लिये

जाते हैं और किसान बेचारा दबाया जाता है। इस तरह की चीजें हुआ करती हैं। गांव की प्लैनिंग के लिये सैंट्रल गवर्नमेंट इरिगेशन का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देती है। इस के ऊपर उस का ध्यान होना चाहिये ।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में मेरी प्रार्थना है कि रिहन्द डैम मिर्जापुर जिले में बना हुआ है । हम लोग अखबारों में पढ़ा करत थे कि जो एलक्ट्रिसिटी वहां से जेनरेट होगी उस का तीन पाई पर यूनिट कास्ट आफ जेनरेशन के हिसाब से होगा और २ पाई पर यूनिट फिटिंग में लगेगा, इस तरह से ५ पाई पर यूनिट के हिसाब से किसान को बिजली मिलेगी। यू० पी० के २४ ईस्टर्न जिले हैं उन को तो बहुत सस्ते दामों पर बिजली मिलेगी जिस से वहां की इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, सिंचाई में वृद्धि होगी, छोटी म टी इंडस्ट्रीज चलेगी, लेकिन मैंने सुना है कि शायद ऐसी स्कीम नहीं है कि वह जल्दी से जल्दी किसानों को मिल सके। अगर वह इलेक्ट्रिसिटी किसानों को मिलती है तो उस से मिट्टी के तेल की बचत होगी, आयल सीड्स के तेल की बचत होगी और इन्डस्ट्रीज में आयल सीड्स वगैरह लगाये जा सकते हैं और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज चलाई जा सकती हैं। इस से बहुत से किसानों के अनएम्प्लायमेंट का सवाल भी खत्म हो सकता है और जो किसान दिन भर अपना बहुत सा समय दूसरी चीजों में बिताता है उस के लिये थोड़ा समय बचेगा जिस में कि वह दूसरा काम भी कर कर सकता है ।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आपने जो ऊंची आबादी की जगहें हैं उनको पहले लिया है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये। मेरी प्रार्थना है कि उस को जो छोटी आबादी की जगहें वहां से शुरू करना चाहिये था जिसमें कि छोटे किसानों को पहले बिजल मिलती है और वे अपने धन्धे, अपनी गृहस्थी को अपनी एकानामिक पोजीशन को सुधारने में कुछ फायदा उठा सकते।

फ्लड कण्ट्रोल के बारे में मुझे यह कहना है कि रिपोर्ट में लिखा है कि यू० पी० में ४३४० गांव ऊंचे किये गये और १२ लाख एकड़ भूमि फ्लड से बचाई गई। गांव जरूर ऊंचे हुए लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत जगहों पर उन में असलियत कुछ नहीं है। यू० पी का एक किस्सा है कि गांवों को ऊंचा कर दिया गया। वह मक्शे में तो ऊंचा हो गये, उसके पैसे भी मिल गये, लेकिन वे गांव कहीं ट्रेसेबल नही था। संयोग से जो कन्ट्रेक्टर थे वह किसी मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार थे । ऐसी चीजें होती हैं । आप से प्रार्थना है कि जो पैसे मिलें फ्लड कण्ट्रोल के लिये वह किसानों की जेब में जाने के बजाये कन्ट्रैक्टर्स की जेबों में न चले जायें।

एक स्कीम थी **डीपोनिंग आफ गैंजेज रिवर** की। यह सुना करते थे कि गंगा को इलाहाबाद तक गहरा करने के लिये एक स्कीम है और उस स्कीम से फ्लड भी कण्ट्रोल होगा और ट्रेड भी चलेगा। मैं नहीं समझता कि वह स्कीम कहां तक सक्सेसफुल है और कहां तक अण्डर कंस्ट्रक्शन है। मगर यह जरूर है कि अगर गंगा गहरी हो जाय इलाहाबाद तक तो वह एक बहुत सस्ता और अच्छा ट्रान्सपोर्ट हो सकता है। साथ ही जो आज रेल पर इतना जबर्दस्त प्रेशर पड़ रहा है वह भी शायद कम हो जाय।

ड्रेनेज के विषय में मुझे यह कहना है कि पूर्वी जिले उत्तर प्रदेश के, जैसे गोरखपुर, बस्ती और देवरिया हैं, **बैट इज काल्ड दि बाउल आफ इण्डिया**। आप अगर वहां से गुजरें तो देखेंगे कि इतना पानी वहां रहता है कि समुद्र का सा नक्शा बना रहता है, और हर साल फ्लड आता है। लाखों एकड़ जमीन बह जाती है, **मिलियन्स आफ टन्स** गल्ला सड़ जाता है, फसल का नुकसान हो जाता है। यह प्राब्लेम हर साल पैदा होती है। हाहाकार मचता है। असेम्बली में सवाल होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसके लिये कोई ठोस कदम इरिगेशन मन्त्रालय ले, जिसमें यह हमेशा के लिये जो सिर दर्द है वह खत्म हो जाय ।

[श्री विश्राम प्रसाद]

स्वायेल कंजर्वेशन के ऊपर मुझे यह कहना है कि हिन्दुस्तान के **अन्दर ४० टु ८० इंचेज** बरसात लगातार होता है और जिसका वीटिंग एफेक्ट इतना जबर्दस्त होता है कि जो फर्टिलिटी है स्वायेल की, बह कर नालियों से नदियों में और नदियों से समुद्र में चली जाती है तथा लाखों टन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जो कि एक बड़ी फैक्ट्री भी नहीं बना सकती, बह कर हर साल खराब हो जाता है। अगर स्वायेल कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाय तो यह चीज क सकती है। लेकिन मुझे कोई स्कीम नजर नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं कि स्वायेल कंजर्वेशन बहुत ही इम्पार्टेंट सबजैक्ट है जिसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये ताकि जो हमारी स्वायेल की फर्टिलिटी है बह वह कर समुद्र में न चली जाय।

मुझे कट मोशन्स के ऊपर भी थोड़ा सा कहना है। "**डिस्क्रिमिनेशन इन दि सप्लाई आफ एलेक्ट्रिसिटी इन डेल्ही**" का प्रश्न है। अगस्त सन् १९५९ के पहले यहां पर दिल्ली के अन्दर एक पावर कन्ट्रोल बोर्ड था, जिसमें नानआफिशल मेम्बर्स हुआ करते थे और वह ३ किलोवाट तक बिजली बिना किसी से पूछे जरूरत पड़ने पर दे दिया करते थे जो बड़ी बड़ी एलेक्ट्रिक सप्लाई होनी होती थी उसके बारे में एलेक्ट्रिसिटी कैसर्न से समझ कर दी जाती थी। लेकिन सन् १९५९ के बाद जब से यह पावर ऐडवाइजरी कमेटी बनाई गई और बिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के चीफ कमिश्नर उसके चेअरमैन **और ज्वायेंट सैक्रेटरी आफ दि इरिगेशन एन्ड पावर मिनिस्ट्री** उसके वाइस चेअरमैन हुए, तब से लोगों को एलेक्ट्रिसिटी टाइम पर नहीं मिल पाती है। पहले उन लोगों ने क्या किया? पहले कहा कि नये प्रार्थना पत्र नहीं मांगे जायेंगे। हालत यह है कि जितना अपना सोर्स होता है उन्हें तो इलेक्ट्रिक मिल जाती है लेकिन जिनका कोई सोर्स नहीं होता है कोई पहुंच नहीं होती है उनको इलेक्ट्रिक नहीं मिल पाती है।

एक पर्टिकुलर केस जो कि मुझे मालूम है उसे मैं आपको बतलाना चाहता हूं। एक शीला थियेटर है जिस को कि स्लम क्लियरेंस स्कीम के अन्दर बनाया गया। गवर्नमेंट ने उसको फुल कोआपरेशन और हैल्प दी। उसको आज तक इलेक्ट्रिक नहीं मिली। बहुत लिखा पढ़ी करने के बाद और प्राइम मिनिस्टर से लिखा पढ़ी होने के बाद वहां के बोर्ड ने यह कहा कि अब टौप प्रायरिटी पर आपका नाम रख दिया जाता है लेकिन उस के बाद मई सन् १९६१ में करीब १०००० किलोवाट बिजली औरों को दे दी गई लेकिन उस फर्म को नहीं दी गई। इस तरह की धांधलेबाजी चलती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो न्याय और जस्टिस एक के साथ हो वही दूसरे के साथ भी होनी चाहिए।

रिहांद के बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है। अगर रिहांद डैम में बिजली इतनी ज्यादा है कि वह यू० पी० के अलावा और प्रदेशों को दी जा सकती है तो इसके बारे में आपस में समझदारी से बात-चीत करके तय कर लें कि कितनी उधर जाय और कितनी इधर आय और इसको लेकर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपस में झंझट हो जाय।

अन्त में मैं फिर यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार इर्रीगेशन की व्यवस्था उन्नत करे क्योंकि इस इर्रीगेशन के ऊपर ही हमारे देश की खाद्य समस्या **बहुत हद तक निर्भर करती है और उस की उत्तम व्यवस्था होने से ही खाद्य समस्या** हल हो सकती है। इसलिए सरकार को छोटी और बड़ी इर्रीगेशन स्कीम्स की तरफ ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भा० दा० देशमुख (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय के खर्च की मांगों के सम्बन्ध में मैं संक्षेप में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस मन्त्रालय के खर्च की मांगों की ताईद करते हुए चन्द एक सुझाव भी मैं कंसर्नड मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं।

इर्रीगेशन के बारे में सदन में जो आज चर्चा हो रही है उस के बारे में मुझे यही कहना है कि देश और राष्ट्र का विकास करने के लिये सोशलिज्म का जो नारा हमने दिया है उस को अगर हमें हासिल करना है और उस मंजिल तक अगर हमें पहुंचना है तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हम को खेती के जो भी जराये हो सकते हैं उनको बढ़ाने और तरक्की देने की तरफ ध्यान देना चाहिये। भारत को यदि हमें अन्न की दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से सम्पन्न बनाना है तो हम को चाहिये कि हम अपने यहां की इर्रीगेशन स्कीम्स को बढ़ायें और अपनी जरायती पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बनाये। इस तरह से ही हम इस मामले में सैल्फ सफिशिएण्ट बन सकेंगे और अपनी जरूरयात को खुद पूरा कर सकेंगे। इसी लिहाज से हमने अपने देश में एग्रेरिएन इण्डस्ट्रियल सोसाइटी का अपना ध्येय निश्चित किया है।

मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से ऐसे प्रान्त जो कि पिछड़े हुए हैं जहां इर्रीगेशन नहीं है और आप तो जानते ही हैं कि भारत एक अति विशाल देश है जहां ऐसे प्रान्त भी हैं जहां कि ज्यादा बारिश की वजह से ज्यादा कठिनाई पैदा होती है तो वहां इर्रीगेशन का नहीं बल्कि एक दूसरा ही सवाल पैदा होता है। जैसा कि हमारे मित्रों ने अभी पंजाब का जिक्र किया तो वहां वाटर लौगिंग की समस्या है। इस देश में ऐसे भी प्रान्त हैं जहां कि बारिश की किल्लत की वजह से या वर्षा ठीक ढंग से न होने के कारण कम अथवा ज्यादा होने से वह प्रान्त फैमिन स्ट्रिकन जोन्स बन चुके हैं।

मैं रायल सीमा प्रान्त का जिक्र करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का भी कुछ उसमें विभाग आता होगा। रायलसीमा एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और फैमिन जोन है। वह इलाका जिसको कि औरंगाबाद या मराठवाड़ा के नाम से जानते हैं जहां कि पहले ३०–३५ इंच तक बारिश होती थी आज वह कहत-जदा इलाके बन गये हैं। मराठवाड़ा के औरंगाबाद, बीड़ और उस्मानाबाद जिलो में फैमिन कंडीशन्स पैदा हो रही हैं। इस इलाके में आज २५ इंच से भी कम बारिश हो रही है। उस डैकन प्लेटो की लैविल स २ दो, ाई हजार इंच ऊंचा होने की वजह से छोटी मोटी नदियां बड़ी तेज बहती हैं और उस तेज बहाव के कारण गोदावरी और कृष्णा ये जितनी नदियां वहां पर बहती हैं उससे इरोजन होता है। उनका पानी समुद्र में चला जाता है। मराठवाड़े की नदियों का फायदा अन्य प्रान्तों को तो होता है, आन्ध्र प्रदेश को और मैसूर को फायदा होता है लेकिन मराठवाड़ा की जनता को जहां से कि यह नदियां निकलती हैं उनको कोई फायदा नहीं होता है। वह इलाका जहां से यह नदियां निकलती हैं वहां सिर्फ पानी तीर्थ के लिये लिया जाता है।

मुझे सदन के सामने यह चीज रखनी है कि भारत में जो शान्ति और समृद्धि की बातें की जाती हैं, गौतम बुद्ध और जो दूसरे महान् सन्त यहां पर हुए हैं उन्होंने इस मराठवाड़ा प्रान्त को पुनीत किया है। अजन्ता और एलोरा की केव्स बनी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि एक जमाने में वह प्रान्त बहुत ही अच्छा और समृद्ध होता था। लेकिन यह इरोजन की वजह से, बारिश की कमी की वजह से और पीने के पानी के कहत की वजह से आज बड़ी शोचनीय अवस्था हो रही है। जिन लोगों ने अजन्ता और एलोरा की गुफाएं आजकल देखी होंगी उन्होंने वहांपर पानी की कमी को अनुभव किया होगा। वहां पर पानी की बहुत किल्लत है। चूंकि वहां पर फौरेस्ट्स नहीं हैं इसलिये इरोजन का मसला बढ़ता ही जा रहा है और वह प्लेटो का हिस्सा बिल्कुल कहतजदा जोन में तबदील होने की एक बहुत बड़ी समस्या का निर्माण हो चुका है।

हमारे मराठवाड़े में कई परिवर्तन हुए हैं। निजाम स्टेट ने २५० साल तक मराठवाड़े के उन ५ जिलों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उनका कोई डेव-लपमेंट नहीं किया गया था। उसके बाद पिछले १० साल में जो राज्य क्रान्तियां हुई हैं यह ठीक है कि उनके डेवलपमेंट के लिये कुछ स्कीमें बनाई गई लेकिन

[श्री चा० दा० देशमुख]

उन पर ठीक से अमल नहीं हो पाया है । दस साल से जो वहां पर कई राज्य क्रान्तियां हुई हैं उसकी वजह से इर्रीगेशन प्राबलम की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दिया जा सका है। मुझे इस हाउस के सामने यह अर्ज करना है कि मराठवाड़ा की एक भी मेजर इर्रीगेशन स्कीम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान में नहीं है । मीडियम और माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स जो कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान में इन-क्लूड की गई थीं उनको अब तक स्पिलओवर में ले जा रहे हैं । मीडियम इर्रीगेशन स्कीम्स जो कि हमने फर्स्ट फाइव इयर प्लान मे रक्खी थीं उनको हैदराबाद गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया और हाथ तक नहीं लगाया । अलबत्ता सैकेंड फाइव इयर प्लान में कुछ स्कीम्स शुरू हुई थीं जिनमें कि कोयना मीडियम साइज्ड इर्रीगेशन प्रोजैक्ट है । रिआरगेनाइजेशन के बाद बम्बई का द्विभाषी राज्य बना और उसके बाद अब महाराष्ट्र बना है । महाराष्ट्र गवर्नमेट उसको शुरू कर रही है ।

मराठवाड़े की समस्या आज आपके सामने मौजूद है । नदियां तो वहां बहुत बहती हैं और मिट्टी भी वहां की सोना जैसी है लेकिन पानी की कमी की वजह से वहां किसी किस्म की खेती ठीक से नहीं होने पाती है । गुलाटी कमीशन के सामने भी हमने यह चीज रक्खी थी जबकि हाल में उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया था । उनसे यह कहा गया कि गोदावरी या कृष्णा के बेसिन से जो नदियां बहती हैं उनका पानी वहां के इलाकें को नहीं मिलता है । हमारे राव साहब ने यहां पर बड़ी नसीहत करने की कोशिश की है और कहा है कि पानी के लिये आपस मे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिये । मैं उन को इनवाइट करता हूं कि वह खुद चल कर देखें कि गोदावरी जो नदी है, उसका जो पानी है उसको बहुत पवित्र माना जाता है, लोग उस पानी को अपनी आंखों को लगाते हैं, लेकिन खेती के लिये एक कतरा भी पानी किसानों को नहीं मिलता है। उस गोदावरी के किनारे पर पाटन, गंगापुर, बीजापुर, औरंगाबाद जैसे जो इलाकें हैं जो देश की ग्रेनरी बन सकते हैं, वहां की जमीन सोना उगल सकती है और जहां पर दुनिया का बढ़िया से बढ़िया धान पैदा किया जा सकता है, पानी न मिलने की वजह से वह एरिया आज फेमिन स्ट्रिकन बनता जा रहा है । नए ढंग से गुलाटी कमीशन को चाहिये कि १९५१ का जो एग्रीमेंट है जो उस वक्त की हैदराबाद, मैसूर और आंध्र गवर्नमेंट्स के बीच हुआ था, उस पर सोच विचार करे । महाराष्ट्र का जो नया सूबा है और मराठवाड़ा का जो प्रश्न सामने आया है, गुलाटी कमीशन को चाहिये कि वह जाकर उनके हालात को देखे और अगर सही तौर पर उस प्रान्त को आगे बढ़ाना है, पैदावार को ज्यादा करना है, देश में मसवात लाना है, पिछड़ी हुई जातियों और इलाकों को आगे बढ़ाना है, तो उसको रिवाइज करे । अगर कोई प्रान्त पिछड़ा हुआ है और उसको पिछड़ा ही रहने दिया जाए तो पूरे देश की उन्नति नहीं हो सकती है । जो प्रान्त कठि-नाइयों में फंस गए हैं, उनको उन कठिनाइयों में से निकालना आपका फर्ज है । ऐसे प्रान्तों की स्कीमों को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिये, उनको पहले हाथ में लेना चाहिये ।

माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि वहां माइनर इर्रीगेशन स्कीम्ज हो सकती है, मीडियम इरीगेशन एकीम्ज हो सकती है और इन स्कीम्ज को हाथ में लेना सेंटर की रिसपांसिबिलिटी नहीं है । स्टेट गवर्नमेंट्स की यह जिम्मेवारी है और इसमे सेंटर कुछ नहीं कर सकता है । लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट तभी उनको हाथ में ले सकती है, तभी उनको इम्प्लेमेंट कर सकती है जबकि उसके प्लान्ज के लिये ज्यादा पैसा दिया जाए । महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इरीगेशन प्लान के लिये जो आपने ५७ करोड़ रुपया दिया है वह बहुत कम है । वहां की परिस्थितियों को देखते हुए जो स्कीम्ज हाथ में आज लेने की जरूरत है, उन पर कम से कम १२०० करोड़ रुपये की जरूरत होगी और इतना रुपया तो कम से कम आपको उनको देना चाहिये । इसी स्पीड से अगर सेंटर उसकी मदद करता रहा और इसी हिसाब से पैसा देता रहा तो उस इलाके की तरक्की सौ साल तक भी नहीं हो सकेगी ।

मैं आपको बताऊं कि मराठवाड़ा का जो प्राबलैम है वह भी इरिगेशन का प्राब्लैम है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि वहां कोई दूसरे सनती जराये नहीं हैं, कोई दूसरी स्कीम्ज़ नहीं हैं, पावर की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, इण्डस्ट्रीज़ नहीं हैं। महाराष्ट्र में गन्ने की जो काश्त होती है, वह कहीं ज्यादा हो सकती है अगर जमीन को पानी दे दिया जाए। आज वहां पर गन्ने का जो परसेंटेज है वह १० परसेंट है जिसे आप यू० पी० के बराबर या उससे कम समझते हैं। लेकिन अगर वहां पानी जमीन को दे दिया जाए तो पर एकड़ ७० से ८० टन गन्ना पैदा हो सकता है।

डेकन कैनाल के नीचे जो महाराष्ट्र की आज शूगर इण्डस्ट्री डिवेलेप हो रही है, उसको अगर एक्सपर्ट लोग जाकर देखें तो उनको मालूम होगा कि शूगर का जो वहां परसेंटेज है, इण्डिया में महाराष्ट्र के बराबर और किसी प्रान्त का नहीं है। १० परसेंट गन्ने का जो कम आया है वह इस वजह से आया है कि जमीन को पानी न मिलने की वजह से जो गन्ने की फसल होती है वह ठीक नहीं होती है। अगर पानी वहां पर दे दिया जाए तो वहां की इण्डस्ट्री बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है तथा जरई पैदावार में बड़ी तरक्की हो सकती है। पानी न मिलने की वजह से बड़ी दुश्वारी होती है। महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रान्त है जिसने एक आदर्श हिन्दुस्तान के सामने रखा है। वहां पर शूगर फैक्ट्रीज़ कोओपरेटिव बेसिस पर चलाई जा रही हैं। जो प्राइवेट शूगर फैक्ट्रीज़ भी हैं उनको भी लैण्ड सीलिंग्ज़ बिल ला करके कोओपरेटिव ढंग पर चलाने की कोशिश की जा रही है। यही आज के हालात में ठीक तरीका हो सकता है और समाजवाद की दृष्टि से यह आवश्यक भी है। वहां पर थोड़े से अर्से में तीस फैक्ट्रियां स्थापित हो गई हैं। वहां पर अगर पानी मिल जाए तो मैं समझता हूं कि मराठवाड़ा के एक एक जिले में एक एक दो दो फैक्ट्रियां कायम हो सकती हैं। पानी न मिलने की वजह से दूसरी फसलें भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं।

आप कम्बोडिया लांग स्टेपल कपास बाहर से मंगाते हैं और करोड़ों रुपया हमें दूसरे मुल्कों को देना पड़ता है। यह लांग स्टेपल कपास नादेड़ और नागर और डेकन कैनाल की जो जमीन है, उसमें उगती है। इसका उत्पादन दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में कई गुना हो सकता है। नांदेड़ में बहुत बढ़िया किस्म की कपास पैदा होती है और उसकी फारेन कण्ट्रीज़ में बड़ी मांग भी है। वहां सिर्फ कमी है तो पानी की है। एक इंच भूमि के लिये भी पूरे मराठवाड़ा में पानी नहीं है और न ही पानी देने के कोई ज़राये तलाश किये गये हैं।

आप यह कह सकते हैं कि बावलियां बना करके सिंचाई के प्रश्न को हल किया जा सकता है। लेकिन जमीन के अन्दर टेबल पेड़ की जो अवस्था है, इरोज़न जो हुआ है, उसके फलस्वरूप ६०–७० फीट तक पानी नहीं है। इसलिये बावलियां बनाने का प्रश्न भी विकट हो गया है। इसलिये माइनर और मीडियम स्कीम्ज़ को हाथ में लेना जरूरी हो जाती हैं आपकी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस जानी चाहिये कि वह उस एरिया का स्पेशल सर्वे कराये और उन स्कीम्ज़ को आपको फाइनेंस करना चाहिये। तकरीबन २५ स्कीम्ज़ ऐसी हैं जो फर्स्ट प्लान से थर्ड प्लान में स्पिल ओवर होती जा रही हैं। एक स्कीम भी पूरी नहीं हुई है। एक एक दो दो लाख की स्कीमें हैं जो पड़ी हुई हैं, पूरी नहीं हुई हैं। जब इसकी वजह पूछी जाती है तो बताया जाता है कि फाइनेंस की कमी है। इस वास्ते इस तरफ आपका खास ध्यान जाना चाहिये।

महाराष्ट्र और मराठवाड़ाका जैसा मैंने कहा खास प्राब्लैम इरिगेशन का है। सेंटर को उसकी तरफ खास ध्यान देना चाहिये। उसके तीसरे प्लान में से जिन स्कीमों को डिलीट कर दिया गया है, उनको फिर से शामिल किया जानचाहिये और ज्यादा फाइनेंसिस देकर उसकी स्कीम्ज़ को पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिये।

[श्री चा० दा० देशमुख]

कम्बोडिया काटन जिस को १७० या सी० २ कहा जम जाता है, उसके सवाल को अब मैं आपके सामने रखना चहता हूं। वहां पर एकड़ ३० या ३५ मन कपास होती है और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि उसका एवरेज दूसरे प्रान्तों से बहुत अधिक है। अगर पानी दे दिया जाए तो यह एवरेज बहुत बढ़ सकता है।

इसके साथ पावर का प्रश्न भी उठ खड़ा होता है। महाराष्ट्र में पावर का भी एक एक्यूट प्राबलैम बन चुका है। रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन की दृष्टि से सोचा जाए तो भी महाराष्ट्र के पास बहुत कम पावर है। कोयना प्राजैट जो शुरु हो रही है, उसके ज़रिये वहां कुछ पावर जैनरेट होगी। लेकिन मराठवाडा का जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, उसको मैं नहीं समझता कि कोयना की बिजली मिल सकेगी। वहां अगर पावर मिल सकती है तो कूर्मा प्राजैक्ट से थोड़ी बहुत मिल सकती है। वहां पर अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ कायम हों और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ चलें तो पावर कैसे उसनको मिल सकती है, यह भी सैंट्रल गवर्नमैंट के सोचने की चीज़ की है। पिछड़े हुए इलाके को अगर ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की जाती है तो समाजवाद लाने का जो आपका स्वप्न है वह स्वप्न ही रह जाएगा, और समाजवाद कभी नहीं आ सकेगा। पिछड़े हुए प्रान्तों में इरोज़न की वजह से जमीन दिन-ब-दिन खराब हो रही है और अगर इस तरफ अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो और भी खराद की बात पैदा हो जाएगी तब आपके सामने नई समस्यायें उठ खड़ी होंगी जिन को लकरना आपके लिए मुश्किल होजाएगा। इस वास्ते आज से ही ठीक ढंग की योजना आपको बना लेनी चाहिये। मैं समझता हूं कि पांच जिलों की इरिगेशन की जरुरतों और कंजरवेशन की स्कीमों की तरफ पहले ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा।

महाराष्ट्र ने कंटूरबंडिंग की स्कीम को भी प्रायोरिटी दी है। कंटूर बंडिग की जो स्कीम महाराष्ट्र में बनी है वह पूरे पैमाने पर बनी है, वैसी किसी दूसरी स्टेट में नहीं बनी है। अगर इरोजन को रोकना है तो बंडिंग को स्कीम को हाथ में लेना जरूरी हो जाता है। बंडिंग के लिए भी सैंट्रल गवर्नमैंट ज्यादा दिलचस्पी लेगी और उस उस तरफ भी ज्यादा देगी और तमाम महाराष्ट्र की स्कीम्ज़ को पूरा करने में वह ज्यादा हिस्सा लेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं।

कृष्णा गोदावरी वाटर डिसप्यूट के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। यह मामला गुलाटी कमेटी के सामने है और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने आने वाली है। उसके बारे में कोई रिमार्क्स पास करके मैं समझता हूं उस कमेटी की रिपोर्ट को प्रेजुडिस करना होगा। इस वास्ते उसकी रिपोर्ट की हमें इंतज़ार करनी चाहिये और जब रिपोर्ट आ जाये तो उस पर यहां चर्चा हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री का० रा० गुप्त (अलवर) : इस मंत्रालय के बारे में जब हम विचार करें तो हमें देखना चाहिये कि आज यह मंत्रालय कितना अपने आप में स्वतंत्र है और कितना दूसरे मंत्रालयों पर आश्रित है। जिस तरह से यहां इस सदन में हिन्दी को लेकर चख चख होती है और उसमें कितना दोष किस माननीय सदस्य का है और कितना माननीय मंत्री का है, इसका निर्णय हम नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से इसका भी निर्णय करना मुश्किल चीज़ है। स्थिति यह है कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं राजस्थान के वह एक ऐसा क्षेत्र है जो पंजाब के जिला गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ से लगता है। भाखरा नांगल योजना की बिजली में जो भूल प्रारम्भ में हुई उसका उत्तरदायित्व किस पर पड़े यह भी एक अजीब कहानी है। पंजाब ने गुड़गांव जिले को और महेन्द्रगढ़ जिले को अपनी योजनाओं में शामिल किया। किन्तु राजस्थान ने अलवर जिले को नहीं किया। मालूम हुआ कब ? जब पंजाब में बिजली आने लगी और हमारे यहां नहीं आई। लोगों मे बेचैनी फैली। जनकारो

की गई तो मालूम हुआ कि भारत सरकार के मंत्रालय ने योजना के अन्तर्गत उन को लिखा कि आप अपने सुझाव भेजें। उन्होंने अपने कलेक्टरों को लिख दिया और कलेक्टर के यहां यह बही खाते में पड़ा रहा साल दो साल तक। बाद में इंजीनियर्स ने जो कुछ लिख कर भेजा उस के आधार पर उस जिले को वहां से निकाल दिया गया। बड़ा संघर्ष हुआ। बार बार यहां आये, प्लैनिंग कमिशन के पास आये अथवा मंत्रालय के पास आये, तो कह दिया गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। हम क्या जानें तुम्हारे राजस्थान की सरकार ने योजना ऐसी बनाई। तो क्या राज्य सरकारें अगर गलत योजनायें बनायें तो उस में केन्द्रीय गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती ? यह एक मूल विषय था। आखिर, बहुत भाग दौड़ हुई और एक रास्ता निकाला गया कि जो ग्रामीण योजनायें होंगी उन के अन्तर्गत पंजाब से ले कर १६ मील के अन्दर आप को बिजली मिल जायेगी। लेकिन दुर्भाग्य से उस में भी राजनीति बीच में घुस गई। उस राजनीति का नमूना मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। हुआ यह कि कुछ लोगों ने, जो सत्ता में थे, सोचा कि इस का फायदा किस प्रकार चुनाव में उठाया जाय। बहुत जल्दी कोशिश कर के योजना के एक अंग में किसी प्रकार से लट्ठे ले जा कर चुनाव के दिनों में जल्दी से जल्दी खड़ा करने की कोशिश की एक क्षेत्र में। जब यह कोशिश की गई और लोगों ने उस के बारे में कहा तो यह बता दिया गया कि तुम अगर वोट नहीं दोगे तो यह लट्ठे भी यहां नहीं रहेंगे। इस प्रकार की राजनीति एक तरफ चली, दूसरी तरफ इस से पहले एक राजनीति चल चुकी थी। आप आश्चर्य करेंगे कि आज से दस वर्ष पहले सन् १९५२ में एक ३३ ग्रामों की ग्रामीण योजना बनाई गई, जिस समय माता रामेश्वरी नेहरू वहां के बोर्ड की चेअरमैन थीं। वह ग्राम योजना दस वर्ष से आज तक पूरी ही हो रही है। बहाना यह किया गया कि इस के लिये सामान नहीं मिल रहा था, लेकिन उस के भीतर भी एक रहस्य था आपस की फूट का। तीसरी तरफ यह हुआ कि बनी योजनायें। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि यहां इस मंत्रालय की जवाबदारी कितनी है और कितना उन का अधिकार प्रदेश की सरकारों के ऊपर है अथवा कितना दूसरे सम्बद्ध मंत्रालयों पर है, उस पर जब हम रोशनी डालते हैं, तो यह समस्या सामने आती है। वहां पर देखा गया कि एक ऐसी योजना चली जो कहीं पर दी हुई नहीं थी, कागज पर भी नहीं थी। उस पर अमल उन्हीं दिनों किया गया और अलवर से टरबाइन से बांसूर तक कोई ३० मील की लाइन, जिस पर २० या २५ हजार रुपया फी मील खर्च होता है, एक महीने के अन्दर डाल दी गई, बिना यह देखे कि वहां पर उस का कितना पोटेन्शल है, कितना इस्तेमाल उस का होगा और कितना नहीं होगा। एक तरफ रुपया बरबाद और दूसरी तरफ किसान परेशान। नतीजा यह है कि वह जिला जिस को प्राथमिकता देना चाहिये था बिजली के लिये, जहां कुंओं के साधन हैं, माइनर इरिगेशन थोड़ा है, जहां ट्यूबवेल का साधन थोड़ा सम्भव हो सकता है वह सद वर्ष पिछड़ गया। बार बार जब जोर दिया गया तो कहा गया कि आप को चम्बल से जोड़ा जा रहा है, चम्बल सन् १९६७ में आयेगी। और अब मालूम हुआ कि चम्बल से जोड़ना शायद अलवर तक ही हो सके, उस का उत्तरी भाग उस से सम्बद्ध न हो।

अभी दो या तीन दिन हुए कन्सल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में मालूम हुआ कि २५ मार्च सन् १९६० को आप के मंत्रालय से एक सर्कुलर लेटर गया सब सरकारों को और उस में बहुत अच्छी स्कीम बनाई गई कि आप लोग जिले को यूनिट मान कर ग्रामीण योजनायें बनायें। और उस में कितने ही सुझाव दिये गये। लेकिन उस सन् १९६० के बाद आप देखिये कि आप को कितनों के यहां से उत्तर मिले कि कितना सही है, कितना नहीं। इस से साफ मालूम हो जाता है कि प्रदेश सरकारें, जिन को आप आजाद कहते हैं, जवाबदार कहते हैं, वह इस बारे में कितनी जवाबदार हैं इस से देश का जो नुक्सान हो जाय उस की जिम्मेदारी आप पर पड़े या किसी पर पड़े, पर इस का निर्णय कौन करे ? इस का नतीजा क्या हुआ ? आज राजस्थान के अन्दर इस तीसरी योजना में केवल ३०० गांवों को बिजली मुहैया करने की बात रखी गई है, इस में शायद वह भी शामिल हैं

[श्री का० रा० गुप्त]

जिन का जिक्र मैंने किया, जब कि उस के मुकाबले में मद्रास में ५५०० गांव लिये हैं और उस को ३० करोड़ रु० दिये गये हैं। राजस्थान को और बहुत सी दूसरी जगहों को एक या सवा करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं नहीं कहता कि यहां पर पक्षपात किया गया है, लेकिन यह तरीका गलत है कि आप अपनी जिम्मेदारी को न मानें या अपनी जिम्मेदारी को पूरा न करें और इस बात की पूरी निगरानी न करें कि राज्य सरकारें किस तरह से चलती हैं, किस प्रकार उन की दशा होती हैं, किस प्रकार उस में राजनीति घुसती है, क्या किसानों की हालत वहां होती है। आखिर इस की जिम्मेदारी किस पर होने वाली है ?

एक माननीय सदस्य : स्टेट असेम्बलियां इस के लिये जिम्मेदार तो हैं।

श्री का० रा० गुप्त : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिन असेम्बलियों को आप जिम्मेदार बतलाते हैं वह जिम्मेदार असेम्बलियां अगर आप की योजनाओं को कार्यान्वित न करें, अगर वह सही योजनायें यहां न दें या जो योजनायें बन कर आयें उन का ठीक ठीक पालन न करें तो क्या हो ? मैं इसी के उदाहरण भी दे रहा हूं। आगे चल कर आप को मालूम होगा और यह मुख्य विषय है।

अब स्वायेल कंजर्वेशन का सवाल आता है। वहां से स्कीम नहीं आती है, आती है तो गलत आती है और वापस जाती है। इतना टाइम बरबाद हो गया। अगर कोआर्डिनेशन नहीं होगा तो योजनायें सफल नहीं होंगी। यह मूल विषय है। मैं मिसाल के तौर पर आप को बतलाऊं कि ट्यूबवेल्स और कुएं यह दोनों चीजें फूड और ऐग्रिकल्चर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मानी जाती हैं। इस में मुश्किल क्या है ? वहां एक सादी नदी है जो कि एक बड़े नाले के तौर पर है और बरसात में बहता है। उस की बैड में २०, २० मील तक के लिये मांग करते हैं कि वहां ट्यूबवेल का एक्स्पेरिमेन्ट हो। वह प्रदेश के कृषि विभाग वाले लोग कहते हैं कि बिजली आने दो, बाद में हम करेंगे। जब हम बिजली वालों से कहते है तो वे कहते हैं कि ट्यूबवेल तो आने दो हम वहां पहले से ही तार ले जा कर कैसे खड़ा कर दें। इस तरह से जब कोआर्डिनेशन नहीं होता तो उस का नतीजा यह होता है कि उत्पादन बढ़ नहीं सकता, लोगों का रोजगार बढ़ नहीं सकता। वह जो जिले हैं वहां प्रेशर आन लैंड बहुत ज्यादा है और जिस जगह प्रेशर आन लैंड ज्यादा हो वहां कुएं और ट्यूबवेल ही उन की जान हैं पैदावार बढ़ाने के लिये और उन की जो भुखमरी है, बेकारी है, उस को दूर करने के लिये। इसलिये वहां की जो एकानमी शैटर हो रही है वह दस वर्ष पीछे पड़ गई है। आज एक तरफ मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि पंजाब के किसान खुश हैं, जब मैं देखता हूं कि गुड़गांव और रेवाड़ी में लहलहाते हुए खेत हैं, मोटर चल रही है। लेकिन उस में मुकाबले दो मील के फासले पर राजस्थान की हद्द में से तार तो जा रहा है लेकिन वहां का किसान बैठा हुआ देखता है। वहां पर वह बैलों से खेती करता है, बैलों से चरस चलाता है और उस की कमर टूट जाती है क्योंकि मुकाबले में तो उस को उसी भाव में अपनी चीज लगानी पड़ेगी जिस में कि दूसरे देते हैं।

इसलिये इस तरह की योजनाओं में जो त्रुटियां हैं उन को इस मंत्रालय को देखना पड़ेगा क्योंकि वह स्वयम् आजाद नहीं है। अगर फारेन एक्स्चेन्ज नहीं मिल रहा है तो सामान नहीं आयेगा। अभी डा० राव ने बतलाया कि उन की राय है कि यहां सामान बनाने के लिये अलग मंत्रालय हो तो अच्छा है। इस तरह की हमारी समस्यायें चल रही हैं। कहीं वाटर लागिंग का सवाल आ जाता है, कहीं स्वायेल कंजर्वेशन का प्रश्न आ जाता है। इस में भी एक बड़ी अजीब बात है। उन्होंने बहुत बड़ी रकम फूड और ऐग्रिकल्चर मिनिस्ट्री से लिया है अब वह कहते हैं कि वह

पंचायत समिति के जरिये से देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सब जगह कोआर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा । जो भी टेकनिकल बातें हैं उन का निर्णय यहां बैठ कर होना चाहिये, न कि अन्धाधुन्ध तरीके से होना चाहिये । जो स्वायेल कंजर्वेशन पंचायत समिति के जरिये से होता है वहां रुपया बरबाद होने के सिवा कुछ नहीं होता । आप इवैलुएशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिये कि इस का क्या नतीजा होता है । भले ही हम थोड़ी थोड़ी रकम दें लेकिन प्राथमिकता को देखना चाहिये । अगर एलेक्ट्रिफिकेशन आफ विलेजेज अच्छे ढंग से कराया जाय तो गांवों की काया पलट हो सकती है और इस से कुछ फायदा भी होने वाला है । वहां उद्योग धन्धे भी पनपेंगे और उस के पनपने के साथ ही आप ो यह देखना पड़ेगा कि गांव का कौन सा पैटर्न ऐसा हो जिस में आप आसानी से बिजली पहुंचा सकें । कई जगह मुश्किल पड़ती है । गांव दूर दूर होते हैं, कई जगहों पर ४-४, ५-५ घरों के गांव होते हैं । लोग कहते हैं कि वहां पर बिजली देने के लिये कौन २५ हजार रुपये खर्च करे । दूसरी जगह कहते हैं कि अमुक जगह पहुंच गई । इस तरह से वहां ईर्षा द्वेश पैदा होता है, झंझट पैदा होता है । इन सब बातों को हमें देखना है ।

इसके साथ साथ जहां तक कैनाल सिस्टम का सवाल है उस में भी मुझे एक बहुत अजीब बात लगी । चम्बल योजना के बारे में गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट को पढ़िये तो मालूम होगा कि व्यवहारिक रूप में आज उस की क्या दशा हो रही है ? जिस कैनाल के बारे में हम को ५ वर्ष पहले सोचना चाहिए था कि इसका वाटर आयेगा तो इस का क्रौप पैट्रन क्या हो, कौन सी फसल इसमें पैदा करनी है ? यह सारा हम अब सोच रहे हैं और वह पानी बेकार जा रहा है । वहां के किसान समझ नहीं पाये । उनको बताया नहीं गया । वह पंजाब तो था नहीं । वह तो एक नई जगह थी । वहां के लोग इन बातों को जानते नहीं थे और वह अपनी पुराने ढर्रे की खेती कर रहे हैं । अब उसके लिए सेंटर की एक कमेटी बैठी और उसको बताना पड़ा । अगर वहां की सरकारें जिनको कि आप सूबायी सरकार कहते हैं जिनको कि आप जवाबदेह सरकार कहते हैं वह अगर इन बातों को देख लेती तो फिर वह समस्याएं क्यों पैदा होतीं ? मैं बारबार जो बात निवेदन कर रहा हूं वह इसलिए कि यही एक मंत्रालय ऐसा है जिसका कि सम्बन्ध तीन मंत्रालयों से है । इसका सम्बन्ध कोआर्डिनेशन प्लानिंग, एग्रीकलचर फुड और कम्युनिटी डेवलपमेंट से है । कैसा आपका कोआर्डिनेशन होता है और कैसे आप रोज मीटिंग्स करते हैं यह तो आप जानें और फिर जो स्टेट्स प्लांस हैं उनको कसे फिट इन करते हैं ? बड़े बड़े डैम, बड़ी बड़ी इर्रीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी की स्कीमें तो आप यहां बड़े बड़े लोग कर लेते हैं लेकिन उस का जो नीचे जाकर असर होता है किसान पर जो उसका असर होता वह क्या हो रहा है इसको भी दो आप देखिये ।

मिसाल के तौर पर आपने बिजली भी पहुंचायी । वहां कुआं है । आप कानून बना देते हैं । लेकिन वहां राजस्थान में या कहीं और ५, ६ आदमी कहेंगे तो बिजली लग जायगी नहीं तो नहीं लगाई जायगी । इसको लेकर अनेक झगड़े होंगे ।

प्रौपर कोआर्डिनेशन और प्लानिंग का अभाव है । वैल इर्रीगेशन और ट्यूबवैल इर्रीगेशन के और में यह नहीं देखा जाता कि यह बिजली से हो अथवा इसका क्या पैटर्न हो । इसका शायद थर्ड फाइव इयर प्लान में भी पूरे तरीके से मीजान नहीं लगाया गया है क्योंकि अगर ऐसा किया गया होता तो आपके जो भी प्लांस होते वह जिले के आधार पर बने हुए होते । कम से कम बिजली के बारे में खास तौर से यह देख लें कि जहां एक जिला नहीं दो जिले नहीं चार जिले मिलते हैं या इंटर स्टेट्स कम्युनिकेशन होता है कि नहीं ? यह सब विचार एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं मिलते जुलते हैं । यह अलग अलग आइसोलेटेड वे में नहीं रक्खे जा सकते हैं । जो चीज आइसोलेटेड वे में नहीं ली जाती है जिस चीज के लिए इतना भारी सम्बन्ध एक दूसरे का हो उसमें फिर यह देखने की प्रमुख जिम्मेदारी किस की है ? इसके लिए मालूम पड़ेगा कि आपके मंत्रालय को अपनी शक्ति

[श्री का० रा० गुप्त]

को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से मांग करनी होगी। आप के मंत्रालय को देखरेख करने के लिए कि वह रुपया सही लग रहा है या नहीं, ज्यादा अधिकार देने होंगे।

मिसाल के तौर पर आप पढ़ लीजिये कि चम्बल के बारे में क्या रिपोर्ट आई हैं? आज राजस्थान कैनाल आप की चल रही है वह किस तरीके से चल रही है? कहा जाता है कि वहां पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। अगले १०, १५ या २० वर्ष में वहां पर विधिवत लोगों को बसाया जायगा और दूसरी तरफ धड़ाधड़ पैसे वालों को जमीन बेची जा रही है। वहां के लोग, को जहां पर प्रैशर आन लड ज्यादा है उनको वहां से उठा कर कहीं और बैठाने की चर्चा नहीं की जाती है। इसलिए किसी भी प्रदेश को जब ऐज ए होल लें तभी बातें आगे चलती हैं। दुर्भाग्य से राजस्थान प्रदेश में राजनीति ने इस बुरी तरह घर कर लिया है और पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में और बाकी सब बातों में राजनीति घुस आई है। अगर बिजली भी कहीं जा रही है तो वह दलबंदी के आधार पर जाती है। अगर कोई कुंआं भी खुदना है तो वह दलबंदी के आधार पर खुदता है। इस राजनीतिक दलबंदी ने वहां के वातावरण को बुरी तरह बिगाड़ रक्खा है और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर जो कोई भूतपूर्व मंत्री थे, जो दो मंत्री थे दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मेरे जिले से दो मंत्री थे, दोनों आपस में लड़ते थे और जनता के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया जो बड़े नेता वहां के कहलाते थे और जिनमें मैं भी कभी सम्बन्धित रहा, उन ४, ५ आदमियों को जिनको कि निर्विरोध टिकट मिला था, भ्रष्टाचार और योजनाओं की गड़बड़ी के कारण उनकी बुरी दशा हुई और उन सब को फ्लड्स की तरह से हारना पड़ा। जो हमारी योजनाएं हैं उन से हमारा मानसिक संतुलन बना रहे और सारे देश के लिए और सारे क्षेत्रों के लिए कोआर्डिनेट करके और अगर हम चलें तभी यह चलने वाली हैं। अन्त में मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिला यूनिट के आधार पर नई योजना चलायी है उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने के लिए आप तुरन्त कोई फौरी और असरदार कार्यवाही करें। यही मुझे कहना है। जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

†**श्री लीलाधर कोटकी** (नवगांव) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फरक्का बांध का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इससे कलकत्ता बन्दरगाह को बचाने में सहायता मिलेगी और इस बांध से ऊपर को होकर जाने वाले रेलवे और सड़क पुल से भारत और उत्तरी पूर्वी सीमांत के इलाकों तथा कलकत्ता के बीच सीधा यातायात संबंध स्थापित हो जायेगा। अतः मैं फरक्का नियंत्रण बोर्ड से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस योजना को तत्काल क्रियान्वित करें।

यद्यपि हम विद्युत संभरण की योजनाओं को तत्काल क्रियान्वित कर रहे हैं तथापि उनका वितरण विभिन्न राज्यों में उचित तरीके पर नहीं किया जा रहा है। आसाम की विद्युत उत्पादन क्षमता भारत की २५ प्रतिशत है। तथापि १९६०–६१ तक वहां भारत की कुल विद्युत का केवल ३ प्रतिशत उत्पादन किया जाता था। यद्यपि सारे भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत ३७.९२ किलोवाट है तथापि आसाम में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत केवल ३.५६ किलोवाट है।

यद्यपि अब आसाम में विद्युत उत्पादन की दिशा में कदम उठाया गया है और ८४०० किलोवाट के क्षमता की उमटू परियोजना क्रियान्वित की जा रही है तथापि ज्ञात हुआ है कि पानी की कमी के

†मूल अंग्रेजी में

कारण विद्युत उत्पादन अपेक्षित नहीं हो पाता है अतः इस संबंध में कुछ कार्यवाही करना अनिवार्य है ।

आसाम में विद्युत् उत्पादन की दो अन्य परियोजायें क्रियान्वित की जा रही हैं एक उमियम परियोजना है जिसकी कुल क्षमता ३६००० किलोवाट है । दूसरी नामरूप परियोजना है तथापि इन परियोजनाओं के क्रियान्वित होने के बाद भी आसाम विद्युत उत्पादन में सबसे पीछे रहेगा ।

यद्यपि आसाम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है तथापि कई इलाकों में सूखा भी पड़ता है अतः उन इलाकों में सिंचाई को व्यवस्था भी की जानी चाहिये । अतः यह आवश्यक है कि बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के साथ साथ हम सिंचाई की व्यवस्था भी करें ।

आसाम में आने वाली बाढ़ों की जांच करने के लिये एक क्षेत्रीय गोष्ठी की गयी थी । यह ज्ञात हुआ है कि सरकार इस संबंध में एक समिति नियुक्त करना चाहती है । हम चाहते हैं कि यह कार्य जल्दी किया जाये ।

ग्रामीण इलाकों में जो बिजली का संभरण किया जा रहा है उसकी दरों में बहुत विषमता है । यह ५ नये पैसे किलोवाट से १८ नये पैसे किलोवाट तक है । इस संबंध में मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने ५ से २५ किलोवाट के छोटे विद्युत् उत्पादक बनाये हैं । मेरे विचार से ये उत्पादक पहाड़ी क्षेत्रों के लिये जहां कि नदियों में सदैव पानी रहता है बहुत उपयुक्त हैं । अतः मंत्रालय को चाहिये कि वह इन्हें जनता को उपलब्ध करें ।

पंजाब में पानी के जमा होने की समस्या ने बहुत गम्भीर रुख धारण कर लिया है सरकार को इसका तत्काल समाधान करना चाहिये ।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के बारें में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री बालकृष्ण वास्नीक द्वारा ४ मई, १९६२ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा करेगी :—

> "यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों में गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा कम कार्य कुशलता और अधिक लागत के कारणों का पता लगाने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये ।"

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : इस संकल्प की शब्दावलि से यह आभास होता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गर-सरकारी क्षेत्रों के मुकाबले में बहुत कम उत्पादन होता है । तथा यह मांग की गयी है कि उनकी जांच करने के लिये एक आयोग बिठलाया जाये । संकल्प में यह भी मांग की गयी है कि सरकारी उपक्रमों में लागत और कीमत व्यवस्था पर गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में जांच की जाये ।

हमें यह नहीं समझना चाहिये कि गैर-सरकारी क्षेत्र मे गड़बड़ी या त्रुटियां नहीं होती हैं । मूंदड़ा कांड का सबको पता है । मैं ऐसे कई समवायों को जानता हूं जिन्होंने न केवल अपने लाभ की राशियां अपितु श्रमिकों की भविष्य निधि की राशियां भी हजम कर दीं । मैं कई ऐसी कम्पनियों को जानता हूं जिन्होंने धूर्तता से अपनी आस्तियां तथा दायित्वों की राशि अचानक चौगुनी कर ली ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दाजी]

इस संबंध में मैं भोपाल टैक्सटाइल्स का उदाहरण देता हूं। आयकर बचाने के लिये १३ लाख रुपये की कीमत का यह समवाय ५२.५० लाख रुपये में बेच दिया गया। आयकर अधिकारी ने इसे दुर्भावना पूर्ण घोषित कर दिया; तथापि दुर्भाग्य से इस समवाय को अंशों को जारी करने के नियंत्रक से बढ़ी हुई राशि के अंश जारी करने की अनुमति मिल गयी। इससे अब आयकर अधिकारी की स्थिति भी पेचीदा हो गयी।

इन बातों को देखते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का गैर सरकारी समवायों से तुलना करना उचित नहीं है, हां उसके सुधार के लिये सुझाव दिये जा सकते हैं।

निसंदेह यदि सरकारी क्षेत्र में कुछ ऐसी परिहार्य हानियां हुई जो सावधानी से काम करने पर नहीं होतीं तो उनकी जांच की जानी चाहिये। जब तक ये सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र अपनी पूरी क्षमता में उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तब तक इनके लागत और कीमत व्यवस्था की जांच कैसे की जा सकती है और उनकी टाटा और वर्नपुर संयंत्रों से किस प्रकार तुलना की जा सकतीहै।

इसमें संदेह नहीं कि कुछ गैर सरकारी समवायों ने १९५० और १९५८ के बीच ३०० प्रतिशत से भी अधिक लाभ कमाया तथापि इसे राष्ट्र के सामने आदर्श नहीं कहा जा सकता है और न इनकी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से तुलना ही की जा सकती है। अतः समिति या आयोग बिठलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।

मेरे विचार से यह संकल्प अपने वर्तमान रूप में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जोकि योजना बद्ध विकास के सिद्धान्तों पर विश्वास रखता है, स्वीकार्य नहीं होगा। मेरे विचार से समाजवाद के किसी भी सिद्धान्त से यह संकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

आश्चर्य की बात यह है कि यह संकल्प कांग्रेस दल के एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र दल के सिद्धान्तों से पूरी तरह सहानुभूति रखते हैं। हमें इनसे सावधान रहना चाहिये।

इस संबंध में मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति ने यह सुझाव दिया था कि अपव्यय को रोकने और लाल फीताशाही तथा विलम्ब को रोकने को संसद् सदस्यों की एक समिति बिठलायी जाये जिस से कि सरकारी क्षेत्र भविष्य में सफलतापूर्वक कार्य कर सकें।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** (धनबाद) : इस संकल्प में यह बात कही गयी है कि सरकारी क्षेत्रों में अकुशलता और ढिलाई है तथापि इस बात का पुष्ट प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। इस संकल्प से स्वतन्त्र दल की इस नीति को प्रचारित करने का प्रयत्न किया गया है कि देश मे निर्बन्ध सामन्तीवर्ग और पूंजीवादी शोषण का प्रचार हो और देश की करोड़ों जनता का रक्त चूंसा जाय। अतः मैं ने इस संकल्प पर अपना संशोधन पेश किया है जिस का आशय यह है कि कार्यकुशलता और मितव्ययिता की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये।

यदि हम सरकारी क्षेत्र की तुलना गैर-सरकारी क्षेत्र से करें तो यह ज्ञात होगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कम गड़बड़ी नहीं हुई थी। आयोजित अर्थव्यवस्था के अधीन गैर-सरकारी क्षेत्र को भी देश में विकास का बहुत अवसर मिला है। तथापि यह आशा की जाती है कि सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में अधिक कुशलता से और तेजी से आगे बढ़ेगा।

[**श्री मूल चन्द दुबे** पीठासीन हुए]

†मूल अंग्रेजी में

यह आवश्यक है कि उपक्रमों में कुशलता और मितव्ययिता से काम हो इस के लिये उचित यंत्रों की स्थापना करनी होगी। इस के साथ साथ हमें एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर संसद् का नियंत्रण रहे। तथापि साथ साथ उन के दिन प्रति दिन के प्रशासन में हमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग या बोर्ड होना चाहिये, जो कि काम की प्रक्रिया की भी जांच करे और देखे कि कर्मचारी किस हद तक असफल रहे हैं। यह एक रचनात्मक सुझाव है। इन व्यक्तियों, जो सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध चला रहे हैं की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिये।

इसलिये मैं दोनों पक्षों के माननीय मित्रों से कहूंगा कि वे मेरे संशोधित संकल्प के आशय को समझें और इसे स्वीकार करें।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं मूल संकल्प का विरोध करता हूं। श्री चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत संशोधन भी मुझे अमान्य है क्योंकि सरकारी उद्योग क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से अविलम्ब जांच करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं। उन में सुधार के लिये काफी गुंजाइश है किन्तु सार्वजनिक जांच की किसी के लिये आवश्यकता है, तो वह गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र है।

देश की अर्थव्यवस्था का शोषण और यहां की निर्धनता का लाभ गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र ने ही उठाया है, वे लोग योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पर आपत्ति करते हैं और फिर भी उन्हों ने सुरक्षित मुनाफा कमाया है। सभा में कई बार चर्चा की गई है कि कुव्यवस्था के कारण सूती मिलें बन्द हुई हैं किन्तु यदि आप कपड़ा मिलों के अतिरिक्त अन्य गैर-सरकारी उद्योगों को देखें तो आपको मालूम होगा कि वे जनसेवा अथवा देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं। किन्तु उन का काम है मुनाफा हड़पना। गत १० या १५ वर्षों में इन उद्योगों ने अपनी जमा पूंजी से ३ या ४ गुना अधिक मुनाफा कमा लिया है। आज कीमतें बढ़ने को इतनी चर्चा हो रही है। इस का कारण अप्रत्यक्ष करारोपण नहीं जैसा कुछ लोगों ने कहा है, किन्तु अप्रत्यक्ष करों की आड़ में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में नये करों के अनुपात से बिल्कुल पृथक नई कीमतें तय कर ली हैं।

सरकारी उद्योग क्षेत्र में उत्पादन लागत की जांच का अर्थ यह होगा कि उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाये। जो उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और सरकारी उद्योगों के विरोधी हैं।

संकल्प के प्रस्तावक के अनुसार देश में सुधार गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र की सहायता से ही किया जा सकता है। उन का मत है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र देश की आय को हजम कर रहा है। और देश की अर्थ व्यवस्था के लिये हानिकर है। अतः मेरा मत है कि वे संकल्प को वासप कर लें।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव और अमेन्डमेंट दोनों का विरोध करना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक कमिशन नियुक्त करने का क्या मन्तव्य होगा। इस से क्या फायदा होगा और इस की वर्किंग की जांच करने से कौन सी नई बात आजायेगी। इस हाउस के सामने बराबर प्रश्नों के उत्तर में हर गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग्स के सम्बन्ध मे बातें आई हैं। और प्राइवेट अन्डरटेकिंग्स के सम्बन्ध में भी बातें आई हैं। उन से ज्ञात हुआ कि दोनों तरफ, पब्लिक सेक्टर में भी कम्पनियां ऐसी हैं जो अच्छी चल रही हैं, अच्छा प्राफिट अर्न कर रही हैं और कुछ खराब कम्पनियां भी हैं जिन को सुधारना है। वही बात प्राइवेट सेक्टर में भी मालूम हुई। प्राइवेट सैक्टर में भी ऐसी कम्पनियां हैं जो मिसमैनेजमेंट की वजह से बन्द की गई और जिन को गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट के लिये लिया। इस कमीशन की नियुक्ति से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अलबत्ता यह जरूर हो सकता है कि उस के लिये एक कमेटी पार्लियामेंट की ही जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स की देख भाल करे और उस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

में कोई सुधार जरूरी हो तो उस को बतलाये। मुझे याद है चन्द रोज पहले कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी नियुक्त की थी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के सुधार के लिये। उस की ओर से कुछ सुझाव भी आये थे। इस में दिया हुआ है कि पार्लियामेट की एक कमेटी हो जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स की देख भाल करे। इस कमेटी की स्थापना के लिये अगर कोई प्रस्ताव आता तो शायद ज्यादा मौजूं होता और इस हाउस के कंसिडरेशन में आता तथा उस को शायद हम लोग मान लेते। लेकिन वर्किंग के बारे में कोई कमीशन नियुक्त किया जाये, इस का कोई मतलब नहीं है। पब्लिक सैक्टर में चितरंजन फैक्टरी है, और भी फैक्टरीज हैं, जहां बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन साथ ही रूरकेला ऐसी कम्पनियां भी हैं जहां बहुत खराब काम होता है और जिस की वजह से बराबर इस सदन में और बाहर चिन्ता रहती है। यह सब बातें तो मालूम हैं। इस कमिशन को नियुक्त करने का क्या मकसद होगा ? न तो प्रस्तावक महोदय ने और न उन्होंने अमेंडमेंट दिया है, उन्हों ने बतलाया कि इस से क्या परपज सर्व होगा। पार्लियामेंट का कंट्रोल रहे, उस की देख भाल रहे इसलिये जरूरत है कि एक कमेटी नियुक्त की जाये जोकि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स को देखे और बराबर जा कर उन की जांच करे। इस कमिशन का कोई मतलब नहीं होगा। मैं ने जैसा कि कहा दोनों ही ओर, पब्लिक सैक्टर में और प्राइवेट सैक्टर में, कुछ खराब कम्पनियां हैं, कुछ अच्छी कम्पनियां हैं। चाहे अच्छा काम करती हैं चाहे खराब काम करती हैं, समय समय पर उन के बारे में यहां सूचना आती रहती है। इस के लिये अधिक जानकारी की जरूरत नहीं है।

इसलिये मैं इस प्रस्ताव और अमेडमेंट दोनों का विरोध करता हूं और गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि वह पार्लियामेंट की एक कमेटी बना दे जो पब्लिक अन्डरडेकिंग्स की देख भाल किया करे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : यह संकल्प उस आन्दोलन के अनुकूल है जो देश में सरकारी क्षेत्र को बदनाम करने के लिये ही रहा है। यह एक पूर्वधारणा पर आधारित है। कि सरकारी क्षेत्र की क्षमता गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में कम है। इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल कुछ ही समय पहले गैर-सरकारी क्षेत्र मे समर्थकों ने कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को कुछ सरकारी उपक्रमों की साम्य पूंजी में भाग लेने की अनुमति दी जाये।

गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र में मूलभूत अन्तर है, यद्यपि सरकार दोनों को एक दूसरे का अनुपूरक कहती है। सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित संसाधन नितान्त रूप से राज्य की विकास निधि मे जाते हैं। ऐसी स्थिति गैर-सरकारी उपक्रमों के बारे में नहीं है।

यह मालूम नहीं होता कि गैर-सरकारी क्षेत्रों की सहायता के बिना गैर-सरकारी क्षेत्र अपने पांव पर कैसे खड़ा हो सकता है।

कुछ मुन्धरा व्यवसाय गैर-सरकारी उपक्रमों को लौटाये जा रहे हैं, जो कि वांछनीय नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि संकल्प को अस्वीकार कर दिया जाये, क्योंकि इस का सिद्धान्त ही गलत है। यदि किसी जांच की आवश्यकता है तो वह गैर-सरकारी क्षेत्र में होनी चाहिये, और यह मालूम करना चाहिय कि वे क्या कर रहे हैं और वे किस तरह से अनियमितताये कर रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव इस समय सदन् के सामने विचाराधीन है मैं उस का विरोध करता हूं। प्रस्तावक महोदय का इरादा कितना ही अच्छा क्यों न हो लेकिन प्रस्ताव पढ़ने के बाद सही आभास होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की निन्दा करने के लिए यह लाया गया है। निजी क्षेत्र के मुकाबले में सार्वजनिक क्षेत्र की इस प्रस्ताव में निन्दा की गई है. . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय : माननीय सदस्य पांच मिनट के अन्दर अन्दर अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामसेवक यादव : जी हां पांच मिनट के अन्दर ही मैं समाप्त कर दूंगा।

हमारी सरकार ने समाजवादी ढंग के समाज की जो कल्पना की है दरअसल सारी गलती वही है। समाजवादी ढंग से उसे प्रेम है लेकिन समाजवाद से प्रेम नहीं है। आत्मा से मोह नहीं आवरण से मोह है। जब तक आत्मा से प्रेम नहीं होगा और आवरण से प्रेम होगा तब तक यह चीजें चलती रहेंगी और यह जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उन को बराबर मौका मिलता रहेगा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करें।

सरकार की नीति मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की है। अब इस मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योगों के बीच यह होड़ चलती रहेगी इसमें दो राय न हैं और न हो सकती हैं। अगर मंत्री महोदय सरकार और खास तौर से प्रस्तावक महोदय चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र फले फूलें और उस के अन्दर जो भी गड़बड़ पैदा हो वह दूर हो जाय तो उन्हें निजी उद्योग को हमेशा के लिए समाप्त करना पड़ेगा। सब से बड़ी गड़बड़ यही है। अगर प्रस्तावक महोदय सार्वजनिक क्षेत्र में जांच करने का प्रस्ताव लाने के बजाय इस तरह का कोई प्रस्ताव लाये होते कि निजी उद्योग समाप्त किये जांय और उस की जगह सार्वजनिक क्षेत्र ले तो उससे ज्यादा हित होता।

सार्वजनिक क्षेत्र में आज जो कुशलता और निपुणता नहीं है उसका एक कारण यह है कि हमारी जो मशीनरी है सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो हैं उनका दिमाग और दृष्टिकोण समाजवादी नहीं बन पाया है कि किस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र को सफलता के साथ आगे बढ़ाया जाय। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार कुछ इस तरीके की नीति अपनाये और अपने कर्मचारियों को समाजवादी समाज के उपयुक्त बनाये। सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों को चलाने के लिए जिस कुशलता और ईमानदारी की आवश्यकता है वह उनमें भरे।

एक निवेदन यह भी है कि आज सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम और असफल करने की कोशिश की जा रही है। निजी क्षेत्र के लोग सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए अधिकारियों के जरिए किसी न किसी तरीके से उसको असफल करना चाहते हैं। अब सरकार की भी इस में एक गलती है। वह सार्वजनिक क्षेत्र पर खर्चा अधिक करती है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो अधिकारी लोग लगे हैं उनके सुख सुविधा पर अधिक रुपया खर्च करती है और जिसके कि परिणामस्वरूप खर्चा बहुत बढ़ जाता है।जो माल उत्पादित होता है उस के मूल्यों में भी बड़होत्री होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन चीजों पर ध्यान दे और इस प्रस्ताव को मूल ही से समाप्त कर दे क्योंकि इस प्रस्ताव का मतलब सीधे सीधे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की भर्त्सना करना है और उन की जगह पर निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देना है।

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** यह संतोष का विषय है कि आज तथा पिछले सप्ताह जिन माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है उन सब ने इस संकल्प का विरोध किया है। मैं निवेदन कर दूं कि राष्ट्रीय सरकार ने गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्रका अभियान एक निश्चित सामाजिक आर्थिक और आदर्शात्मक भावना के साथ किया था और इस के साथ साथ भारत जैसे अल्प विकसित देश में पिछड़ेपन को दूर करने की इतिहास की मांग थी और इसीलिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम में सरकारी उद्योग क्षेत्र को महत्वपूर्ण अंग समझ कर ही ऐसा किया गया। अतः यह स्वाभाविक ही है कि माननीय सदस्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

ने वे सब बातें अस्वीकार कर दी हैं जो राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध हैं जो इतिहास से असंगत हैं। उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की तुलना की जाये और इस पूर्णतया भ्रांत धारणा का कि गैर-सरकारी क्षेत्र का संचालन सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक कुशलता पूर्वक किया जाता है। इस धारणा के आधार पर जांच के लिए आयोग नियुक्त करने से उन्होंने असहमति प्रकट की है।

मैं निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मुझे दोनों क्षेत्रों के बारे में निकट ज्ञान है और मैं यह सिद्धान्त मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यूनिट आकार और श्रेणी की दृष्टि से कोई यह कह सके कि गैर-सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से अच्छा है। प्रथम, मोटे रूप में दोनों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती और वाणिज्यिक दृष्टि, आर्थिक लाभ तथा कुशल संचालन की दृष्टि से मेरी यह अभिव्यक्ति है कि भारत में सरकारी क्षेत्र ने अद्भुत कार्य किया है।

मेरे पास इस समय ४५ औद्योगिक और वाणिज्य उपक्रमों की सूची है जो सरकार ने अपने हाथों में ले रखे हैं। यह समवाय विशुद्ध औद्योगिक संस्थाएं हैं। अगर यूनिट के हिसाब से गणना की जाये तो यह लगभग ८६ होते हैं। हम इस्पात तैयार कर रहे हैं। हमारे देश की अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी उन में एक है जो सब से श्रेष्ठ है और देश को उस पर गर्व है। दुनिया में किसी भी देश की विमान सेवा से इस की तुलना कर सकते हैं। भारतीय और विदेशी यात्रियों ने एक स्वर से इस की सराहना की है। यही अवस्था जहाज़रानी की है। यह गैर-सरकारी उद्योग से अपेक्षाकृत काफ़ी श्रेष्ठ है। भारत टेलीफून कारखाना का रेकार्ड इतना अच्छा है कि दुनिया के कई भागों में शायद ही ऐसा कोई कारखाना होगा। औषध कारखाना है, मशीनी औज़ार, होटल भी हैं। मैं विभिन्न देशों के होटलों में ठहरा हूं और हाल ही में केनेडा में सब से अच्छे होटल में ठहरने का अभी अवसर मिला और मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय होने के नाते नहीं किन्तु एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक के रूप में, कि हमारे होटल की किसी भी अच्छे होटल से तुलना की जा सकती है—सेवा और मुनाफा दोनों दृष्टि से।

आर्थिक समीक्षा में जो बजट के साथ प्रस्तुत की जाती है सरकारी उद्योगों और उन में लगी हुई पूंजी के बारे में हम ने विषद् वर्णन न नहीं किया इस लिए कुछ गलतफहमी हो रही है। अगले वर्ष से हम ने इसे अधिक विश्लेषणात्मक रूप देने का निर्णय कर लिया है। हम सरकारी उद्योग क्षेत्र को सामान्यतया तीन श्रेणियों में बांटेंगे। पहले भाग में वे उपक्रम होंगे जिन का अभी निर्माण चल रहा है। पिछली आर्थिक समीक्षा में हम ने सभी इस्पात कारखाने, बिजली के कारखाने, भारी इंजीनियरिंग, तथा वे सब कारखाने जिन का अभी निर्माण हो रहा है, एक साथ मिला दिया है जिन में लगी वार्षिक पूंजी ३०० करोड़ रुपये से लेकर ४०० करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। किन्तु उन का निर्माण पूरा होने पर ही उन से मुनाफा होगा। भारी उद्योग में उन का पूर्णतया निर्माण करने और उन्हें परिपक्व रूप देने में तीन वर्ष का समय लग जाता हैं और ७ या ८ वर्ष बाद उन में मुनाफ़ा होता है, यह बात सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों दोनों पर लागू है, इसका व्यवस्था की कुशलता अथवा उत्पादनशीलता से कोई सम्बन्ध नहीं है। भले ही ये टाटा केमिकल्ज़ हो, जिसका संचालन देश के बृहद् औद्योगिक संस्था करती है अथवा हिन्दुस्तान एलूमिनियम हो जिसका संचालन भी एक महत्वपूर्ण गैर-सरकारी समवाय कर रहा है। चाहे यह सरकारी क्षेत्र का एलूमीनियम संयंत्र हो या मशीनी औजार संयंत्र, इनको चलाने में समय लगता है। पहले तीन चार साल निर्माण में लगते हैं, दो या तीन साल रिकार्डेता करने में। सातवें आठवें साल में

जा कर उत्पादन शुरू होता है । इस के बाद ही हम अपने उपक्रमों की तुलना अन्य उपक्रमों से कर सकते हैं । ऐसी तुलना के परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि हमारे उपक्रम दुनिया के अच्छे से अच्छे उपक्रमों का मुकाबला कर सकते हैं ।

दूसरी श्रेणी में वे उपक्रम हैं जिन का निर्माण पूर्ण हो चुका है और जिनका उत्पादन अभी अभी शुरू हुआ है जैसा कि भारी बिजली के सामान की परियोजना । सदन में इस की कुछ आलोचना की गई थी । दो वर्ष पूर्व लार्ड चांडोस इस परियोजना की जांच करने के लिए भारत आये थे । उस समय, जैसा कि सदन को मालूम है, भोपाल में ६¼ करोड़ रुपये के टर्बो-जनेरेटर, टर्बोआल्ट-सेटर आदि बनाने का कार्यक्रम था । हम ने उन से प्रार्थना की थी कि वह हमें अपना उत्पादन ४ गुना बढ़ाने दें । वे ऐसोसियेटिड इलेकट्रीकल इन्डस्ट्रीज़ के सभापति थे । पहले तो वह तैयार नहीं थे । किन्तु जब उन्होंने ११ ब्रिटिश विशेषज्ञों के साथ दौरा किया तो अपने एक भाषण में कहा कि उन्होंने कारखाने में प्रशिक्षित कारीगरों को देखा है और आश्चर्य प्रकट किया कि उन्होंने इतनी जल्दी वैज्ञानिक तरीकों को सीख लिया है जैसा कि एक टर्बाइन को ४००० या ८००० की रफ़्तार से घुमाना । यह बहुत ही कठिन काम है । वह इतने संतुष्ट हुए कि वह उत्पादन को ५० करोड़ रुपये प्रति मास तक बढ़ाने के लिए तैयार हो गये । हम ने एक समझौता कर लिया । अब भोपाल परियोजना में ५० करोड़ रुपये का कार्यक्रम बनेगा ।

इसके अतिरिक्त, हम ने रूस और चेकोस्लावाकिया से बातचीत की और तीन अन्य परि-योजनाओं--एक रुड़की में, दूसरी रामचन्द्रपुरम और तीसरी मद्रास में त्रिची पर--को अन्तिम रूप दिया है । अतः मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हमने कार्यक्षमता, उत्पादकता प्रशिक्षण आदि का अत्यधिक खयाल रखा है और निर्माण अवधि के पूरा होने के बाद, इन में से अधिकांश उपक्रम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकेंगे ।

दूसरी बात जिसके बारे में कुछ गलतफहमी है इन उपक्रमों का मुनाफा देने की शक्ति है, मेरे पास २८ चालू उपक्रमों की आय के आंकड़े हैं, जो ५ प्रतिशत से ११ प्रतिशत है और जो ३१ प्रति-शत तक भी चले जाते हैं । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इनके संतुलन पत्रों का अध्ययन करें और देखें कि हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स, हिन्दुस्तान मशीनटूल्ज़ या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स के लाभ की दरें देखें । राज्य व्यापार निगम को, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में नया दृष्टि-कोण अपनाया है ३० से ३१ प्रतिशत तक आय हुई है ।

जब मैं यह कहता हूं तो यह दावा नहीं करता हूं कि हमारे में कोई त्रुटि नहीं है । जहां हजारों एक छत के नीचे काम करते हैं और जिनको पुराना अनुभव भी नहीं है, वहां हर चीज पूर्ण नहीं हो सकती । किन्तु यह हमारी चेष्टा रहती है कि हम इन उपक्रमों के कार्य में सुधार करें।

इस सम्बन्ध में जो आलोचना की जाती है वह इतनी गहरी नहीं होती है । मेरे विचार में इन उपक्रमों का जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है, वह भी अपर्याप्त नहीं है और यह अन्य देशों की अपेक्षा जहां सरकारी उपक्रम है, अधिक ही है । हमारे दो सदन इन उपक्रमों पर काफी नियंत्रण रखते हैं, इतना और किसी देश में नहीं है । यहां खोज करने के लिए प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है और यह ठीक भी है, क्योंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं । सरकार यह समझती है कि यदि दोनों सदन कड़ी निगरानी रखें, तो कार्यक्षमता बढ़ेगी । लोक-लेखा-समिति और प्राक्कलन समिति का यही काम है कि वे देखें कि भारत की संचित निधि से सरकारी उपक्रम जो रुपया लें, उसके लिए वे दोनों सदनों के सामने पूर्णरूप से उत्तरदायी हों ।

[श्री मनुभाई शाह]

पिछली लोक-सभा में मुझे संसद की एक संयुक्त समिति बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। हम यह प्रस्ताव पुनः दोनों सदनों के सामने ला रहे हैं ताकि सरकारी उपक्रमों के काम की देखभाल के लिए संयुक्त समिति बनाई जा सके। यह समिति शीघ्र बन जायेगी।

हाल ही में हमने विभिन्न नीतियों का पुनर्विलोकन किया है और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी सरकारी नीति के बारे में एक व्यापक वक्तव्य पिछले सत्र में पटल पर रखा गया था। इसमें यह भी शामिल है कि प्रबन्ध व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, भरती किस प्रकार होगी, अधीनस्थ कर्मचारियों की भरती के लिए क्या तरीका अपनाया जायेगा और मूल्य निर्धारण के सिद्धान्त, उपक्रमों मे कार्य के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय का प्रमाप निदेशक बोर्ड का गठन तथा कौन कौन व्यक्ति निदेश बोर्ड में रहेंगे, ये सब बातें उसमें सम्मिलित हैं। सरकारी उद्योग क्षेत्र के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में एक पूर्ण और व्यापक विवरण पटल पर रख दिया गया है।

इन सब के अतिरिक्त एक श्रम उपसमिति बनाई गई है, जो सरकारी उद्योगों के कार्य-संचालन में सरकार की श्रम सम्बन्धी नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी। हम सरकारी उद्योग क्षेत्र में समुचित नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी हम नेतृत्व की व्यवस्था करना चाहते हैं। एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि विविध प्रकार का कठिन उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई नहीं कर सकता, केवल सरकार, राष्ट्र अथवा राज्य ही इसे कर सकता है। औद्योगिक विकास में विस्तृत रूप इस सभा के समर्थन द्वारा ही संभव हुआ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में अत्यन्त व्यापक उपबन्ध किया गया है। उसमें १५५० करोड़ रुपये की व्यवस्था है। जो संभवतः आगे चल कर १७०० करोड़ रुपये हो जायेंगे। यह रकम गैर-सरकारी उद्योगों में लगी रकम से दुगुनी है। प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता के शैशवकाल में भी हम ने इतनी रकम की व्यवस्था कर दी। दस या चौदह वर्षों में इतने साहस और दृढ़ निश्चय के साथ हमने यह काम किया। जो उपयुक्त नेतत्व और प्रजातंत्र की परम्परा के अनुरूप है।

मुझे प्रसन्नता है कि सभी सदस्यों ने प्रस्तुत संकल्प को अस्वीकारी किया है। सरकार उद्योग क्षेत्र के बारे में छोटी से छोटी आलोचना का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि इनसे हमें लाभ भी होता है। हम इस दिशा में अभी काफी अपूर्ण हैं। राज्य की दमनशील शक्ति के आधार पर हम इन उद्योगों का संचालन नहीं कर रहे। कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। बहुधा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ ऐसी कमजोरियां होती हैं जो बाहर की दुनिया तक नहीं पहुंचती और उनका जनता में जिस तरह से उल्लेख किया जाता है, वह कदापि लाभप्रद नहीं हो सकता।

अतः सरकारी उद्योगों के प्रति हमारे समर्थन मानसिक और मनो-वैज्ञानिक न हो कर हृदय की सम्पूर्ण लगन के साथ होना चाहिये। हमें श्रम सम्बन्धी मामलों में उत्पादन बढ़ाने आदि में सरकारी उद्योगों का समर्थन करना चाहिये। कई बार स्थिति दुखदायी हो जाती है जब मामूली बातें उन विशाल उद्योगों की व्यवस्था को निराशाजनक रूप प्रदान करते हैं, जिनमें करोड़ों रुपयों की पूंजी लगी होती है।

अतः मैं नम्रता के साथ यह अपील करता हूं कि सरकारी उद्योग क्षेत्र के कार्यसंचालन का, जिन्होंने सारे राष्ट्र की प्रशंसा प्राप्त की है, यह सभा एक बार पुनः समर्थन करे। इस अवसर पर मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि इन उद्योगों में और जो लोग काम कर रहे हैं, उन के बारे में कोई नहीं जानता और कभी उनकी प्रशंसा नहीं होती। बिना किसी वित्तीय लाभ की अथवा किसी अन्य प्रकार के

पुरस्कार की आशा रखते हुए, ये लोग अनुशासनबद्ध हो कर काम कर रहे हैं। किसी भी सरकारी उद्योग का प्रबन्ध संचालक, प्रबन्धक, मुख्य इंजीनियर या फ़ोरमैन को उतनी प्रशंसा या आर्थिक लाभ नहीं मिलता जितना गैर-सरकारी उद्योगों में संभव है। । उनके लिए केवल यही पुरस्कार है कि उन्हें इस सभा का समर्थन प्राप्त हो। अतः हम उनकी आलोचना, उनका दिया गया समर्थन और सभा द्वारा उनका व्यापक विश्लेषण, इन सब की हम कद्र करते हैं। जो लोग इन उद्योगों में इतनी एकाग्रता और त्याग की भावना से काम कर रहे हैं, उनकी सराहना का हम स्वागत करते हैं।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (गोंडिया) : मुझे खेद है कि वादविवाद के दौरान में कुछ सदस्यों ने गैर-सरकारी क्षेत्र की और कुछ ने सरकारी क्षेत्र की निन्दा की है। मेरे मन में यह बिल्कुल नहीं था।

हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और अब समय आ गया है कि देखा जाये कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ठीक काम कर रहे या नहीं और ये गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में कैसा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक चर्चा के दौरान में बताया गया था कि पूर्वी खण्ड में एक निजी हवाई सेवा का एक घंटे की उड़ान का खर्च ५३० रुपया था, किन्तु इंडियन एयरलाइन्स निगम का ८२० रुपये था। इतना अन्तर क्यों है ? ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की जांच के लिए जो संयुक्त समिति नियुक्त की जा रही है, उससे सारे प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे।

श्री वि० सुब्राह्मण्यम ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धक उत्तरदायित्व लेने में कतराते हैं। इसके कारण मालूम करने चाहिएं और देखना चाहिये कि लागत अधिक और कार्य-क्षमता कम होने के क्या कारण हैं।

रूस की तरह 'आर्थिक अपराध' करने वालों को, अर्थात् सरकारी क्षेत्र के उन अध्यक्षों को जो अपने कार्यों पर उचित ध्यान नहीं देते या उत्तरदायित्व से बचते हैं दण्डित करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अ० क० गोपालन।

एकाधिपत्य की बृद्धि को रोकने के बारे में संकल्प

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि बढ़ते हुए एकाधिपत्य को रोकने और राष्ट्रीय आर्थिक उन्नति के लाभ को जनता के सभी वर्गों में समान रूप से बांटने के लिये आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य उपाय किये जायें।"

यह राज्य नीति का एक सिद्धांत है, जो कि संविधान में दिया गया है कि सम्पत्ति का और उत्पादन के संसाधनों का केन्द्रीयकरण न होने दिया जाये। परन्तु मेरी राय में हम देख सकते हैं कि ऐसा हुआ है और इस से लोगों को हानि हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

मैं सरकारी आंकड़े देकर दिखा सकता हूं कि देश में एकाधिपत्य बढ़े हैं और न केवल बढ़े हैं, बल्कि इन के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। यदि सरकार अपनी नीति बदल ले, तो इन पर अवश्य नियन्त्रण किया जा सकता है।

श्री निगम और श्री चौधरी की पुस्तक 'कारपोरेट सैक्टर इन इंडिया' में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि कुल कम्पनियों में से ४ प्रतिशत कम्पनियो के पास कुल प्रदत्त पूंजी का ३३.५ प्रति भाग था।

जहां तक निर्माण उद्योगों का सम्बन्ध है, आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न उद्योगों में उत्पादन वस्तुतः स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकांश उद्योग जैसा कि साबुन, दिया-सलाई, लोहा और इस्पात एक दूसरे पर आश्रित थे।

जहां तक बागान उद्योग का सम्बन्ध है, चाय और रबड़ दोनों ही उद्योगों में संसाधनों का केन्द्रीयकरण है। चाय उद्योग में नीचे की ८० प्रतिशत सम्पदाओं के पास कुल एकड़ क्षेत्रफल का लगभग ४ प्रतिशत भाग है। रबड़ उद्योग में एक प्रतिशत एकड़ों पास कुल क्षेत्र का ४८ प्रतिशत भाग है। अतः रबड़ उद्योग में भी स्वामित्व और नियन्त्रण का उतना ही एकाधिपत्य है, जितना चाय उद्योग में है।

अगले दो उद्योग बैंकिंग और बीमा कम्पनियां हैं। इन दोनों में पूंजी और निक्षेपों का केन्द्रीयकरण है। बड़े गैर-सरकारी बैंकों की संख्या ६ से बढ़ कर ४० हो गई है और छोटे बैंकों की संख्या ५२१ से घटकर २२८ रह गई है। अतः बड़े बैंकों ने छोटे बैंकों को काम से हटा दिया है। जहां तक बैंको का सम्बन्ध है, एकाधिपत्य मज़बूत हो गये हैं। बीमे में भी वही स्थिति है। हम देख चुके हैं।

सरकार की करारोपण और लाइसेंस देने की नीतियों से ही एकाधिपत्य बढ़े हैं। अधिकाधिक रियायतें देने और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने से ये एकाधिपत्य बढ़े हैं।

मेरे विचार में एकाधिपत्य नियन्त्रण को कम करने के लिए सरकार को तीन काम करने आवश्यक हैं। पहला यह कि वर्तमान करारोपण नीति को संशोधित किया जाये, दूसरा यह है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये और तीसरा यह है कि चाय, पटसन और सूती कपड़े में राज्य-व्यापार शुरू किया जाये और प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का इसके सब रूपों में अन्त किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती :** मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं श्री गोपालन के संकल्प का समर्थन करता हूं। श्री गोपालन ने हमारा ध्यान राष्ट्रीय आय के कुछ लोगों के पास एकत्रित होने की ओर दिलाया है। वर्तमान आर्थिक ढांचा जनसाधारण का रहन सहन के बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने में सहायक नहीं है। देश के कुछ थोड़े से परिवार बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं चाहे वे किसी भी उद्योग में हों। बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का अधिकांश जनसाधारण को नहीं मिला है। जब तक बैंको और कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न किया जाये, यह जानना कठिन है कि वह धन कहां चला गया है।

---

† मूल अंग्रेजी में

प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मूल्यों को सीमा के अन्दर रखना चाहिए। मूल्यों को कम करना चाहिए। परन्तु इन मामलों में राजनैतिक प्रभाव डाले जाते हैं। सितम्बर के महीने में माननीय प्रधान मंत्री कानपुर गए। कपड़े के व्यापारी और मिलों वाले दसहरे और दिवाली पर कपड़े के मूल्य बढ़ाने चाहते थे, परन्तु कहीं से उन पर प्रभाव डाला गया कि मूल्य न बढ़ाएं। उन्होंने प्रधान मंत्री जी को ५१,००० रुपए भेंट किए और कीमतें बढ़ गईं। इसी लिए मैं ने प्रधान मंत्री जी को लिखा था कि वे रुपए न लें। कानपुर मिल मालिकों की सन्था का जितना ध्यान है वह सरकार के कर इत्यादि न देने से बना है। योजना मंत्री को इस मामले में प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिए, अन्यथा देश में सब उद्योगों और देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ लोगों का एकाधिकारी की ओर झुकाव नहीं रोका जा सकता। टाटा कांग्रेस और स्वतन्त्र पार्टी दोनों को धन भेंट करना चाहते थे। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्हें एक ही दल के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वतन्त्र पार्टी को कुछ नहीं दिया। इसी लिए श्री गोपालन ने "राजनैतिक" शब्द का अपने संकल्प में प्रयोग किया है।

जब कम्पनी ऐक्ट का संशोधन किया जा रहा था तो इस में खतरे की ओर सब सदस्यों ने जिन में कांग्रेस के भी थे ध्यान दिलाया। परन्तु सत्तारूढ़ दल ने इसे नहीं माना। उन्होंने कानून का संशोधन किया और दान को वैधानिक बना दिया। अतः मैं सुझाव देता हूं कि महालनोबिस समिति के अतिरिक्त संसद के समस्त दलों की एक समिति बनाई जानी चाहिए जो राष्ट्रीय आय के समान वितरण पर विचार करे। मुझे आशा है कि योजना मंत्री मेरे सुझाव को मान लेंगे।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : मेरे विचार में संकल्प के प्रस्तावक ने इन्साफ नहीं किया है और हम सब के साथ बेइन्साफी की है। वे इस प्रकार बोले जैसे कि हम इस सम्बन्ध में कि आय के वितरण में अधिक समानता होनी चाहिए, इस देश में एकाधिकार नहीं होने चाहिए और धन और आय का एकत्र होना नहीं चाहिए, अपने उत्तरदायित्वों से अनभिज्ञ थे। उन्होंने स्वयं ही इस बात का उल्लेख किया कि संविधान में नैदेशिक सिद्धांतों में एक सिद्धान्त हमें ये सब ध्येय ध्यान में रखने के लिए विशेष रूप से प्रेरित करता है। यदि हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजनाएं देखें तो इन तीनों में एक बात मालूम पड़ती है कि हमें असमानताएं और धन के सन्केंद्रण कम करने की आवश्यकता का ध्यान है। इस सम्बन्ध में कार्यवाई के बारे में उन का विचार है कि उपक्रमण के ११ साल बाद और स्वतन्त्रता के १५ वर्ष बाद हम इस स्थान पर पहुंचे हैं यहां हमें इन को रोकने के लिए कार्यवाई करने के लिए सोचना आरम्भ करना है। यह विचित्र सुझाव है। मेरे विचार में जो कुछ उन्होंने कहा उस का प्रभाव संकल्प में प्रयोग किए गए शब्दों से हल्का था।

आखिर हमें क्या बताया है उन्होंने किसी प्रकाशन से, जो कुछ एक कम्पनियों में कुल के मुकाबले में पूंजी और नियोजन में अनुपात देता है, कुछ पढ़ा है। उन्होंने जो आंकड़े दिए मैं ने जल्दी में लिखे हैं। परन्तु निष्कर्ष क्या निकला ? वह कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकार का क्या अर्थ है। एकाधिकारी नियन्त्रण का भावार्थ यह है कि थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार होता है कि वे बिल्कुल प्रतियोगिता को रोक सकते हैं जिस का मतलब यह है कि वे मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। यह एक बात है। वे उस वस्तु का मूल्य निर्धारण कर सकता है जिन का वे उत्पादन करते हैं या जो वस्तु वे खरीदते हैं और इससे वे जन समुदाय का शोषण कर सकते हैं और स्वयं धनी बन सकते हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : वे छोटों का नाश कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : परन्तु जो आंकड़े उन्होंने दिए उन से यह सिद्ध नहीं होता है । रोगणस्थलियों के बारे में उन्होंने ६६० एकक की संख्या बताई । यह थोड़ी संख्या नहीं है । यद्यपि ६६० एककों के पास भूमि का अधिक अनुपात भी हो तो भी वे अपनी वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं से अपनी इच्छानुसार मूल्य लें यह नहीं हो सकता ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : चाय उद्योग के बारे में क्या है ? मैं जानना चाहता हूं ।

†**श्री नन्दा** : चाय और रबड़ उद्योग में एक ही बात है । यह तो आम बात है । कई ऐसे एकक हैं जो कि छोटे हैं । कोयला उद्योग में भी वैसा ही है । कई छोटी खानें हैं । मध्य श्रेणी की भी कई कोयले की खानें हैं । ऊपर की श्रेणी की भी थोड़ी सी खानें हैं । यह प्रौद्योगीय प्रक्रिया है जो कि अटल है और मेरे विचार में कि हम इस झुकाव को रोकने की कोशिश करेंगे । यहां तक बड़े एककों के परिमाण से परिमाण में बचत होती है जिस से कम कीमतें और कम लागत के रूप में राष्ट्र को लाभ होता है, इस पर आपत्ति नहीं उठानी चाहिए । जब तक बड़े एककों की संख्या इतनी कम न हो कि कोई ऐसा गठजोड़ हो जाये जिससे वे हमारे ऊपर नियंत्रण करें और वस्तुओं के मूल्य के लिए हमारे स्वामी बन जायें . . . . .

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या वे कहना चाहते हैं कि चाय उद्योग मे ऐसे एककों की बहुत कम संख्या नहीं जो कि उत्पादन और विपणन का नियंत्रण करते हैं ? क्या थोड़े से एकक चाय उद्योग का नियंत्रण नहीं करते हैं ?

†**श्री नन्दा** : मैं ने वही आंकड़े लिये हैं जो कि उस ने दिये हैं । यदि ६५६ संख्या है, तो कम नहीं है । वे एक कमरे में भी बैठ कर मंत्रणा नहीं कर सकते ।

इसी प्रकार इस्पात उद्योग में भी थोड़े ही एकक होंगे । सौभाग्यवश, भविष्य मे वे सब सरकारी क्षेत्र में होंगे । माननीय सदस्य ने कहा कि कई छोटे एकक हैं जोकि किसी किस्म की मिथ्यारचना करते हैं । इस्पात उद्योगों जैसे उद्योग जिन में १०० करोड़ और अधिक का नियोजन होता है यदि गैर सरकारी क्षेत्र में रहने दिये जायें तो एकाधिकार का खतरा रहेगा । सौभाग्यवश औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार यह उद्योग सरकारी क्षेत्र में ही रहेगा । हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम संकल्प के महत्व को और देश के विकास के लिए जो निदेश यह देता है उसे समझें । जो लोग गैर-सरकारी क्षेत्र का और लोकतंत्रीय संस्थाओं का समर्थन करते हैं वे भी एकाधिकार को रोकने की बात करते हैं । जब हम कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र मे इस उद्योग का विकास है, इस से एकाधिकार के विकास को रोकते हैं । मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति को इस से सहमत होना चाहिए कि इस्पात उद्योग में, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होने के कारण, गैर सरकारी क्षेत्र में दो तीन एकक मिल कर एकाधिकार बना लें । हम ने इस को रोका है । यहां भी थोड़े एककों के बहुत से छोटे एककों पर नियंत्रण का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या वह थोड़ी संख्या प्रभावशाली प्रतियोगिता बनाने के लिए काफी है ।

माननीय मंत्री का दूसरा विचार यह है कि छोटे बैंक समाप्त हो रहे हैं । हम ऐसे बैंक नहीं चाहते जो उन मे अपने भविष्य के लिए या व्यापार के लिए रुपये रखने वालों को बाद में रुपये ही न मिलें । अतः सब से अच्छी बात यह है कि यदि जनसमुदाय को लूटने वाली कई बैंकें हैं . .

†**श्री अ० क० गोपालन** : अच्छी बात यह है कि उन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ।

†**श्री नन्दा** : सम्भव है ऐसा ही हो, परन्तु यह तो भिन्न बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया था कि ऐसी बैंकें हैं जहां कि सभापति इत्यादि का बैंक पर परिवार नियंत्रण है । ऐसा हो सकता है । यह तो बैंक सुधार का मामला है न कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जिस पर अन्य आधारों पर विचार किया जा सकता है ।

उन्होंने कहा है कि अनुज्ञप्ति सम्बन्धी नीति और कराधान नीति ठीक नहीं है । ये दो चीज़ें इस विकास के लिए उत्तरदायी हैं । मैं कहता हूं कि अनुज्ञप्ति सम्बन्धी नीति का प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो आज इस देश मे जो जीवन के तथ्य हैं उन का है । जब हम ने बड़े पैमाने पर प्रगति करनी आरम्भ की तो कुछ बड़े पूंजीपति थे जिनके पास संसाधन, क्षमता, तज़रुबा, प्रविधिक ज्ञान और ख्याति थे । जब अवसर मिले तो दूसरों के मुकाबले में उन्होंने अधिक लाभ उठाया । इसलिए यह ठीक है कि उन्होंने इन्हीं ही अवसरों से लाभ उठाया । यह होना ही था ।

और विकल्प क्या था ? क्या हम विकास बन्द कर देते क्योंकि उस समय और थे नहीं ? मेरे विचार में यह गलत होता क्योंकि विकास में यदि कोई ऐसी बात थी जो हमें पसन्द नहीं थी बाद में ठीक कर दी जाती । यदि हम प्रगति, उत्पादन और विकास को बन्द कर देते, तो हम सब को हानि होती । हमारे लिए दूसरा तरीका यह था कि छोटे लोगों को या उपक्रमियों को प्रोत्साहन या सहायता देते । हम ने छोटे उद्योगों और उपक्रमियों की बहुत सहायता की है । हमें इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करना है, परन्तु हमारा रास्ता सही है ।

हम ने इन वर्षों कई चीज़ें आरम्भ की हैं । हम ने प्रथम योजना में कई चीज़ें आरम्भ कीं जैसा कि भारत राज्य बैंक और जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार इत्यादि । द्वितीय योजना में और चीज़ें आरम्भ की गईं । उस का इकट्ठा प्रभाव काफी होगा । माननीय सदस्य ने अपना मामला ठीक तरह से नहीं कहा है । एकाधिपत्यों के बजाये यह कहना अधिक अच्छा होता कि देश में असमानताओं में वृद्धि हो रही है । सरकार थोड़े से धनी लोगों का होना बुरा नहीं समझती है, परन्तु जो बात बुरी है वह यह कि इन थोड़े से धनी लोगों के साथ अधिकांश जनता ऐसी है जिसे जीवनयापन के न्यूनतम साधन भी प्राप्त नहीं हैं । हम वर्तमान असमानताओं को दूर करना चाहते हैं । हम अर्थव्यवस्था के लिए बृहत्तर उत्पादक आधार उत्पन्न कर रहे हैं और उन वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर रहे हैं जिन की लोगों को आवश्यकता है ताकि हम बहुत से लोगों की अत्यन्त निर्धनता को दूर कर सकें । सब को जीवन की आवश्यक चीज़ें दी जायें ।

हम यह सब कैसे कर सकते हैं ? ऐसा मुख्य रूप से लोगों के लिए अधिक रोजगार की व्यवस्था करना और ऐसे रोजगार की व्यवस्था करना जिससे अधिक आय हो । यह योजना का प्रोग्राम है । पहली योजना ने कुछ किया, द्वितीय योजना ने और अधिक किया और तृतीय योजना और अधिक कर रही है । उद्योगों में अधिकाधिक लोगों को लिया जा रहा है । जो कि कृषि श्रमिक रहते और थोड़ा सा वेतन पाते उन को ऐसी नौकरी का प्रशिक्षण दे रहे हैं जिन से अधिक आमदनी होगी । इस से हम कई लोगों को उन की अवस्था अच्छी बनाने में सहायता करेंगे । इससे असमानताएं कम होंगी । नीचे से लोग ऊपर उठते हैं । ऐसा ही किया जा रहा है ।

और बात जो माननीय सदस्य ने कही वह लाइसेंस-पद्धति के बारे में है कि कुछ पूंजीपतियों को अधिक लाइसेंस दिये जाते हैं । हमें इस तथ्य का पता है और हम ठीक ढंग से इसे रोक रहे हैं । यह हो सकता है कि ऐसा नहीं किया जाता, परन्तु लाइसेंस देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उन लोगों को भी लाइसेंस मिलें जिन्हें वैसे अवसर न मिलता ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : इन निगमों से उन को जो अधिक वित्त दिये जाते हैं उस के सम्बंध में क्या परिस्थिति है ?

†**श्री नन्दा** : यह उन चीज़ों में से एक है । आर्थिक संस्थाओं और दूसरों को ऐसा निदेश है कि छोटे व्यक्ति का ध्यान रखें । हो सकता है हमें इस में पूरी सफलता न मिले ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं ने कहा था कि छोटे उद्योगों की बजाये इन एकाधिकारियों को सहायता मिल रही है ।

†**श्री नन्दा** : यह हो सकता है कि इन संस्थाओं को जो संसाधन हम ने दिये हैं उन्हें बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं । हम उन्हें छोटे व्यक्तियों के लिए बचा सकते हैं । मेरे विचार में माननीय मंत्री का अभिप्राय यह है कि उपलब्ध निधियां छोटे लोगों को दी जायें न कि उन को जो स्वयं अपनी टांगों पर खड़े हो सकते हैं । इसे ध्यान में रखना चाहिए ।

माननीय मंत्री ने करों के ढांचे और कराधान नीति पर कुछ सुझाव दिये । उच्च-स्तर पर प्रत्यक्ष करों की दर ८७ से ९० प्रतिशत रही है । इस प्रतिशत दर को बढ़ाने से अधिक लाभ नहीं होगा । मेरे विचार में करों का अपवंचन काफी है । मेरा विश्वास है कि जहां तक असमताओं का सम्बन्ध है यह नियमित आमदनी से नहीं पैदा होतीं, परन्तु यह न कमाई गई आमदनियों से होती हैं ।

ऐसी आमदनी को दूर करना है और लोगों की हालत सुधारने के आन्दोलन में इस समस्या का भी अधिक ध्यान और बल से समाधान करना है । करों के ढांचे को आप कहीं कहीं बदल सकते हैं । परन्तु उस से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा ।

बैंकों का प्रश्न उठाया गया था । प्रबन्ध अभिकरण था । उस के विषय मे काफी कुछ हुआ । नये समवाय अधिनियम का संशोधन हुआ । नये समवाय अधिनियम के अन्तर्गत कदाचारों को रोकने के अभिप्राय से कम्पनियों के निर्माण के ढांचे में सुधार किये गये हैं ।

श्री बनर्जी ने दूसरी बात उठाई । चुनाव की निधियों का इस से क्या सम्बन्ध है । इन लोगों ने सब प्रकार के व्यक्तियों को धन दिया है । स्वतंत्र पार्टी को काफी दिया है । उन के हिसाब को मैं नहीं जान सकता । उन को स्वतंत्र पार्टी से क्या आशा थी ? कई ने कम्युनिस्टों को भी दिया है । इन लोगों ने भी उन्हें धन दिया है । इसलिए उन के मन को कोई नहीं जान सकता । मेरे विचार में कई समवायों द्वारा चुनाव के समय कुछ थोड़ा धन, जो वे वैसे भी देती रही हैं देने का इस से कोई सम्बन्ध है ।

चुनावों में कम से कम खर्चा हो और धन के लिये कोई किसी के पास न जाये । और न ऐसे समय किसी के ऊपर कोई दबाव ही डालना चाहिये । वास्तव में देखा जाये तो यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि किस प्रकार हम जनहित का ध्यान रखते हैं । हमें सदैव ही निर्धन एवं मध्यवर्गी लोगों का ध्यान रखना चाहिये ।

हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में काफी असमानता है । यह हमारा कर्तव्य है कि इस दिशा में हम कुछ करें । पिछली दो योजनाओं में आय भी बढ़ी है और उत्पादन भी किन्तु वह काफी नहीं है । हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि यह उत्पादन और बढ़े और कुशलता भी साथ ही बढ़े । यह तभी सम्भव है कि जबकि इन काम करने वालों को अच्छे हथियार मिलें । और ये लोग कुशलता से

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य करें। सारे राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह इस दायित्व की पूर्ति करे। सभी लोगों का यह लक्ष्य है कि वे इसे पूरा करने में सहायता दें।

अतः यह संकल्प स्वीकार्य नहीं है। यह ठीक नहीं है, इसका आधार अनुचित है और इसको ठीक ढंग से नहीं रखा गया है।

यह तो ठीक है कि यह संकल्प स्वीकार्य नहीं है किन्तु फिर भी यह अच्छी बात है कि हमें याद दिलाई जाती रहे कि निर्धन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। और हम सबको मिलकर इस समस्या को हल करने के लिये प्रयत्न करना है।

हम इस दिशा में जितना कर सकते हैं कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अतः इस प्रकार के संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय प्रस्तावक महोदय इस संकल्प को वापस लेते हैं ?

†**श्री अ० क० गोपालन** : जब माननीय मन्त्री यह कहते हैं कि वे कार्य कर रहे हैं और आग भी करेंगे तो मैं इसे वापस लेता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मन्त्री महोदय इस सभा के सदस्यों की कोई समिति नियुक्त करेंगे ?

†**श्री नन्दा** : जी नहीं। श्री महालनोबीस की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है जो इस दिशा में कार्य कर रही है। इस समिति का प्रतिवेदन अभी आना शेष है। प्रतिवेदन आने के बाद ही यह देखा जा सकता है कि हम इस दिशा में और क्या कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संकल्प के बारे में एक संशोधन है। मतदान के लिये मैं उसे रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प

†**श्री इन्द्र जीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश के सब भागों में सहकारिता की भावना उत्पन्न करने और सेवा सहकारी समितियों के लक्ष्य की पूर्ति के लिये भारत संघ के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक मूलभूत सहकारी कृषि समिति की स्थापना और देश में उपलब्ध समस्त साधनों और जन सम्पर्क के माध्यम को अधिक प्रभावशाली रूप में संगठित करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायें।"

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सहकारी कृषि को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। हमारे देश का उद्देश्य देश में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना है। नागपुर सम्मेलन में कांग्रेस ने सहकारी खेती का संकल्प पारित किया था। सरकार का उद्देश्य इस सहकारी खेती के द्वारा कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन करके एक क्रान्ति करना था। दुर्भाग्यवश इस समय सरकार इस दिशा में अधूरे मन से कार्य कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा]

हमें इस क्षेत्र में बहुत काम करना है। हमारे देश में कृषकों को सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ये खेत आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं हैं और न इनकी उचित रूप से चकबन्दी ही की गई है। सहकारी खेती संस्थाएं ही इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकती हैं।

सरकार का कहना है कि कृषक ही अपनी स्वेच्छा से ये संस्थाएं स्थापित करेंगे किन्तु गत वर्षों में इस दिशा में कोई विशेष काम नहीं हुआ है। सरकार का कथन है कि इसके बाद सेवा सहकारी संस्थाएं होंगी जो कि इस दिशा में पहिला कदम होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसान लोग इसका मतलब ही नहीं समझते अतः उस दिशा में कदम उठाये जाने चाहियें ताकि वे इसके अर्थ समझ सकें।

स्वतन्त्र दल का कहना है कि ये सहकारी कृषि संस्थाएं मानव के मूलभूत अधिकारों के बिल्कुल विपरीत हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कृषि सहकारी संस्थाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है। क्या इस बारे में किसानों की कोई राय ली गई है। क्या वे स्वेच्छा से इन संस्थाओं में भाग लेना चाहते हैं। यह तो मैं नहीं कहता कि ये संस्थाएं असफल रहेंगी लेकिन इतना अवश्य है कि अधूरे मन से काम करने से कभी सफलता नहीं मिलेगी।

मैंने इस संकल्प में इस बात पर जोर दिया है कि ये संस्थाएं प्रत्येक गांव में खोली जायें और वहां के किसान स्वेच्छा से इनमें भाग लें। सरकार को चाहिये कि वह जनता में इसके प्रति उत्साह जागृत करे। और सभी प्रकार की सहायता इन संस्थाओं को दे तभी लोग इनके प्रति आकर्षित होंगे। मौखिक रूप से तो इसकी चर्चा खूब मिलती है किन्तु यथार्थ रूप में यह ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार ने इस दिशा में ठीक ढंग से कार्य नहीं किया है।

किसानों को बीजों तथा उर्वरकों का सम्भरण करने और वित्तीय सहायता देने के प्रयोजनों के लिये देश में कार्य-कुशल सेवा सहकारी समितियां स्थापित की जानी चाहियें।

सेवा सहकारी समितियों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये आवश्यक उत्साह उत्पन्न करने के लिये सरकार को प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक मूलभूत सहकारी कृषि समिति संगठित करने और इस प्रयोजन के लिये समस्त संसाधनों को एकत्रित करने के लिये कदम उठाने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रखें। अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे।

सरकारी कर्मचारियों के चरित्र और पिछले जीवन के सत्यापन के बारे में संकल्प

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं एक बात ठीक करना चाहूंगा। कल मैंने यह बताया था कि नियुक्ति हो जाने के बाद पुलिस सत्यापन का कार्य करती है। लेकिन असलियत यह है कि यह पहले किया जाता है। जहां कि बहुत शीघ्र ही कोई नियुक्ति करनी होती है तो वहां यह सत्यापन नियुक्ति के तुरन्त बाद ही किया जाता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : पश्चिमी बंगाल और केरल विधान सभा में इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कुछ लोगों को नौकरी से हटा

---

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया है। राष्ट्रीय एकता समिति में भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। समिति की मद ६ में यह तय किया गया है--राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग इसलिये नहीं किया जाना चाहिये कि वे किसी दूसरे दल के लोगों को हानि पहुंचायें।

कुछ राजनैतिक दलों के सदस्यों को तथा उनके साथ रहने वालों को इस कारण ही दण्ड दिया जाता है कि वह दल पुलिस की निगाह में अच्छा नहीं है।

केरल में ऐसा हुआ कि ७६ व्यक्तियों को लोक सेवा संघ द्वारा नियुक्त किया गया और बाद में पुलिस की जांच पर उनको नौकरी से हटा दिया गया। पश्चिमी बंगाल में भी ७७ मामले ऐसे हुए हैं जिनमें उन को नौकरी पर नहीं रखा गया है। इस प्रकार सरकार के उस प्रदेश के अनुसार जो सरकारी कर्मचारियों के कुछ निर्दिष्ट राजनैतिक दलों के सदस्य बनने अथवा उनसे सम्बन्ध रखने पर रोक लगाता है अनेक सरकारी कर्मचारी नौकरी से हटा दिये गये हैं और उम्मीदवारों को रोजगार नहीं दिया गया है।

प्रधान मन्त्री तथा राज्य के गृह मन्त्री ने यह कहा था कि पुलिस सत्यापन का किसी राजनैतिक मत से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु केरल तथा पश्चिमी बंगाल में लोगों को नौकरी से अलग किया गया है। अनेक ऐसे मामले हुए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों को कई साल की सेवा के बाद नौकरी से हटा दिया गया है और उनके हटाये जाने का कोई कारण नहीं दिया गया है। ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है जिससे अपील की जा सके और जो सेवा से हटाये जाने के कारण के सम्बन्ध में जांच कर सके। यदि किसी व्यक्ति को अकार्य कुशलता अथवा अनुशासनहीनता के आधार पर सेवा से हटाया जाये तब तो बात समझ में आती है परन्तु किन्हीं अन्य कारणों से केवल एक साधारण पुलिस के सिपाही के प्रतिवेदन के आधार पर नौकरी से हटाना सर्वथा अनुचित है।

यदि इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया गया हो तो उसे वापस लिया जाना चाहिये। वह संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है और राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा सहमत आचार संहिता के भी विरुद्ध है। यदि किसी व्यक्ति को सेवा से हटाया जाता है अथवा प्रकरण के बाद नियुक्त नहीं किया जाता तो उसे उसके कारण बताने चाहियें और लोक सेवा आयोगों को उन कारणों की जांच करने की शक्तियां दी जानी चाहियें।

यदि यह आदेश अभी तक जारी है तो मेरा निवेदन है कि उसे वापस ले लेना चाहिये। राष्ट्रीय एकता समिति में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजनैतिक दलों को दूसरे दलों को हानि पहुंचाने के लिये कुछ नहीं करना चाहिये। कर्मचारियों को अवसर दिया जाना चाहिये ताकि वे अपनी बात कह सकें। पुलिस के कहने पर कर्मचारियों को कोई हानि न हो इसके लिये कोई उपाय करना चाहिये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं यह पहिले ही बता चुका हूं कि नियुक्ति या भरती के संबंध में किसी राजनैतिक दल में काम करने वाले या किसी विशेष प्रकार के राजनैतिक सिद्धान्त में विश्वास करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। श्री अ० क० गोपालन को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि संघ लोक सेवा आयोग नियुक्ति के समय ऐसी किसी बात पर ध्यान नहीं देता है। नौकरी में चुन लिये जाने के पश्चात सभी मामलों में सत्यापन किया जाता है। तथा किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा से केवल इस कारण बहिष्कृत नहीं किया जाता है कि वह किसी विशेष राजनैतिक दल में था या उसके सिद्धान्तों से सहानुभूति रखता है।

तथापि मैंने सभा में एक अन्य बात का भी उल्लेख किया था वह यह है कि संविधान के अनुच्छेद ३११(२)(क) में यह व्यवस्था की गयी है कि "जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये ।"

उक्त व्यवस्था के अधीन (राष्ट्रीय सुरक्षा के परित्राण के लिये) कुछ नियम बनाये गये हैं इन नियमों के अधीन यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल से संबद्ध माना जायेगा तो उसको नौकरी से हटा दिया जायेगा । भले ही वह दल कोई क्यों न हो। निस्संदेह इसके पूर्व उसे अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करने का पूरा मौका दिया जायेगा । मेरे विचार से किसी भी सरकारी कर्मचारी का किसी भी राजनैतिक दल से कोई संबंध नहीं होना चाहिये । तथापि मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार ने इस आधार पर शायद ही कभी कोई कार्यवाही की है ।

यह ज्ञात हुआ है कि कुछ कर्मचारी ऐसे साम्प्रदायिक संगठनों में हिस्सा लेते हैं जिनके कार्यों को ध्वंसात्मक कहा जा सकता है । ऐसे दो तीन मामले भारत सरकार के ध्यान में लाये गये तथा उपयुक्त जांच के उपरांत उन मामलों पर कार्यवाही की गयी ।

मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि इन नियमों को अदालत में चुनौती दी गयी । तथापि उच्चतम न्यायालय ने भी इन नियमों को उचित ठहराया । अतः हमने संविधान के प्रतिकूल कुछ भी नहीं किया है ।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध यह मामले चलाये गये उन में राजनैतिक दल का कहीं उल्लेख नहीं है । अतः यदि यह सिद्ध हो जाये कि उन्होंने ध्वंसात्मक कार्यों में भाग लिया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । मैंने एक विशेष मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय देखा है । उन्होंने सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का पूरी तरह समर्थन किया है ।

केरल के मामले में विशेष मामलों की चर्चा करना मेरे लिये बहुत कठिन है । इन मामलों में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । यदि कहीं पर इन नियमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी हो तो मैं उन मामलों की जांच करने को तैयार हूं । मेरे विचार से इन नियमों के पालन करने में कर्मचारियों को किसी प्रकार तंग नहीं किया जाना चाहिये । इस मामले को साम्यवादी दल के सदस्यों को केरल विधान सभा में उठाना चाहिये ।

जहां तक गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र का संबंध है राज्य सरकार उसके अधीन नियम बनाने को स्वतंत्र है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** केरल के गृहमंत्री श्री चाको ने वहां की विधान सभा में यह कहा है कि यह तो अखिल भारतीय नियम है अतः आप हमें इसके लिये क्यों दोष देते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : तथापि माननीय मंत्री ने कहा है कि वह परिपत्र इस से भिन्न है । मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक परिपत्र क्या है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ जब श्री नम्बूदरीपाद जैसे संतुलित बुद्धि के व्यक्ति ने इस परिपत्र का जिक्र किया और उस के बारे में अपना वक्तव्य दिया । जब वे केरल के मख्यमंत्री थे तो उन्हें इस परिपत्र का पता था तथापि उन्हों ने गोपनीयता की शपथ ली हुई थी । यह भयावह बात होगी यदि विभिन्न दलों के मुख्य मंत्री ऐसे गोपनीय मसविदों के सम्बन्ध में खुले आम अथवा निजी रूप से उल्लेख करेंगे । अतः श्री नम्बूदरीपाद को स्वयं इस विषय में सोचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे दुःख है कि वे उक्त दो बातों के बीच जिन का मैं ने अभी उल्लेख किया विभेद नहीं कर सके । मैं आशा करता हूं कि श्री अ० क० गोपालन ऐसी स्थिति में सरकार की स्थिति भली भांति समझेंगे । तथापि यदि इन नियमों को पालन करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना होगा तो मैं उस पर आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । जब नम्बूदरीपाद वहां के मुख्यमंत्री थे तो उन्हों ने लोक सेवा आयोग को यह निदेश दिया था कि यदि पुलिस के सत्यापन के आधार पर नियुक्ति होनी हो तो पुलिस की जांच न करायी जाये । अतः लोक सेवा आयोग अन्यथा अर्हत होने पर उस व्यक्ति को नियुक्त कर लेती थी ।

जिस सरकारी आदेश का मैंने जिक्र किया वह १९६१ का है तब श्री नम्बूदरीपाद विधान सभा में थे न कि मुख्य मंत्री । जब उन से पूछा गया तो उन्होंने विधान सभा में यह बताया और तदुपरांत यह प्रकाशित हुआ । उन्होंने यह बात विरोधी दल के नेता के रूप में कही थी । उन से यह बात पूछी गयी थी उस के आधार पर उन्होंने वक्तव्य दिया था । मैं केवल गृह मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि नौकरी से हटाने के पूर्व उस को इस के कारण बताये जाने चाहियें ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : सामान्यतः यही किया जाता है । तथापि केवल उन मामलों में जहां राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता है केवल वहीं बिना कारण बताने का अवसर दिये कार्यवाही की जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आधे घंटे की चर्चा समाप्त हुई ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, २१ मई, १९६२/३१ वैशाख, १८४४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

{शुक्रवार, १८ मई, १९६२ / २८ वशाख, १८८४ (शक)}

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उतर	२४६१–८६
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८३५–क	दिल्ली के स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रवेश . .	२४६१–६३
८३७	वेतन बचत योजना . .	२४६३–६४
८३८	कोजीकोड में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज .	२४६४
८३९	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ संयुक्त परामर्श की कार्य प्रणाली	२४६५–६६
८४१	पिछड़े वर्ग .	२४६६–६८
८४२	मद्रास में लौह अयस्क .	२४६८
८४४	उड़ीसा में कोयले के निक्षेप	२४६८–६९
८४७	असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२४६९–७०
८४८	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड . .	२४७०–७१
८५१	कोलार तथा हट्टी की सोने की खानों का विकास	२४७१–७२
८५२	भारत में वस्तुओं का चोरी छिपे लाना .	२४७२–७३
८५३	फ्रांस से हेलीकाप्टरों की खरीद .	२४७३–७४
८५४	परीक्षा में हिन्दी माध्यम वाले विश्वविद्यालय	२४७४–७६
८५७	विदेशों में भारतीयों के खाते . .	२४७७–७८
८५८	विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये उपदान योजना . .	२४७८–७९
८५९	विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा . . .	२४७९–८०
८६०	जीवन बीमा निगम के क्षेत्र अधिकारियों की पदोन्नति तथा बीमों का व्यपगत होना .	२४८०–८१
८६३	सुपरसोनिक एच० एफ० २४ विमान . . .	२४८१–८२
८६४	आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर स्थित बैंकरों पर पाकिस्तान द्वारा पुनः कब्जा .	२४८२–८३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक ऊत्तर (क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
८६५ दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक . .	२४८३–८५
८६६ दिल्ली में कपड़ा मिल में उपद्रव . .	२४८५–८६
प्रश्नों के लिखित ऊत्तर	२४८६–२५३७
तारांकित प्रश्न संख्या	
८३६ डेरी उपकरण और मशीनों का निर्माण . .	२४८६
८४३ भाषायी अल्पसंख्यक .	२४८६
८४५ स्नेहन तेलों के लिये नये कारखाने .	२४८६–८७
८४६ तकनीकी शिक्षा में दशमिक प्रणाली .	२४८७
८४९ भारतीय वन सेवा . . .	२४८७
८५० आम चुनावों पर खर्चा . .	२४८७–८८
८५५ कावेरी-बेसिन में तेल . . .	२४८८
८५६ विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास .	२४८८–८९
८६१ नागालैण्ड में तेल के निक्षेप	२४८९
८६२ संस्कृत पंडितों का राष्ट्रीय रजिस्टर .	२४८९
८६७ कोयले का नियतन .	२४९०
८६८ नये विश्वविद्यालय . . .	२४९०
८६९ गुरुकुल कांगड़ी और जामिया मिलिया इस्लामिया .	२४९०
८७० मिश्रधातु और विशेष औजार संयंत्र . .	२४९१
८७१ प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता .	२४९१
८७२ श्री काशी विद्यापीठ, बनारस . .	२४९१
८७४ "टाटा मर्सिडीज़ बेंज" बसें	२४९२
८७५ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नकदी संभालने के लिये विशेष वेतन . .	२४९२
८७६ अन्दमान में श्रमिकों में क्षोभ .	२४९३
८७७ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी विधान	२४९३–९४
८७८ भारत को पश्चिमी जर्मनी से ऋण . . .	२४९४
८७९ बर्मा शेल के साथ करार का समापन . . .	२४९४
८८० सूर्य का अध्ययन .	२४९४–९५
८८२ पानागढ़ के कर्मचारी . .	२४९५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५०३	जीवन बीमा निगम का कार्य	२४९५–९६
१५०४	अपाहिजों के स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	२४९६
१५०५	विशेष पुनर्गठन एकक	२४९६–९७
१५०६	पंजाब का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२४९८–९९
१५०७	पुराने सिक्कों को वापस लेना	२४९९
१५०८	बर्मा से मनीपुर में चोरी छिपे सामान लाना	२४९९
१५०९	अनुसूचित आदिम जातियां	२५००
१५१०	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष परीक्षा	२५००
१५११	आय-करदाता	२५००
१५१२	औद्योगिक मशीनों का मूल्य और उत्पादन	२५००–०१
१५१३	रीजनल इंजीनियरिंग कालिज, वारंगल	२५०१
१५१५	सैनिक स्कूल	२५०१–०२
१५१६	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	२५०२
१५१७	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के कैडेटों के लिये ग्रीष्मकालीन शिविर	२५०३
१५१८	गणतंत्र दिवस की परेड	२५०३–०४
१५१९	सरकारी कर्मचारियों के लिये स्टोर	२५०४
१५२०	तृतीय योजना में नये विश्वविद्यालय	२५०४
१५२१	नियम पुस्तकों का अनुवाद	२५०४–०५
१५२२	कोयला खान सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय सम्मेलन	२५०५
१५२३	जीवन बीमा के प्रीमियम की दरें	२५०५–०६
१५२४	मनीपुर-प्रशासन के कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण	२५०६
१५२५	केरल में अत्तपदी घाटी	२५०६
१५२६	पनडुब्बीमार हथियार	२५०६–०७
१५२७	हिन्दी भाषी राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार	२५०७
१५२८	गुजरात के लिये अधिक विश्वविद्यालय	२५०७
१५२९	तेल साफ करना	२५०७–०८
१५३०	सेना पदाधिकारी द्वारा आत्महत्या का प्रयत्न	२५०८–०९
१५३१	कोयले का खनन	२५०९
१५३२	कोयला खानों के लिये भूमि का अर्जन	२५१०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१५३३	पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋण . .	२५१०–११
१५३४	मनीपुर के स्कूलों में अप्रशिक्षित अध्यापक .	२५११
१५३५	मनीपुर प्रशासन के अधीन राजपत्रित पद	२५११
१५३६	मनीपुर में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा	२५११–१२
१५३७	अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् .	२५१२–१३
१५३८	त्रिपुरा में अनुसूचित जाति के छात्रों को बोर्डिंग वृतिकाएं	२५१३
१५३९	त्रिपुरा के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक .	२५१३
१५४०	उत्तर प्रदेश में मोटर साईकिल बनाने का कारखाना .	२५१३–१४
१५४१	भारत सर्वेक्षण विभाग के पुनः नियुक्त कर्मचारी .	२५१४
१५४२	संकटमय क्षेत्रों में भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी	२५१४
१५४३	भिलाई इस्पात कारखाना	२५१४–१५
१५४४	सिलचर आग जांच समिति . . .	२५१५
१५४५	जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के लिये बस्तियां .	२५१५
१५४६	विश्वविद्यालयों में प्राच्य विद्या . .	२५१५
१५४७	मद्रास राज्य में भूतत्वीय सर्वेक्षण	२५१६
१५४८	उच्च-न्यायालयों के काम के घंटे .	२५१६–१७
१५४९	केरल में भूतत्वीय सवक्षण .	२५१७
१५५२	भारतीय नागरिक के रूप में चीनी	२५१७
१५५३	निर्धनों को कानूनी सहायता	२५१७–१८
१५५४	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग पश्चिम बंगाल के संघों की मान्यता	२५१८
१५५५	मैसूर राज्य में ग्रामीण विश्वविद्यालय .	२५१८
१५५६	वेतन आयोग की सिफारिशें . .	२५१८–१९
१५५७	सरकारी कर्मचारियों के ज्ञापन पर की गई कार्यवाही	२५१९
१५५८	केरल में भारी उद्योग .	२५१९–२०
१५५९	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इमारत	२५२०
१५६०	मध्य प्रदेश में औद्योगिक परियोजनायें .	२५२०–२१
१५६१	सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण	२५२१
१५६२	दिल्ली में जनपथ पर कार खड़ी करना .	२५२१
१५६३	अस्पृश्यता निवारण के लिये अनुदान . . .	२५२१–२२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५६४	अन्तर्जातीय विवाह	२५२२
१५६५	दमदम हवाई अड्डे पर पत्रकारों को परेशानी . .	२५२२–२३
१५६६	भिलाई इस्पात परियोजना कर्मचारियों के लिये मकान	२५२३
१५६७	दिल्ली में बेरवा अनुसूचित जाति के परिवार .	२५२३
१५६८	आयातित रबड़ सोल की जब्ती .	२५२४
१५६९	सहकारी पदों पर अवैतनिक नियुक्तियां . . .	२५२४–२५
१५७०	नारकोटिक्स (नशीले पदार्थ) के बारे में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन	२५२५
१५७१	उत्तर प्रदेश में लोक सहायक सेना शिविर .	२५२५
१५७२	सोमा प्रतिरक्षा के लिये वित्तीय सहायता . .	२५२५
१५७३	पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता . . .	२५२५–२६
१५७४	पाकिस्तान में भारतीय उद्भव के लोगों को भारतीय नागरिकता देना . .	२५२६–२७
१५७५	त्रिपुरा में मुस्लिम जनसंख्या . .	२५२७
१५७६	स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखायें .	२५२७
१५७७	विदेशों में मारे गये भारतीय सैनिक . .	२५२७
१५७८	पोर्ट ब्लेयर में अनधिकृत मकान . .	२५२८
१५७९	निकोबार में नारियल गोला तथा सुपारी का व्यापार .	२५२८
१५८०	कोटा सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र . .	२५२८–२९
१५८१	आदिवासी संस्कृति का विकास . . .	२५२९
१५८२	बिहार में भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	२५२९–३०
१५८३	आयुध कारखानों द्वारा तैयार किया गया गोला बारूद	२५३०
१५८४	रत्नागिरि में इस्पात . . .	२५३०–३१
१५८५	डाक द्वार शिक्षा . . .	२५३१
१५८६	दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा .	२५३१
१५८७	अपाहिज लोगों के लिये शिक्षा . .	२५३१
१५८८	अपाहिज लोगों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र .	२५३२
१५८९	चित्रकूट सलाहकार समिति .	२५३२–३३
१५९०	प्रादेशिक सेना . . .	२५३३
१५९१	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम .	२५३३
१५९२	दिल्ली किराया नियंत्रण . . .	२५३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५६३	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	२५३४
१५६४	सिंगारेनी कोयला खानें	२५३४–३५
१५६५	आन्ध्र प्रदेश मे कालेजों के लिये अनुदान	२५३५
१५६६	विज्ञान मंदिर	२५३५
१५६७	नेपा अखबारी कागज़ पर से उत्पादन शुल्क की छूट का वापस लिया जाना	२५३५–३६
१५६८	हिन्दी स्टेनोग्राफर	२५३६
१५६६	सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व	२५३६
१६००	मध्य प्रदेश में कोयला खानें	२५३७
१६०१	चोरी के मामले	२५३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२५३७–३८

(१) कोयला बोर्ड को वर्ष १९६०-६१ की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) अन्तर्राज्यि निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २ दिसम्बर,१९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१८ में प्रकाशित मध्य भारत चिकित्सा परिषद् (पुनर्गठन) आदेश, १९६१ ।

(दो) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८० में प्रकाशित बम्बई श्रम कल्याण बोड (पुनर्गठन) संशोधन आदेश, १९६२ ।

(३) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :–

(एक) दिनांक २४ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५३ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(दो) दिनांक १४ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६९ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

पृष्ठ

समितियों के लिये निर्वाचन . . . . . २५३९—४१

(१) प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य केन्द्रीय सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य, केन्द्रीय प्राणिशास्त्र सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप मे काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(३) श्री हुमायून् कबिर ने यह प्रस्ताव भी किया कि लोक सभा के सदस्य भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर की परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें . . . . . २५४१—७५

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प वापस ले लिये गये . . . २५७५—८९

(१) श्री बालकृष्ण वासनिक द्वारा ४-५-६२ को प्रस्तुत किये गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ हुई । श्री वासनिक ने वादविवाद का उत्तर दिया । संकल्प तथा तत्सम्बन्धी संशोधन सभा की अनुमति से वापिस ले लिये गये ।

(२) अ० क० गोपालन ने एकाधिपत्य की वृद्धि को रोकने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । श्री प्र० र० चक्रवर्ती ने एक संशोधन प्रस्तुत किया । संशोधन अस्वीकृत हुआ और संकल्प सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . २५८९–९०

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा ने मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . २५९०—९३

श्री अ० क० गोपालन ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में १ मई १९६२ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

सोमवार, २१ मई, १९६२/३१ वैशाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

(१) सिंचाई और विद्युत् ; और (२) परिवहन तथा संचार मंत्रालयों के बारे में अनुदानों की मांगों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—940 (Ai) LSD.

विषय सूची—(जारी)

	पृष्ठ
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया	२५७५—८३
श्री दाजी	२५७५–७६
श्री प्र० र० चक्रवर्ती	२५७६–७७
श्री प्रभात कार	२५७७
श्री द्वा० ना० तिवारी	२५७७–७८
श्री इन्द्रजीत गुप्त	२५७८
श्री राम सेवक यादव	२४७८–७९
श्री मनुभाई शाह	२५७९—८३
श्री बालकृष्ण वासनिक	२५८३
एकाधिपत्य की वृद्धि को रोकने के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया	२५८३—८९
श्री अ० क० गोपालन	२५८३–८४
श्री स० मो० बनर्जी	२५८४–८५
श्री नन्दा	२५८५—८९
मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प	२५८९–९०
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा	२५८९–९०
श्री वारियर	२५९०
सरकारी कर्मचारियों के चरित्र और पिछले जीवन के सत्यापन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२५९०—९३
श्री अ० क० गोपालन	२५९०–९१
श्री लाल बहादुर शास्त्री	२५९१—९३
दैनिक संक्षेपिका	२५९४—२६००

P.L.S. 41. III. 25. 62.
150

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।